खण्ड-227, अंक-3
शनिवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1883
(3 मार्च, 1962 ई0)

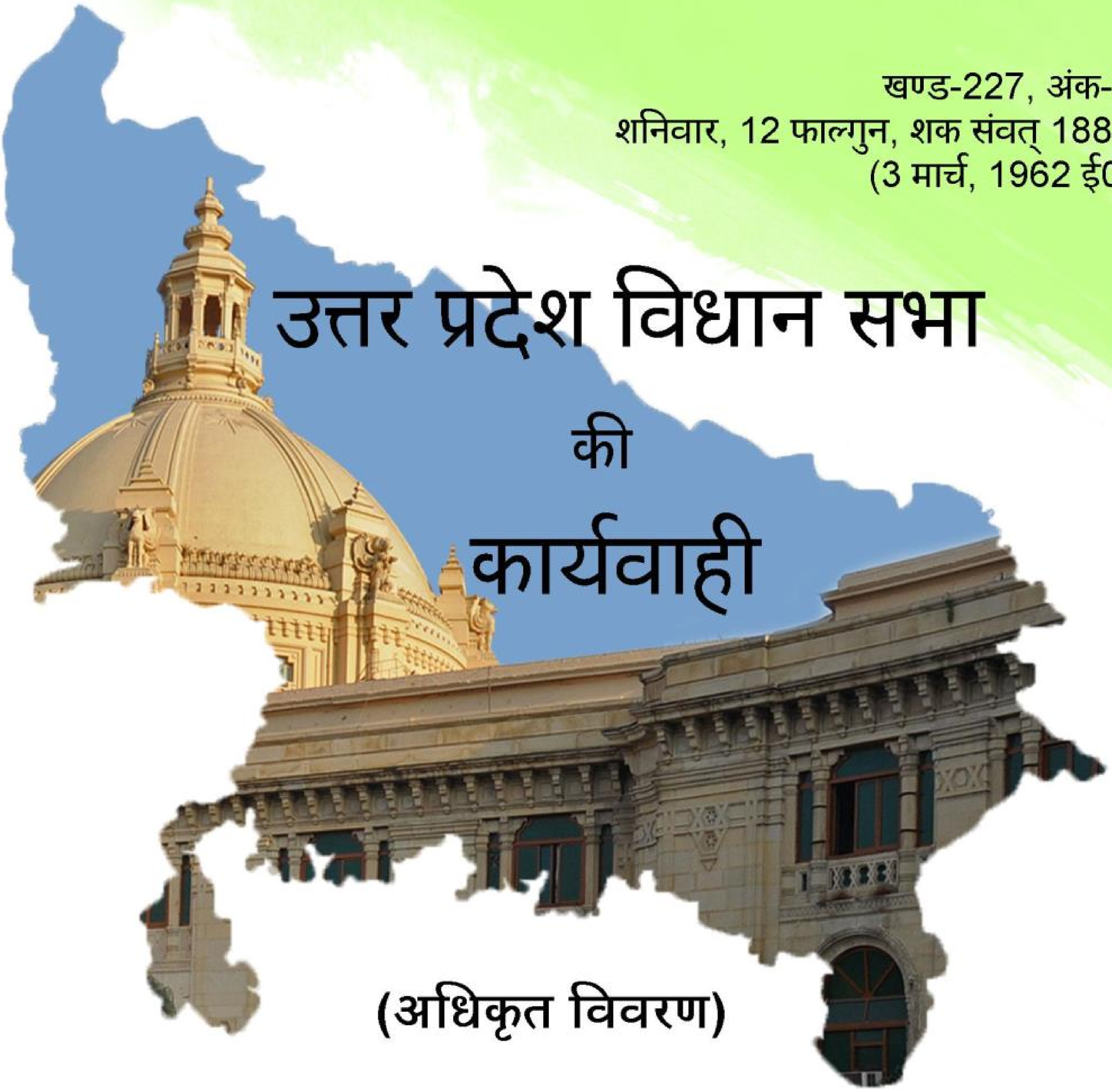

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 227 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या।
उपस्थित सदस्य	..	.. ..	१३९–१४३
आश्वासन समिति का १२ वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)		..	१४३
समाचारपत्रों में मंत्रि मंडल द्वारा विधान सभा का अधिवेशन बुलाने पर आपत्ति			१४३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं		..	१४४
हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य के कार्यकाल में वृद्धि	..	..	१४४–१४५
१९६१–६२ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान के लिए समय निर्धारण	..	.. ..	१४५
"हिन्दी" सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रार्थना	..	..	१४५
१९६१–६२ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद		..	१४५–१८४
१९६१–६२ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान		..	१८४
अनुदान संख्या १—बृहत् जोत कर	.. (स्वीकृत)	..	१८४
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी	.. (स्वीकृत)	..	१८४
अनुदान संख्या ५—वन	(स्वीकृत)	..	१८४–१८५
अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (अधिष्ठान व्यय को छोड़कर)	.. (स्वीकृत)	..	१८५
अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान	.. (स्वीकृत)	..	१८५–१८६
अनुदान संख्या १२—अभियंत्रण संस्थाएं	.. (स्वीकृत)	..	१८६
अनुदान संख्या १४—आयुक्त और जिला प्रशासन	(स्वीकृत)	..	१८६
अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन	.. (स्वीकृत)	..	१८७
अनुदान संख्या १८—पुलिस	.. (स्वीकृत)	..	१८७
अनुदान संख्या १९—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य कलाप (स्वीकृत)		..	१८७
अनुदान संख्या २०—शिक्षा	.. (स्वीकृत)	..	१८७
अनुदान संख्या २१—चिकित्सा	.. (स्वीकृत)	..	१८७
अनुदान संख्या २२—जन स्वास्थ्य	.. (स्वीकृत)	..	१८८
अनुदान संख्या २७—सहकारिता	.. (स्वीकृत)	..	१८८
अनुदान संख्या २८—उद्योग	.. (स्वीकृत)	..	१८८
अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवा योजना	.. (स्वीकृत)	..	१८८–१९२
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	.. .. (स्वीकृत)	..	१९२
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायता अनुदान	.. .. (स्वीकृत)	..	१९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ३ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नारराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीससेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह महता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्री

अध्यक्ष विधान सभा प्रदेश

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वित्त, मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री श्री अलगूराय शास्त्री तथा स्वशासन मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा भी उपस्थित थे ।

आश्वासन समिति का १२वां प्रतिवेदन†

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का १२ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों से संबंधित है जो सरकार द्वारा १९५८ में दिये गये थे और जो तृतीय और चतुर्थ प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे । यह अभी मुद्रणालय से मुद्रित होकर नहीं आया है और अभी मुद्रणालय में है । इसके मुद्रित हो कर आ जाने पर माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया जायगा । मैं एक बार इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा कि यह अभी तक मुद्रित नहीं हो पाया । इसलिये इसकी पाण्डुलिपि सदन की मेज पर रखी गई है और जब यह छपकर आ जायगा तो माननीय सदस्यों को इसकी मुद्रित प्रतिलिपि वितरित कर दी जायगी ।

समाचार-पत्रों में मंत्रिमंडल द्वारा विधान सभा का अधिवेशन बुलाने पर आपत्ति

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, मैं उसकी जानकारी कर लेना चाहता हूं । मैंने अखबार में देखा है कि यह सेशन कैबिनेट ने बुलाया है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप अखबार की बात कर रहे हैं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---रेडियो से भी यही सूचना प्रसारित हुई थी । यह तो अखबार नहीं है । कैबिनेट को सेशन बुलाने का कोई अख्तियार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें अखबार वालों ने गलती की है । बैठक बुलाने का अध्यक्ष को अधिकार है और उसी के अधिकार से आपको सूचना मिली होगी । अखबारों में भिन्न बात छप गयी तो गलत छप गयी । मैं समझता हूं कि अखबार वालों को इस बात का खयाल रखना चाहिये । अगर रेडियो से भी यह समाचार प्रसारित हुआ है तो उसने भी गलती की है और उसे भी केअरफुल रहना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उन्हें भी जो खबर दफ्तर से भेजी जाय उसकी सही सूचना दफ्तर दिया करे यह हिदायत देना चाहिये । अध्यक्ष की अनुमति से यह बैठक हुई है, मुझ से मुख्य मंत्री जी ने पूछा था कि दो तारीख से सेशन करना है, तो मेरी स्वीकृति के बाद ही यह निर्णय हुआ है ।

---

†छापा नहीं गया ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अनुसार सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये जो प्रश्न थे उनमें से एक माननीय गेंदासिंह जी का यह है कि---

"देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पर काम करने वाले २० हजार के लगभग मजदूरों को चार सप्ताह से मजदूरी नहीं दी गई है। यह नियम विरुद्ध होते हुये अमानवीय कार्य है। उन्हें शीघ्र मजदूरी दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकी है ?"

माननीय संबंधित मंत्री जी इसको बतायें।

दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर होने वाला धूर धारा का निर्णय नियमानुसार प्रति वर्ष की अस्थायी सीमा निर्धारित करना है पिछले वर्ष यह धूरधारा का निर्णय न हो सकने के कारण कई स्थानों पर बलवे और हत्यायें हुई हैं। इस वर्ष भी नियमानुसार अब तक धूर धारा का निर्णय न हो सकने के कारण हजारों एकड़ रबी की फसल बरबाद होने, बलवे तथा हत्याओं का भय लोगों में उत्पन्न होने के कारण गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका मालूम होती है।

यह माननीय गौरीशंकर राय जी का है। इन दोनों के ऊपर माननीय मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---दोनों के जवाब आज तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें इत्तला मंगानी पड़ेगी। सोमवार और मंगल को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं पहले से ही गन्ने की पिराई के संबंध में नोटिस दे रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष---पहले भी इसके बारे में बहस हो चुकी है।

श्री रामायणराय---बहस का सवाल नहीं है श्रीमन्, तीन-चौथाई सीजन बीत गया है ....

श्री अध्यक्ष---जब सवाल उठेगा तो जवाब मिल जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आजमगढ़ में भी जब से टेस्ट वर्क शुरू हुआ है मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इसलिये देवरिया के साथ-साथ आजमगढ़ को भी शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं आजमगढ़ इसमें जोड़ नहीं सकता हूं। आप मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर दें। अगर वह जवाब देना चाहें तो दे दें।

हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य के कार्य-काल में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---अब मैं सूचना देना चाहता हूं।

हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन सदन द्वारा किया जाता है। सदन ने २३ फरवरी, १९६१, को श्री एस० जी० दत्त, एम० एल० ए० को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया था। उस समय उक्त समिति का कार्य-काल ३१ जुलाई, १९६१ तक था। अब श्री राज्यपाल ने उक्त परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ा दिया है जब तक उक्त इंस्टीट्यूट के लिए एक नयी समिति का निर्माण न हो जाय।

अतः यह प्रश्न सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है कि श्री एस० जी० दत्त को उक्त परामर्शदात्री समिति में तब तक कार्य करने के लिए सहमति दी जाय, जब तक कि नयी परामर्शदात्री समिति का निर्माण न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९६१–६२ के तृतीय अनपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—अब अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में आम बहस होनी है ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सारा वक्त आम विवाद में लगाया जाय । अन्त में आध घंटे का समय निकाल कर जिन अनुदानों पर विवाद नहीं करना है, उन पर राय ले लें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आध घंटे का समय कम रहेगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह—तो ४५ मिनट कर लें ।

श्री अध्यक्ष—४५ मिनट पर किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

हिन्दी संबंधी प्रस्ताव के संबंध में प्रार्थना

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—जिस समय असेम्बली उठी थी उसके बाद हिन्दी वाला प्रस्ताव आने वाला था । उस समय सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था । मैं कोई विशेष रूल तो इसके लिए नहीं पा सका, जो मुझे मिला है वह यह है कि अगर किसी प्राइवेट मेम्बर का कोई प्रस्ताव आने वाला हो और सदन स्थगित हो जाय, तो सदन जब बैठेगा तो उसको प्रायरिटी मिलेगी । तो आज बिजिनेस होने वाला है ।

श्री अध्यक्ष—मेरे दफ्तर में आ कर बात करें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—आप देख लें लंच के समय । उस समय बिजिनेस को आ जाना चाहिये । वह टालने वाला बिजिनेस नहीं है । सब लोगों ने उसकी महत्ता को स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष—मैं तत्काल निर्णय नहीं दे सकता । यह देखने की बात है कि उस रोज क्या हुआ ।

१९६१–६२ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में तृतीय अनुपूरक बजट हमारे सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है । इस बजट के आधार पर हम से यह अपेक्षा की गयी है कि हम ११ करोड़ ४६ लाख १२ हजार २०० रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार को अधिकृत करें ।

सबसे पहले तो हमें यह बात देखनी है कि पहली बार हमारे सदन में तीसरा अनुपूरक बजट आ रहा है । आज तक सदन के इतिहास में तीसरा अनुपूरक बजट कभी पेश नहीं किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इससे एक नयी समस्या सदन के इतिहास में वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में उपस्थित हो रही है क्योंकि अनुपूरक बजट वित्तीय प्रणाली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उससे यही साबित होता है कि हमारी एस्टीमेट्स बनाने की शक्ति में कितनी कमियां हैं। पहले तो साल में एकही अनुपूरक बजट पेश होता था। फिर दो होने लगे और अब इस वर्ष तीसरा बजट भी पेश हो गया।

इस पर अवश्य विचार होना चाहिए कि प्लानिंग के जमाने में जब कि हमें यह मालूम है कि इस वर्ष नियोजन के अन्तर्गत हमें कितना रुपया व्यय करना है, जबकि पांच साल का प्लान्ड बजट हमारे सामने उपस्थित है, तो फिर क्या कारण है कि हम अपने एस्टीमेट्स इतने सही नहीं बना पाते और तीन तीन अनुपूरक बजट हमें एक प्लान्ड बजट को पूरा करने के लिये प्रस्तुत करने पड़े? नान-प्लान्ड आइटम्स जो हैं उनमें तो व्यय सीमित है, क्योंकि उसमें तो एस्टैब्लिशमेंट वगैरह का खर्चा या वह खर्चा जो कि अनिवार्य है जिसे रोका नहीं जा सकता, वही खर्च आता है। तो नान प्लान्ड आइटम्स में तो वह आता है और प्लान्ड आइटम्स पहले से निश्चित हैं। तो प्लान्ड आइटम्स के निश्चित होते हुये भी तीन-तीन अनुपूरक बजट और एक मुख्य बजट यानी कि चार बजटों का आना, यह एक सोचने लायक बात है। मैं जानता हूं कि वित्तीय नियमों में बड़ी कमियां हैं, उनको हम अभी दूर नहीं कर सके हैं और उन वित्तीय नियमों के रहते पूरक बजटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो कल को चार चार और पांच पांच अनुपूरक बजट पेश होने लगेंगे अगर यह पद्धति जारी रही, इसलिये इस को हमें रोकना है।

दूसरी बात श्रीमन् यह है कि इस पूरक बजट से जो दूसरे अनुपूरक बजट में कुछ बातें मान ली गई थीं उनकी अवहेलना हो रही है। दूसरे अनुपूरक बजट में जो कि नवम्बर में पेश किया गया था यह कहा गया था कि हम सिंकिंग फंड में इतना रुपया डालेंगे और १०० रुपये का टोकेन अनुदान उसके लिये मंजूर किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि हमारी जो बचत होगी वह रुपया हम इस सिंकिंग फंड में डालेंगे गवर्नमेंट आफ इंडिया का रुपया अदा करने के लिये। लेकिन लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये का घाटा इस साल के बजट में होने जा रहा है जिसकी पूर्ति रेवेन्यू रिजर्वफंड से की जायगी। तो इससे यह मालूम होता है कि नवम्बर के महीने में जब कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हमारे सामने आ जाते हैं उस समय भी हमारे विभागों को यह पता नहीं था कि इस साल हमारा बजट डेफिसिट होने वाला है या सरप्लस होने वाला है। नवम्बर के महीने में तो सरकार यह अन्दाजा लगाती है कि हमारा सरप्लस बजट होगा और इसलिये १०० रुपये टोकेन के तौर पर सिंकिंग फंड में डालने के लिये रखा गया था। लेकिन आज यह मालूम होता है कि साढ़े चार करोड़ का डेफिसिट बजट होने वाला है। तो इससे भी यह हालात मालूम होते हैं कि विभागों को अपने आन्तरिक बजट के सन्तुलन का भी अन्दाज नहीं रहता और वह अपने एस्टीमेट्स ठीक से नहीं लगा पाते।

तीसरी बात श्रीमन्, जो इस बजट में दिखाई दे रही है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे वित्त विभाग के सुयोग्य व्यक्तियों ने कैसे इन बातों को स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसे नये आइटम्स इसमें रख गये हैं जो कि भारतीय संविधान के हिसाब से भी गलत हैं और मैं यह चाहूंगा कि आप इस बारे में अपनी व्यवस्था भी दें ताकि यह गलती बाद को न हो सके। श्रीमन्, ग्रान्ट नम्बर ९ को जरा देखने का कष्ट करें। इसमें १०० रुपया टोकेन मांगा गया है मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मुताबिक नया स्टाफ रखने के लिये। तो आश्चर्य यह है कि एक सप्लीमेन्ट्री बजट आता है सप्लीमेंट करने के लिये इस साल के खर्चे को, अगर कोई खर्चा ज्यादा इस वर्ष हो रहा है तो सप्लीमेन्टरी उसके लिये मांगा जाता है। लेकिन यह एक नयी पद्धति अपनायी जा रही है। मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के मुताबिक नये कर्मचारियों को रखने के लिये अगले वर्ष के लिये इस वर्ष रुपया मांगा जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है श्रीमन "No expenditure is actually

involved in the current financial year.." यानी इस वर्ष में तो एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, अगले वर्ष खर्च होगा। तो कांस्टीट्यूशन की भी यह अवहेलना है और मैं चाहूंगा कि इस परम्परा को भविष्य के लिये रोका जाय। अगर अगले वर्ष के लिये इस वर्ष रुपया मांगना था और इस वर्ष कोई रुपया खर्च नहीं होना था तो कंटिंजेंसी फंड से रुपया ले लिया जाता और अगले वर्ष खर्च किया जाता। यह तरीका नहीं है कि इस वर्ष के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स में इसके लिये रुपया मांग लिया जाय जब कि इस वर्ष उसके लिये कोई खर्च होना नहीं है।

चौथी बात, श्रीमन्, जिसे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती है और इसके लिये इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिये और उसमें सदन की इजाजत का तो सवाल ही नहीं, इसके लिये तो हमारा संविधान भी इजाजत नहीं देता, संविधान में लिखा है कि कोई भी पैसा कंसालिडेटेड फंड से खर्च नहीं किया जायगा जब तक कि उसकी मंजूरी इस सदन के द्वारा न ली जाय। या कंटिंजेंसी फंड से रुपया एडवांस ले लिया जाय और खर्च किया जाय अथवा यहां से उसके लिये पहले से मंजूरी ली जाय। लेकिन इस अनुपूरक बजट में दो चार मदें ऐसी हैं कि जिन में खर्च हो चुका है और कंटिंजेंसी फंड से रुपया ड्रा नहीं किया गया है और उसे रिकूप करने के लिये हम से कहा जा रहा है। जैसे २५ लाख रुपया सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिये मांगा गया है जो खर्च हो चुका है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि जहां बाढ़ से हानि हुई है वहां मरम्मत की जाय, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हम देखते हैं कि रुपया खर्च हो चुका और वह कंटिंजेंसी फंड से लिया नहीं गया और खर्च होने के बाद आज हम से कहा जा रहा है कि इस रुपये की मंजूरी हो। किस अधिकार से पी० डब्ल्यू० डी० या इरिगेशन विभाग ने इस रुपये को खर्च किया, यह मैं जानना चाहता हूं।

इसी प्रकार दो-तीन और छोटे आइटम्स भी हैं, जैसे गवर्नर के ए० डी० सी० को एक्सेस टी० ए० दिया गया या १,००० रुपया कोर्ट के एवार्ड का दिया गया। जब बजट में प्राविधान नहीं था तो इस रुपये का भुगतान कैसे किया गया? यह बातें पहले के अनुपूरक बजटों में नहीं थीं। आज रुख हम को इस प्रकार का दिखलाई दे रहा है कि जिस से बुनियादी वित्तीय नियमों की अवहेलना होती है। हमारा रुख उसी ओर है। इसे हमें रोकना है और इस सदन का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि भारतीय संविधान में जो बुनियादी वित्तीय नियम निर्धारित किये गये हैं उनकी अवहेलना न हो। जहां हमें एक ओर छोटे मोटे वित्तीय नियमों को बदलने की आवश्यकता है वहां जो बुनियादी वित्तीय नियम हैं उनकी अवहेलना को रोकने की भी आवश्यकता है।

इसी प्रकार कुछ ऐसे प्राक्कलनों की व्यवस्था की गयी है जिनकी गुंजायश मुख्य बजट में होनी चाहिये थी। जैसे पुलिस और वन विभाग की तनख्वाहों के बारे में किया गया है कि जो ऐक्चुअल्स होने चाहिये थे उन पर यह एस्टीमेट्स मांग रखे गये हैं। क्या हम यह समझें कि पुलिस और वन विभाग अपना साधारण एस्टीमेट भी नहीं लगा सकते कि हमारे यहां कितना स्टाफ है और उसकी तनख्वाह साल भर में कितनी होगी? मैं उन कारणों को जानना चाहूंगा जिससे कि इस्टैब्लिशमेंट का जो साधारण खर्च है उसके भी सही प्राक्कलन नहीं लगाये जा सके। सब को मालूम है कि पुलिस विभाग में इतने कांस्टेब्लिस हैं, इतने इंस्पेक्टर, सब इन्सपेक्टर हैं और उनकी तनख्वाह का साधारण व्यय इतना होना चाहिये। वन विभाग का डी० ए० तक का खर्च नहीं किया गया है। जब मालूम है कि हमने डी० ए० बढ़ा दिया है और उसे बढ़े हुए डेढ़ साल हो चुका है, तो क्या कारण है कि मुख्य बजट में उसका प्राविधान नहीं किया गया और आज तीसरे अनुपूरक बजट में उसके लिये व्यवस्था की जा रही है। यह सोचने की बात है।

इसी प्रकार कुम्भ मेले के संबंध में तीन-तीन और चार-चार बार बजट में हम से रुपया मांगा जा चुका है। सब को मालूम है कि यह मेला हरिद्वार में सन् १९६२ में होने जा रहा है। पहले भी इस प्रकार के मेलों के लिये खर्च किया गया है और हर एक को मालूम है कि इस प्रकार के मेले में पुलिस तथा नियंत्रण आदि के लिये क्या क्या खर्च की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी कुम्भ मेले के संबंध में तीन बार लगातार अनुपूरक बजटों द्वारा उन्हीं धनराशियों के संबंध में धनराशि मांगी जा रही है जो कि पहले मांगी जा चुकी हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसी प्रकार चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के खर्चे को देखिये, चाहे सिंचाई विभाग के लेड एक्वीजीशन स्टाफ के खर्चे के संबंध में देखिये, चाहे हाई कोर्ट के स्टाफ के डीयरनेस एलाउन्स के संबंध में देखिये, यही सब बातें देखने को मिलेंगी। लिखा गया है कि उनके बारे में कोई प्राविधान नहीं हुआ है। क्यों? शिक्षा विभाग में तो २ करोड़ ४६ लाख रुपये का और अनुदान मांगा जा रहा है और उसका कारण यह बताया जा रहा है कि जो ग्रान्ट्स-इन-एड होती है उसका प्राविधान पहले नहीं था। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ग्रान्ट्स-इन-एड देना शिक्षा विभाग का साधारण कार्य है, यह कोई असाधारण कार्य नहीं है। नियमों के अनुसार भी शिक्षा संस्थाओं को ग्रान्ट्स-इन-एड दी ही जाती है। फिर ऐसा क्यों है? इस पर सोचने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिये वित्त विभाग ही दोषी है। अगर शिक्षा विभाग प्राक्कलन नहीं बना सकता तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कम से कम इस बारे में अलग से कोई अपनी सफाई तो दें। २ करोड़ ४९ लाख रुपये का अनुदान लोकल बाडीज को प्राइमरी एजूकेशन के बारे में दिया जाना था और उसका कारण था कि जो महंगाई भत्ता सन् १९६२ से दिया जाना था वह नहीं दिया जा सका। इसका पूरा ब्यौरा तक हमारे सामने नहीं है कि वह २ करोड़ ४९ लाख रुपये का भुगतान किन-किन संस्थाओं को और किन-किन मदों में किया जायगा। कोई इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है।

साथ ही साथ इसमें लिखा है कि पहले २ हजार ५०० स्कूल खोलने की योजना थी और अब इस वर्ष उनकी संख्या ५,००० कर दी गयी है. यानी जो स्कूल दो तीन साल में खोले जाने थे वे एक ही साल में खोल दिये जायेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है? अभी बहुत से स्कूल हाल ही में खोले गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह ठीक नहीं है, या नहीं खुलने चाहिये थे। मैं इसे कोई शिकायत के तौर पर नहीं कहता, लेकिन उसके कारण क्या हैं यह हमें देखना चाहिये। अगर इसी तरह से हमारे नियोजन में असंतुलन होता रहा और जो काम हमें ३ साल में या ५ साल में करने हैं उन्हें हमने एक ही साल में किया और जो काम एक ही साल में होने चाहिये उन्हें ५ सालों में भी न किया तो उससे कोई लांग टर्म प्लानिंग के हिसाब से कार्य होने वाला नहीं है और हमारा नियोजन सफल नहीं होगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि जो स्कूल ४, ५ साल में खुलने चाहिये थे वे एक ही साल में खुल गये, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से प्रेरित होकर ऐसा किया गया, हमें उन कारणों को देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्यों हमने नियोजन की सामान्य गति को छोड़कर असामान्य गति को स्वीकार किया।

इसी तरह से यूनिवर्सिटियों का मामला है। कहा गया है कि यूनिवर्सिटियों में जो घाटा है उसको पूरा करने के लिये कर्जा और ग्रान्ट्स देनी पड़ीं। यहां पर यूनीवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। वह रिपोर्ट हमारे सामने है भी नहीं। शायद वह बाद में पेश की जायेगी। लेकिन देखना यह है कि यह जो घाटा उनका है यह कोई नयी चीज नहीं है जो आज हमारे सामने आई हो और कम से कम इसी स्पष्टीकरण में लिखा है कि इस घाटे के संबंध में, इन योजनाओं के संबंध में, सरकार को कम से कम जानकारी वर्ष के शुरू में ही हो गयी थी। फिर इसको इस तीसरे अनुपूरक बजट में शामिल क्यों किया गया है, यह कहां तक उचित है? मैं यह नहीं कहता कि उनका घाटा पूरा न किया जाय। बल्कि हमारा तो यह विचार है कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के मातहत अलग से एक फंड बनाया जाय क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा नियन्त्रण यूनिवर्सिटियों पर है। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को देखते हुये हमें सोचना पड़ेगा कि हम इन विश्वविद्यालयों के वार्षिक घाटों को कैसे पूरा कर सकें और कौन-सी प्रणाली हो। यूनिवर्सिटी कमीशन में शायद इन सब का उल्लेख होगा। जहां तक घाटों को पूरा करने की बात है उसका हम स्वागत करते हैं कि यूनिवर्सिटियों की आवश्यकताओं की ओर हमारा ध्यान गया, लेकिन किन परिस्थितियों में इनको पूरा किया जाता है उसका विश्लेषण करना होगा। हमको यूनिवर्सिटियों को मोहताज नहीं बनाना है लेकिन ऐसा वातावरण भी पैदा नहीं करना है जिससे यह समझा जाय कि हम उनकी कमी ऐसे मौके पर पूरा करते हैं

जब कि वे बिलकुल परेशान होकर अपनी स्वायत्तता को भी हमें समर्पित करने को उद्यत हो जायं। इस विषय में हमें जरूर विचार करना होगा।

इस बजट में दो तीन अच्छे अनुदानों की मांग भी की गयी हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, जैसे गोरखपुर में टेक्निकल इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना और ललित कला अकादमी जहां पर पेंटिंग की प्राप्तियां हैं उनका संकलन होगा। इन दो-तीन अनुदानों में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यतः यह सारा बजट ऐसे आइटमों से ओत-प्रोत है जिनको साधारणतया मुख्य बजट में आ जाना चाहिये था, या दूसरे अनुपूरक बजटों में आ जाना चाहिये था और सामान्यतः मुख्य बजट के प्राक्कलनों में इसका हिस्सा होना चाहिये था।

इसके साथ-साथ जो इसमें व्यवस्था की गयी है, उचन्त, सस्पेंस के संबंध में, उसका तरीका तो अच्छा है। उससे हमें जानकारी होती है कि हमारे जो सार्वजनिक निर्माण कार्य हैं उनमें कितना स्टाक में सामान आता है, डेबिट-क्रेडिट एंट्रीज दोनों मालूम होती रहती हैं, लेकिन इस प्रकार से हेड का अधिक नियंत्रण होना अत्यन्त आवश्यक है, इस ओर विभाग का ध्यान नहीं है। यह खुशी की बात है कि वित्त विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन अनुपूरक अनुदानों के जरिये से सस्पेंस हैंड की पूर्ति करना अच्छा नहीं लगता। हमें पहले से अन्दाज लगाना होगा इस प्लानिंग के जमाने में कि कितना सीमेंट, कितना लोहा, कितने सामान की हमें आवश्यकता है अपने निर्माण कार्यों को चलाने के लिये, जिनकी व्यवस्था हमें पहले से करनी होगी। आज यह हो रहा है कि जिस प्रकार से सस्पेंस एकाउंट रिफ्लेक्ट होता है इससे बजट का सही चित्रण उपस्थित नहीं होता और एक बजेटरी असंतुलन, सस्पेंस हेड का गलत ढंग से या अधूरे ढंग से आपरेशन हमारे सन्मुख आता है। इस दृष्टिकोण से भी हमें इस अनुपूरक अनुदान पर विचार करना होगा।

फेमिन रिलीफ फंड की कमी की पूर्ति करने के लिये ६५ लाख रुपये की मांग की गयी है। अभी कुछ दिन हुये एक अधिनियम हमने पास किया था जिसका मतलब था कि ५० लाख रुपये इस फेमिन रिलीफ फंड में सालाना रखे जाने थे। मैंने उस समय भी सुझाव दिया था कि जो हमारे प्रदेश में परिस्थितियां हैं उसमें ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष रखे जाने से काम बनने वाला नहीं है, कम से कम एक करोड़ रुपया सालाना फेमिन रिलीफ फंड में रखना होगा। वह बात आज सही हो रही है और इस अनुपूरक बजट के द्वारा सरकार को इस बात का प्राविधान करना आवश्यक हो गया है कि ६५ लाख रुपया उस फेमिन रिलीफ फंड में वह देने वाले हैं। काश, सरकार उस समय हमारे सुझाव को मान लेती और जो वास्तविकता है इस प्रदेश में, कि बाढ़, सूखा और इसी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से जो सरकार को वार्षिक खर्च करना पड़ रहा है उसका औसत एक करोड़ रूपये से भी कहीं अधिक है तो फेमिन रेलीफ फंड में एक साल में ५० लाख रुपये का रखा जाना, वास्तविकताओं से अपने को अपरिचित रखना है। शायद अगली सरकार इस संबंध में सोचेगी, लेकिन अनुपूरक बजट इसका साक्षी है कि दुर्भिक्ष सहायता संबंधी आवश्यकताओं का प्राक्कलन सही रूप से विभाग नहीं कर सके हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जो भी सरकार बने वह इस विषय पर ध्यान देगी।

अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। अनुपूरक बजट के संबंध में माननीय वित्त मंत्री ने और वित्त सचिव महोदय ने जो हमारे सामने विवरण प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूं यह वर्ष चुनाव का वर्ष होने के कारण शायद विभागों ने अपने विवरण देने की उतनी तत्परता नहीं दिखाई जितनी कि हर साल होती है, हालांकि वह चुनाव में व्यस्त नहीं थे। जहां तक मंत्रि मंडल का सवाल है वह स्वयं विवरणों को देखने में उतना समय नहीं लगा सका होगा जितना कि लगाना चाहिये था। इसलिये यह कमी अवश्य है कि जितना ब्यौरा हमको इन अनुपूरक अनुदानों के विवरण में मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। यह शिकायत हम सबको इसलिये भी नहीं हो सकती क्योंकि यह चुनाव का वर्ष था, लेकिन विभागों को कम से कम अपनी परिपाटी को नहीं छोड़ना चाहिये था। उन्हें वित्तीय नियमों के अनुसार पूरी जानकारी हमें देनी चाहिये थी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और बहुत सी मदें तो इसमें ऐसी हैं जिनका कोई विवरण है ही नहीं जबकि बजट मैनुअल में सब जगह लिखा हुआ है कि किस मद में कितना व्यय होगा, इसका पूरा ब्यौरा होना चाहिये जब कि इसमें केवल एक टोटल दे दिया गया है, जोड़ के रूप में और उसका ब्रेक-अप कि किसमें कितना खर्च होगा, इसका कोई पता नहीं। तो कम से कम विभाग को सामान्य विवरण देना ही चाहिये था।

इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक बजट के संबंध में मैं यही निवेदन करूंगा कि भविष्य में यदि इस तीसरे अनुपूरक बजट की परिपाटी को बन्द कर दें तो अच्छा होगा। जितने ही कम अनुपूरक बजट आयें उतना ही अच्छा है। फ्लान्ड एकोनामी में तो हमें आज ही यह मालूम हुआ है कि सन् १९६६ में कितना खर्चा होगा। अब इतनी जानकारी के बावजूद भी यदि तीन-चार अनुपूरक बजट लाने पड़ें एक साल में तो वह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे आशा है कि यह सरकार तो नहीं, लेकिन अगली सरकार जिसमें मौजूदा मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री रहेंगे, वह इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय मंत्री जी द्वारा जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने प्रस्तुत है उसका स्वागत करना चाहता हूं। जब मैं इसका स्वागत कर रहा हूं तो मेरा दिमाग इस मामले में बिलकुल साफ है कि अगर सरकार, आज के युग में जबकि हम विकास की तरफ चल रहे हैं, एक साल में तीन दफे भी सप्लीमेन्टरी बजट लाकर रुपये की मांग करती है तो वह अपनी जगह पर बिलकुल वाजिब है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर, माननीय तिवारी जी ने यह आक्षेप किया कि पहले एक दफा ही सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मांगी जाती थी, फिर दो बार मांगने का सिस्टम चला और अब तीन बार सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लाने का सिस्टम सरकार ने चलाया है। मैं समझता हूं कि वह इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि यह प्लानिंग का युग है और हमारे प्लान्स पांच साल के लिये बन जाते हैं, लेकिन जब हम उन प्लान्स को कार्यरूप में परिणत करते हैं तो उस समय किन्हीं कठिनाइयों के कारण, चाहे ईंटा न मिलने के कारण या और मेटीरियल न मिलने के कारण या फारेन एक्सचेंज की दिक्कत के कारण यदि एक साल का काम दूसरे साल में पूरा करना पड़े तो वह वाजिब ही होगा कि सरकार उसको पूरा करे। इसमें बेईमानी क्या है? जब माननीय नारायणदत्त तिवारी जी कहते हैं कि हमारी प्लान पूरी होनी चाहिये, लेकिन जब हमने उनको पूरा करने का प्रयत्न किया है और जब सरकार उसके लिये रुपया मांगती है तो उसको देने में हमको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, उसको देने में क्या फाइनेंशियल डिफीकल्टी हो सकती है। इस विषय में माननीय सदस्यों का दिमाग बिलकुल साफ होना चाहिये कि जब हम अपने प्रदेश को ऊपर उठाने जा रहे हैं तो उसके काम करने में जो भी छोटी-मोटी रुकावटें आयें उनको दूर करने के लिये सरकार के हाथ हम लोगों को खुले रखने चाहिये।

इसके अलावा माननीय तिवारी जी ने दो एक बातों को कह कर तो वाकई ज्यादती की है। जैसे पुलिस के बारे में इसमें सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मांगी गयी है। यह सबको विदित है कि पिछला साल पुलिस के जीवन में आमूल परिवर्तन लाने वाला रहा है। जिसके लिये हमने पुलिस आयोग की स्थापना की थी और वह इस सदन की मांग पर ही की थी। उसकी सिफारिश पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में पुलिस के बारे में सबसे बड़े कदम उठाये हैं। उन कदमों के उठाने से पुलिस में आमूल परिवर्तन हुआ है और मैं समझता हूं कि समाज के जीवन में १–२ साल में उसका असर अवश्य पड़ेगा और भविष्य में जो पुलिस हमारे यहां होगी वह जनता के जीवन के अधिक निकट होगी। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों में जो बेचैनी थी वह भी दूर हो गयी है और उसी बेचैनी का एक कारण था कि पिछले वर्षों में पुलिस के कुछ लोगों ने उसके डिसिप्लिन को तोड़ने का प्रयत्न किया था और सत्याग्रह किया था। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये पुलिस कमीशन की स्थापना की गयी और उसकी सिफारिशों पर

उनकी तनख्वाहों में बत्तड़ोरी की गयी। जब एक ओर सदन की ओर से शान्ति और व्यवस्था की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि गुन्डों का दमन किया जाय और उसके लिये पुलिस फोर्स को बढ़ाने की मांग की जाती है तो उसके लिये हमें रुपया देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही। सिंचाई विभाग के जरिये बड़े-बड़े काम किये गये। होने भी चाहिये थे। लेकिन उसका एस्टीमेट फाईनेन्स विभाग को पहले से ही बना लेना चाहिये था। मैं नहीं समझ पाया कि जब कोई बड़ा पुल सिंचाई विभाग ने बनाया या पी० डब्ल्यू० डी० ने कोई सड़क बनाई और पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिये दी तो उसने क्या गुनाह कर दिया जिसके लिये पी० डब्ल्यू डी०, मिनिस्टर या सरकार की आलोचना की जाती है। हां, अगर वह रुपया पहले से ले लिया होता, उसको इस्तेमाल न कर लिया होता या गबन हो गया होता तब तो अवश्य ही अलोचना का विषय हो सकता था। मैं समझता हूं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिये आलोचना करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक छोटी-सी बात है, पुल पहले बन गया, यह एक बड़ा काम हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, बात केवल इतनी है कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने पहले से उसका एस्टीमेट नहीं बनाया था और अब उस खर्च किये हुये रुपये का ऐडजस्टमेंट मांगा जा रहा है, यह कोई अनुचित बात नहीं है।

और भी छोटी-छोटी-सी मदें हैं---जैसे कि आप देखें कि न्याय प्रशासन की मद के लिये वित्त मंत्री जी ने कुछ रुपया मांगा है। अगर देखा जाय तो यह वाजिबी बात है। समाज में अगर लोगों को न्याय नही मिलता, या न्याय मिलने में देरी या दिक्कत होती है तो ऐसे न्याय से तो बे न्याय ही भला होता है। अगर सरकार की कोशिश है कि न्याय मांगने वालों को शीघ्र ही न्याय मिले, शीघ्र ही इन्साफ हो, अदालतों की बढ़ोत्तरी हो, अधिक समय फैसलों में न लगे तो अगर ऐसे आवश्यक कार्य के लिये रुपया मांगा जा रहा है तो क्या बेजा है। मैं समझता हूं कि यह जो पूरक अनुदानों की सूची हमारे सामने पेश है, इसकी अगर एक-एक मद को देखा जाय तो इसमें कोई गलत या बेजा बात नहीं है और न कोई ऐसी बात है कि जिसको देख कर हम अनियमित या बेजा इस्तेमाल की संज्ञा दे सकें। वह बात दूसरी है कि जब हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य आलोचना करना चाहते हैं तो उन्हें आलोचना करने का अधिकार तो हर जगह है, कोई आदमी साफ सुथरा खड़ा है उसको भी कहा जा सकता है कि तुम्हारे फलां जगह दाग है और इसका कोई जवाब भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर संजीदगी से देखा जाय तो हम से यह ११ करोड़ रुपया जो मांगा जा रहा है वह ऐसा नहीं है कि जिसको सदन न दे, मैं समझता हूं कि यह मांग बिलकुल वाजबी है।

इस में आप एक्साइज विभाग की मांग को ही देखें, इसमें कोई बड़े काम किये गये हैं। ऐसा लगता है कि इसमें एक तरफ तो शराब बन्दी की बात है और दूसरी तरफ आप यह भी नहीं चाहते कि एक्साइज का पैसा भी कम हो। अगर इन दोनों प्रयासों का संतुलन करें तो कुछ कर्मचारियों को निगरानी के लिये बढ़ाया गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाहे विरोधी दल के लोग हों या हमारी तरफ के सदस्य हों सभी इस बात को देखेंगे कि यह वाजिब है और इसी तरह से अगर इस बजट की हर मद को देखा जाय, गंभीरता के साथ देखा जाय तो यह आवश्यक है और स्वीकृति के योग्य है।

आज प्लानिंग का युग है, ऐसे जमाने में तो ऐसा होगा ही। अगर हम किसी खास जमाने में कोई फिक्स खर्च चलाते हैं, अगर हमें एक मील जाना है और तय किया कि एक मील में एक पया खर्च करेंगे तो प्लानिंग के जमाने में जबकि हम अपने चारों तरफ कमजोरियां देखते हैं और जब हम उनसे लड़ने के लिये तैयार हैं, जनता की गरीबी दूर करने के लिये, जनता के जीवन को बदलने के लिये जब हम तैयार हैं तो यह कहां तक उचित होगा कि हम सरकार के रास्ते में अड़ंगेबाजी पैदा करें और इस प्रकार की कटु आलोचना करें। यहां तक तो उचित है कि सदन सरकार के खर्चों पर निगरानी रखे और यह देखता रहे कि धन का कहीं अपव्यय या बेजा प्रयोग तो नहीं हो रहा है या सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण ढीला तो नहीं हो रहा है। अगर हम चार करोड़ रुपया संचित निधि से लेकर बाद में जमा कर

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

देते हैं और अपना काम नहीं करने देते हैं तो इसमें क्या ज्यादती है ? इन्हीं मोटी मोटी बातों पर मैं आप के द्वारा रोशनी डालना चाहता था। मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। अभी यह चुनाव दौरान गुजरा है। शायद हममें से बहुत से लोगों को इस असेम्बली में बैठने का हक प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं भी उनमें से एक हूं। म आप से यह प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसी नीति इस सदन से बननी चाहिये जिससे इस इलेक्शन में जो जाति-पांति का भेदभाव बहुत अधिक देखने को मिला है, उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाय। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में गुन्डागिरी बहुत बढ़ रही है। इसको दबाने के लिये अगर इस सदन ने कोशिश न की तो सामाजिक जीवन में बड़े डिस्टरबेंसेज पैदा होंगे। मैं खुले तौर से कहना चाहता हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है कि इन बातों को दबाने के लिये इस सदन को और आप को पूरी तौर से कोशिश करनी चाहिये।

आखिर में मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं और जो रुपया खर्च होने वाला है उसके लिये सहूलियत पैदा की जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब समय निर्धारित कर देना चाहिये। पार्टी के नेताओं के लिये १५ मिनट और बाकी सदस्यों के लिये १० मिनट से अधिक समय नहीं होगा।

(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट से) आप तो जनसंघ की तरफ से बोल रहे हैं, नेता की हैसियत से। आप १५ मिनट ले सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद खास तौर से इन सदस्यों को, जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त नहीं हो सका, बोलना कुछ ऐसा लगता है कि गले में कुछ चीज अटक-सी गयी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यहां पर बोलने का अधिकार उसी को है जिसे जनता का स्पष्ट मत प्राप्त हो। परन्तु कुछ व्यावहारिक कारणों से.....

श्री अध्यक्ष---आप अपने को ही कांट्रेडिक्ट कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं अपनी ही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अप्रासांगिक है। पुरानी असेम्बली अभी चल रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---होना तो यह चाहिये था कि चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद हाउस को डिजाल्व हो जाना चाहिये था। खाली दस्तूर अदा करना है। एक मौका होता है जनता की प्रिवेंसेज को पुट अप करने का, तो मैं भी उसका थोड़ा-सा सदुपयोग, आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं।

१५४ करोड़ का मूल बजट हमने पास किया था। उसके बाद करीब ३ करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया और अब १० करोड़ का अनुपूरक बजट फिर पास करने जा रहे हैं। इस तरह से १६७ करोड़ तक हमारा बजट चला गया है। अंग्रेजों के जाने के समय २०-२५ करोड़ का हमारा बजट था। सन् १९४७ से इस सरकार को १५ वर्ष हो गये हैं। आप देखेंगे कि हमारा टैक्सेशन इंतिहा दर्जे पर पहुंच गया है। अतएव इतनी बड़ी धनराशि को हैंडिल करने के लिये बड़ी सतर्कता तथा निष्पक्षता की जरूरत होगी। इसके लिये आवश्यक यह है कि जिनके हाथ में शासन की बागडोर रहे वह न सिर्फ जस्टिस करें, बल्कि इस तरह से शासन चलायें जिससे जनता को यह महसूस होता रहे कि जस्टिस है। निष्पक्षता तभी हो सकती है जब उसे बरता जाय।

सब से महत्वपूर्ण बात चुनाव के दौरान में पंडित नेहरू तथा अन्य नेताओं ने इस देश के तथा इस प्रदेश से यह कही थी कि चुनाव में निष्पक्षता बरती जायगी। सरकारी साधनों का प्रयोग नहीं होगा और नियोजन के जो कार्यकलाप हैं उनका कतई प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नियोजन का मामला ऐसा है जिसे राजनीतिक दलदल में डालना उचित नहीं होगा। अगर वह पैसा है स्टेट एक्सचेकर का तो उस पर कांग्रेस पक्ष का उतना ही अधिकार है जितना विरोधी पक्ष का। लेकिन हमने इस आम चुनाव में देखा कि इस सिद्धान्त को बालाय ताक रख कर इसकी खूब छीछालेदर की गयी। उदाहरण के लिये, श्रीमन्, सरकारी साधनों का इन चुनावों में खुल कर दुरुपयोग हुआ और मुझे तो अफसोस यह है कि ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां से कोई मंत्री लड़ रहे थे। श्रीमन् को सुन कर ताज्जुब होगा कि जौनपुर में २६ हजार वोटर बढ़ाये गये।

श्री अध्यक्ष—किसी खास चुनाव की आप आलोचना करें इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा जिसमें इलेक्शन पेटीशन हो सकता है और सब सबूत दिया जा सकता हो ऐसा विषय यहां पर नहीं आना चाहिये। सरकारी धन उपयोग में लाया गया, ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन जगह का नाम आप नहीं ले सकते, जनरल बात कह सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो श्रीमन्, ऐसा भी देखा गया कि २६–२६ हजार वोटर बढ़ाये गये और ऐसे बढ़ाये जिनमें से बहुत से पाकिस्तान चले गये थे, जो यहां रहते ही नहीं थे। इसके अलावा बहुत से अर्द्धसरकारी व सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि तुम छुट्टी पर चले जाओ और उनकी जगहों पर ३ हजार तक नए आदमी रखे गये। औरही एक ग्राम है, श्रीमन्, जहां कि धारा ३०२ ताजीरात हिन्द के मुकदमे में सजायाफ्ता आदमी को नौकरी दी गयी। इससे ज्यादा सरकारी साधनों का और दुरुपयोग क्या हो सकता है? सेल्स टैक्स अफसर तक का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा कि या तो तुम कांग्रेस को वोट दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर सेल्स टैक्स के नोटिसेज जनवरी और फरवरी में इतने ज्यादा इश्यू होंगे जितने पांच साल में कभी नहीं हुये। यही नहीं, जिलों में खुले आम गोलियां चलायी गयीं और विरोधी पक्ष के लोग मारे गये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बाद में घोषणा की कि हम न्यायिक जांचकरायेंगे, लेकिन आजतक वह नहीं हो पायी है। इतना ही नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर दिये गये क्योंकि वे विरोधी पक्ष के हाथ में थे जबकि उनके मुताल्लिक तीन बार पहले सुपरसेशन के आर्डर हाई कोर्ट से वेकेट हो गये थे। इसके अलावा वैसे तो रिटायरमेंट के लिये ५५ वर्ष की कैद लगायी गयी लेकिन जहां देखा कि फलां आदमी से इलेक्शन में कुछ काम बन सकता है उसको झट से एक्सटेन्शन दे दिया गया और बाकी लोगों को, चाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हों, रिटायर कर दिया गया इसी आदरणीय सदन में ऐसे दृष्टांत आ चुके हैं कि ६० वर्ष से ज्यादा के लोगों को इसलिये कि वे बड़े एक्सपर्ट हैं ६–६ वर्ष के एक्सटेंशन मिले हैं।

अब श्रीमन्, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी जो मोटर की परमिटें देती हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप बजट पर आ जायं तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं जनरल कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जनरल तो कह रहे हैं लेकिन एक ही बात तो कह रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उसी एक बात से सब की गड़बड़ी हुई है। वह बात कह कर मैं खत्म कर दूंगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह अपने सिर बीती बयान करते हैं या दुनिया भर की बात करते हैं?

श्री अध्यक्ष—अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अपनी ही पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि जो भी भुक्तभोगी हैं उनकी तरफ से सरकार ने क्या-क्या नाजायज काम किये हैं वह बता रहा हूं। मेरी बात माननीय मंत्री जी को जरा खली है। श्रीमन्, विरोधी पक्ष के ऊपर तो कांग्रेस ने कृपा की ही है, लेकिन अपनी ही पार्टी में जो दूसरे गुट के लोग थे उनको भी हराने की पूरी कोशिश की गयी। हजारों आदमियों को परमिट के प्रामिसेज कर दिये गये। आर० टी० ओज० की मीटिंगें पोस्टपोन कर दी गयीं और इलेक्शन के बाद लगायी गयीं ताकि बीच में अनगिनत प्रामिसेज किये जा सकें कि सबको परमिट मिलेगा। आज मेरे साथ ही ट्रेन में एक डिब्बे का डिब्बा दक्षिणा लेने वाले लोगों से भरा था, रानीखेत से आया है। इतना ही नहीं, श्रीमन्, अन्तरिम जिला परिषदों में सन् ४८ के छांटे हुये मेम्बर आजतक विद्यमान हैं। हम लोगों का टर्म तो पांच साल में खत्म हो जाता है, लेकिन उनका अभी तक चला आ रहा है। अल्मोड़ा जिले में सरकार पैसे का दुरुपयोग कर के.....

श्री अध्यक्ष—आप फिर एक स्थान की बात करने लगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, दिक्कत यह है कि प्रजातन्त्र जा किधर रहा है। शराब के पीपे खुल गये। रुपया इस कदर बांटा गया कि भगवान जाने कहां से आया। अन्तरिम जिला परिषदों की जीपों का खुल कर इस्तेमाल हुआ।

श्रीमन्, एक बार इसी सदन में मंत्री जी ने स्टार पेपर मिल के बारे में कहा था कि हम उन्हें टेढ़ी-मेढ़ी, गिरी पड़ी लकड़ी ही देते हैं एक आना फी घन फुट के हिसाब से, लेकिन मेरा चार्ज है कि इस बार फिर हजारों मन की तादाद में स्टार पेपर मिल को ऐसी लकड़ी दी गयी है जो ईंधन के काम में ही नहीं बल्कि इमारती लकड़ी के काम में आ सकती है, जो तैयार होने पर दस रुपये घन फुट से बिकती है।

जैसा मैंने सुना है इस तरह से करके लाखों रुपये चन्दे का उनसे मिला है। यही नहीं, यह बड़े विस्मय की बात है कि जो सौदा हुआ था उसमें उस मिल के मालिक ने दिये जाने वाले धन के निस्बत चिट्ठी लिखी थी, उसको सेक्रेटेरियट में भेज दिया। यहां सेक्रेटेरियट में खलबली पड़ गयी कि इसने प्राइवेट लेटर यहां क्यों भेज दिया। पार्टी के फंड की बात थी, लेकिन चिट्ठी यहां फारेस्ट विभाग में पहुंच गयी कि २५ हजार रुपये या कितने का चेक भी साथ पहुंच गया। तो सारे सेक्रेटरियट में खलबली पड़ गयी, यहां लोग दंग रह गये। कहा गया कि जल्दी चिट्ठी को बन्द करो इससे हमारे शासक इतना झुक गये, यानी जितना जो भी काम वे कर सकते थे, जायज या नाजायज उन्होंने सब कर डाले। जायज तरीके से अगर विरोधी दल हारा होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन सरकारी साधनों, पैसों व पुलिस का दुरुपयोग और हर बातों का दुरुपयोग, यहां तक कि श्रीमन्, कोशिश की जा रही है और पोलिंग अफसरों पर जोर डाले जा रहे हैं कि रिकाउंटिंग न होने दें। रिकाउंटिंग बलरामपुर में हो रही थी तो यहां से टेलीफोन किया जाता है कि रोको इस रिकाउंटिंग को नहीं तो सब भेद खुल जायगा। यानी हद है कि उस सीट से सम्बन्धित ४ एम० एल० ए० जनसंघ टिकट पर आते हैं और पांचवां ५५ वोटों से हारा है लेकिन चूंकि अटलबिहारी लोक सभा में टेढ़े पड़ते हैं उन्हें २ हजार वोटों से हराने का ढोंग रचा गया। "रिकाउंटिंग मत होने दो," यानी सरकारी प्रेशर से अब रिकाउंटिंग नहीं होने दिया जायगा। ऐसी हर कोशिश की जा रही है .....

श्री अध्यक्ष—फिर आप इंडिविजुअल केसेज पर आ रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं कहता हूं कि जो कुछ आज किया जा रहा है उससे देश में और प्रदेश में डिक्टेटरशिप कायम हो जायगी। हम लोग तो अहिंसावादी हैं हम तो इन सब चीजों को सहन कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई सख्त पड़ गया और सरकार का यही

तरीका रहा तो हमें भय है कि बैलट की जगह बुलेट इस्तेमाल होने लगेगा और वह दिन इस देश और प्रदेश के लिये खतरनाक साबित होगा। लिहाजा आपसे प्रार्थना है कि आप एक अहिंसा-वादी की बात मान लें। यह चुनाव तो फुटबाल का खेल है, कभी एक गोल इधर हो गयी और कभी एक गोल उधर, लेकिन सरकारी साधनों का दुरुपयोग न करें नहीं तो आप देश का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। बस मुझे यही कहना है।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के बाद कुछ मौलिक बातों की चर्चा करना चाहता हूं और जो समस्यायें इस प्रदेश के सामने रही हैं उनका कुछ जिक्र करना चाहता हूं। हमारे देश में प्रजातंत्र का एक महान प्रयोग हो रहा है और उस के साथ बहुत-सी समस्यायें आ गयी हैं जिनका हल करना बहुत आवश्यक है। उस ओर हमने क्या प्रयत्न किये हैं इसके संबंध में कुछ संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आबादी बराबर बढ़ती जा रही है उसके साथ ही हमारे सामने जो मूल प्रश्न है यानी इस प्रदेश की जनता के जीवनस्तर को ऊंचा करने की समस्या और उसका हल भी उतना ही कठिन होता जा रहा है। मैं इस सदन में १० साल हुये आया था और इन बातों की ओर मेरा ध्यान उसी समय गया था। उस समय सबसे पहली आवश्यकता जो मुझे दिखाई दी थी और जिसकी चर्चा मैंने बराबर इस सदन में की वह यह थी कि हमारी समस्याओं के मूल में यह बड़ी आवश्यकता है कि हम यहां की जो बिजली की शक्ति है उसको बढ़ावें। मुझे अत्यन्त खेद है कि हम अपने यहां बहुत दिनों तक इस ओर से बेखबर रहे हैं और सभी प्रदेशों के बाद यहां तक कि कई प्रदेश तो हमसे आगे बढ़ गये हैं और इस समस्या को हल करने में हम उनसे बहुत अधिक पिछड़ गये हैं। मुझे यह खुशी जरूर है कि अब प्रदेश में कुछ ऐसे प्रयत्न होते हुये दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इस बात का आज भरोसा नहीं पाता कि प्रदेश की मौलिक आवश्यकता यह है कि शीघ्र से शीघ्र यहां की पावर की शक्ति को बढ़ाया जाय क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे इस प्रदेश के औद्योगीकरण की बात हो या हमारे उत्पादन के बढ़ाने की चेष्टायें हों उसके लिये आज के टैक्नोलोजीकल युग में यह अत्यंत आवश्यक है कि पावर की शक्ति को बढ़ाया जाय।

मैं आज उन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, न समय ही है कि मैं उनकी चर्चा कर सकूं कि पावर का उत्पादन बढ़ाने में हमने कितनी गलतियां की हैं। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जो योजनायें बनी हैं वह इस प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं के लिये काफी नहीं हैं। हमारे सामने कोई इस बात का असेसमेंट नहीं है कि क्या आव-श्यकतायें होंगी और किस तरह से उनको पूरा करना चाहिये। मैंने एक बार मुख्य मंत्री जी का और हाउस का ध्यान आकर्षित किया था कि आगे जो एटोमिक एज हमारे सामने है और जो प्रदेश की आवश्यकतायें हैं, उनको देखते हुये हमें एटम से शक्ति उत्पन्न करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिये क्योंकि कोयले और दूसरी चीजें जिससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं वह दूरी पर हैं। इसलिये इस प्रदेश को एटोमिक कारखाने की जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ सके, अत्यंत आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि इस ओर प्रयत्न हुये थे और उनको कार्यरूप में परिणित किया जायगा। जब मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का सदस्य उस समय था मैंने औद्योगीकरण के लिये भी समय-समय पर सदन का ध्यान दिलाया था। वहां पर मैंने मौलिक प्रश्नों को लाने का प्रयत्न भी किया था। मेरा ख्याल यह है कि आज भी देश की बढ़ती हुई आबादी को और जीवन स्तर के गिरने को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि देश का औद्योगीकरण किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो प्रयत्न इस ओर होने चाहिये थे वे नहीं हुये। मुझे आशा है कि आगे प्रयत्न होंगे जिससे प्रदेश की गरीबी, बेकारी और भुखमरी की समस्यायें दूर होंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

मैं यहां के बजट बनाने की प्रणाली की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट जिस तरीके से इस प्रदेश का तथा अन्य स्थानों का बनता है उसमें सदन का नियंत्रण रहता है और जिस रूप में ऐस्टीमेट्स आते हैं, उनमें एक स्वाभाविक लूजनेस होती है और देर लगने की बात होती है और जिस तरह से बजट का साहित्य पेश किया जाता है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, खास तौर से चेयरमैन एस्टीमेट्स कमेटी की तरफ से। मैंने यूरप में हाउस आफ कामन्स में देखा कि बजट के सम्बन्ध में हाउस को निरीक्षण करने का अधिकार होता है। लेकिन हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस तरीके से बजट आता है, हमें अवसर नहीं मिलता है कि उसका एफेक्टिव तरीके से निरीक्षण कर सकें और उसमें भी परिवर्तन करा सकें। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये। न प्रयत्नों के बगैर हाउस का एक्सचेकर पर कंट्रोल करने का जो काम है, वह सम्भव नहीं है।

मैं प्रदेश और देश का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में जिस तरह से जातिवाद की भयंकर समस्यायें हमारे सामने हैं मेरा ख्याल है कि अगर उसको किसी तरह से चेक नहीं किया जा सका तो इस देश में प्रजातंत्र का प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। उसके लिये बहुत बड़ा खतरा है। इस समस्या पर हमारे देश के नेताओं को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि इस देश में जनतंत्र के प्रयोग को किस तरह से बचाया जा सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को सुन रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि इधर से क्या कहा और उधर से क्या कहा। समय ऐसा होता है कि समय हटता है तो शेर गीदड़ बन जाता है और गीदड़ शेर बन जाता है। सन् १९२१ से मैं देख रहा हूं। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो जो आज नेता बन रहे हैं, जो हमें चैन नहीं लेने देते हैं, वह कहा करते थे चले जाओ, निकल जाओ। देश को कभी जले पानी से भी छोटा नहीं दिया। यह समय होता है। जिस अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की उसी अर्जुन को बंजड़ों ने लूट लिया। वही हालत आज है। जिसने अंग्रेज निकाले वही आज खुद उलट गया। सच बात कहनी ही पड़ेगी।

सुन रहा हूं कि कांग्रेस ने पोलिंग पर अन्याय किये, जीपतियों से पयें लिये। उनसे पूछो कि आपने कहां से पाया? आपने भी तो लिया होगा। या आप घर से लड़े? मुझे एक चीज याद आ गयी, श्रीमन्---

अवसरवादी देशद्रोही विश्व युद्ध को चाहि रहे हैं।
थे कौमी गद्दार देश के, घातक घात लगाय रहे हैं।
सुलगी बापू जी की हड्डी, गंगा बीच गली नाहें।
देशभक्त सच्चे वीरों के ठंडी चिता भई नाहें।
खड़ी हथकड़ी बेंत पड़े, हाथों की ठेक गयी नाहें।
हाथ पैर वीरों के टूटे लेकिन जखम भरे नाहें।
सिंगापुर पर नेता जी की मैले खोज भये नाहें।
साथिन के दर्शन नाहिं किये गर बंगाल गये नाहें।
जब तक माहिल मामा उरई वाले घर घर अलख जगाइ रहे।।
कृषक और मजदूर लड़ाई आजादी की लड़ते थे।
इनकलाब के दे कर नारे वीर अगाड़ी बढ़ते थे।
लाखों ही नर नारि पड़े दुश्मन की जेल में सड़ते थे।
बेड़ी पहने चक्की पीसत, ऊपर डंडे पड़ते थे।
जब यह गुलाम भारत अंग्रेजों की पूजा करते थे।
देशभक्त पिटवाने को गुंडाओं की भरती भरते थे।
वे ही हजरत भेस बदल आज हर एक दल में आय गये।

आजादी का मूल चुकाने में कितने ही बलिदान गये ।
सच्चे देविन के भारत में सुहाग सहित सनमान गये ।
बिस्मिल और असफाक वतन पर गरजत सिंह समान गये ।
इसकी मर्यादा रखने में बापू जी के प्रान गये ।
खद्दर की पोशाक पहन आज गीदड़ धाक जमाय रहे ।
दोजख के कुत्ते, खुदगर्जी, बेरहम जुल्म ढाने वाले ।
मुगल राज के तलवे चाटे टुकरखोर कहाने वाले ।
रायबहादुर खानबहादुर अंग्रेजी कुत्ते पाले ।
देख लो इतिहास उठा कर बात पुरानी हत नहीं ।
जयचन्दों के खानदान भारत से विदा भये नाहे ।
आजादी के दुश्मन पक्के नये नये स्वांग बनाय रहे ।।

आपके द्वारा कहता हूं कि जब तक इस सदन में सफाई, ईमानदारी और निष्पक्ष न्याय नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई महात्मा गांधी के रास्ते पर आकर अपना कार्य ठीक करेंगे, तो देश फलेगा, फूलेगा । मैं आशा करता हूं कि मेरे कांग्रेसी भाई सत्य अहिंसा और गांधी जी के मार्ग पर आकर देश को सम्भाल लेंगे ।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, यह बड़े धन्यवाद का विषय है । हमने इस सदन में रह कर हमेशा किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है । आज हम यहां सात करोड़ किसानों के नुमाइंदे बैठे हैं । हमने इसी सदन में १ रुपया १२ आने मन गन्ने का भाव तय किया था उस पर मुख्य मंत्री जी के भी दस्तखत थे । हमारे गवर्नर साहब, बी०बी० गिरि के भी दस्तखत थे । एक मत से, एक स्वर हो कर सारे हाउस ने गन्ने का भाव १ रुपया १२ आने तय किया था । जो सरकार किसानों की नुमाइंदगी का दावा करती है और यह कहती है कि उसने किसानों की सेवा की है, हमारा रेजोल्यूशन जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है तो माननीय अजित प्रसाद जैन, जो उस समय फूड मिनिस्टर थे, वजीरे खूराक ने यह कहा कि मैं एक रुपये बारह आने मन का भाव नहीं दे सकता और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे सात करोड़ इंसानों की आवाज को ठुकरा दिया । हम आज तक यह पढ़ते आये हैं, हमारे विधान शास्त्रियों ने यह बताया है कि "Law is nothing but the will of people expressed in terms of law". हमने आज तक यह पढ़ा है कि कोटि-कोटि जनता की जो आवाज होती है वही कानून होता है । लेकिन यहां इतने बड़े हाउस की आवाज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया, किसानों के मफाद का ख्याल नहीं किया, मिल-मालिकों के मफाद का ख्याल किया । कांग्रेस सरकार यही करती रही और यही कारण हुआ कि बाबू अजित प्रसाद जैन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस तरह से नाम न लें ।

श्री यशपालसिंह—वह एक मामूली से किसान से हार गये ।

श्री अध्यक्ष—देखिये आप नाम उनका मत लीजिये, यह तरीका यहां का नहीं है ।

श्री यशपालसिंह—यही कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष एक मामूली से किसान से हार गया । मैं आज भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि किसानों की बहबूदी के लिये, मजदूरों की बहबूदी के लिये, आप लोगों ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है । किसान अंग्रेजी राज में जैसा था उससे भी ज्यादा पिछड़ा जा रहा है । इस सदन में मैं आज यह आशा करता हूं कि किसानों के गन्ने के लिये और मजदूरों के वेजेज के लिये आपकी यह सरकार कुछ न कुछ करेगी और कोई कदम ऐसा उठायेगी कि जिससे हम यह कह सकें कि थोड़ा बहुत किसान के लिये और मजदूरों के लिये हुआ है ।

[श्री यशपालसिंह,]

जहां तक मैंने इस सदन की सेवा की है और मैं आपके बीच में रहा हूं, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जिसे अधिक से अधिक शिष्ट कह सकते हैं, अधिक से अधिक कलवड़ कह सकते हैं, जिसे अधिक से अधिक इस सदन की मर्यादा का पालन करने वाला कह सकते हैं, उनमें से मैं रहा हूं। और अध्यक्ष महोदय स्वयं इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी इस सदन की मर्यादा और सम्मान के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि इस सदन का सम्मान हमारा अपना सम्मान है। लेकिन मैं इतना कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि मेरे जैसे एक तीन बैलों के काश्तकार ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, जो कि इस सारे सूबे के मालिक थे और साधन सम्पन्न थे, उसको हराया। इकबाल ने कहा है—

"हमारा नर्म रौ कासिद पयामे जिन्दगी लाया,
खबर देती थीं जिनको बिजलियां वे बेखबर निकले।।"

मैं इस बात को जानता हूं कि मैं एक साधनहीन किसान हूं, तीन बैलों का काश्तकार हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि हमेशा सत्य की विजय होती है। मैं यह जानता हूं कि मेरे मुकाबिले में एक साधन सम्पन्न आदमी हारे जबकि मेरे पास कोई भी साधन नहीं था। उसका कारण यह था कि कांग्रेस सरकार का आमालनामा इतना खराब हो चुका था कि उसके कारनामों की वजह से ही इतने लोग यहां आ गये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य अपनी तारीफ जीतने के बाद इस तरह से करे यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। आप विषय पर आ जायें।

श्री यशपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय की ओर ही आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार कोई काम ऐसा करके दिखाये जिससे कि किसान और मजदूर बहबूदी की तरफ चल सकें। मांगने के लिये जितना रुपया माननीय वित्त मंत्री मांगें वह देने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन होता यह है कि उस रुपये से न किसान का फायदा होता है, न मजदूर का फायदा होता है। उस रुपये से फायदा होता है, चन्द मुट्ठी भर मिल मालिकों का। तो इस सदन से मेरी यह अपील है कि कोई ऐसा काम जरूर किया जाय जिससे हम यह कह सकें कि किसान और मजदूरों के लिये भी कुछ किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा इस सदन से बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि स्टूडेंट्स के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, मिल वर्कर्स के लिये और छोटे मुलाजिमीन के लिये आज तक हम अपने बजट में कोई ऐसी स्कीम पेश नहीं कर सके हैं जिससे वह यह समझ लें कि उनका कुछ फायदा हो रहा है। आज के इस युग में भी ५ रुपये माहवार पर पुलिस का चौकीदार खरीदा जाता है। इस युग में भी जबकि यह कहा जाता है कि मजदूरी ऊंची उठ रही है छोटे सिपाही की तनख्वाह ६० रुपये माहवार से कम है, जबकि पुलिस कप्तान के घोड़े का भत्ता ८५ रुपया माहवार है। सिपाही की तनख्वाह ६० रुपये माहवार और पुलिस कप्तान के घोड़े का भत्ता ८५ रुपया माहवार इंसान की तनख्वाह हैवान से कम। कप्तान का घोड़ा जो खड़े खड़े खाता है, उसके लिये तो ८५ रुपया माहवार भत्ता दिया जाता है और जो पुलिस का सिपाही डाकुओं का मुकाबिला करता है, उनकी गोलियों का शिकार होता है उसको हम आज भी ६० रुपये माहवार से कम तनख्वाह देते हैं। पुलिस के चौकीदार को पांच रुपया तनख्वाह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टीचर जो कि इस नेशन का बिल्डर है, जो कि जाति का निर्माता है उसको आज भी हम ६० रुपये से कम तनख्वाह देते हैं, वह व्यक्ति जिसके ऊपर कि हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का दारोमदार है, वह आज भी उसी हालत में है जिसमें वह अंग्रेजी राज में था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शख्स हीरों का काम कर सकता है उसको कोयलों का काम सौंपा जाता है। इस तरह से देश ऊंचा नहीं उठ सकता है। बच्चों की शिक्षा का काम हीरों का काम है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टीचर करता है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर को आज काम यह सौंपा जाता है कि वह जाकर

मर्दुमशुमारी कराये, एलेक्शन कराये और लीडरों के गले में माला पहनाये। तो इस तरह से देश कभी ऊंचा नहीं उठ सकता है। बच्चों के चरित्र का सवाल सबसे ऊंचा सवाल है। लेकिन उनके चरित्र निर्माताओं को यह ड्यूटी सौंपी जाती है कि लीडरों के गले में फूल की मालायें पहनायें। किसी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है, वहां प्रिंसिपल और हेडमास्टर का लड़कों के लिये सब से उच्चतम आसन है। वह परम माननीय आसन है। इंग्लैन्ड में नियम है कि अगर बादशाह सलामत भी स्कूल में जाते हैं तो हैट उतार कर सलाम करते हैं जिससे कि बच्चों में गलत इम्प्रेशन न हो। वह समझें कि गुरु से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। यहां तो कालेज के प्रिंसिपल का मुआयना लिखता है मिडिल पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन।

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्याना च व्यक्तिक्रमः
त्रीणि तत्र प्रवर्त्तन्ते, दुर्भिक्ष मरणं भयम्।।

जहां एम०ए०, एल०टी० प्रिंसिपल का मुआयना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिडिल पास चेयरमैन लिखता हो वह देश कभी ऊंचा नहीं उठ सकता।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

जिस समाज में काबलियत का आदर नहीं होता, विद्या का सम्मान नहीं होता वह समाज ऊंचा उठ नहीं सकता। आज हम इस प्रदेश के कर्णधारों से यह अपील करते हैं कि यहां कम से कम शिक्षा और विद्या के लिये आदर का स्थान होना चाहिये और श्रमदान का काम हम जैसे लोगों को सौंपा जाय तो यहां एम०एल०ए० और एम०पी० हो कर आते हैं। श्रमदान बच्चों और अध्यापकों के करने का काम नहीं है। आज हमारे यहां चरित्र और स्वास्थ्य का ऊंचा स्थान नहीं है। आज हम अखबारों में रोज पढ़ते और देखते हैं कि वह २० साल का लड़का आई०ए०एस० में बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसका चरित्र और स्वास्थ्य हम देखते हैं तो पता चलता है कि वह खोखला है। एक फाल्स डिप्लोमा के लिये उसका चरित्र समाप्त हो जाता है। इस के लिये कानून होना चाहिये कि २० साल से कम के लड़के को ऐसे इम्तहानों में बैठने की इजाजत न हो, वे उनके लिये तैयारी न कर सकें और अपने चरित्र और स्वास्थ्य को झूठी डिग्रियों के फेर में पड़ कर बिगड़ने से बचा सकें। सच्चा स्वास्थ्य और सच्चा चरित्र ही देश को आगे बढ़ा सकता है।

आज इस बजट में जहां बहुत कुछ मांगा गया है वहां चरित्र और स्वास्थ्य के लिये कोई मांग नहीं की गयी है और उस के लिये कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बना कि जिससे लोगों के चरित्र की रक्षा की जा सके। चाहे शाम का वक्त हो या सुबह का, लड़के इम्तहान की तैयारी कर रहे हों अथवा कोई और मौका हो, किसी भी समय माइक पर वैश्याओं के गाये हुये गाने गाये जा सकते हैं और उस के लिये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति संध्या कर रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो, कोई भी समय हो, कोई भी मौका हो, इन अश्लील गानों पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है जब मैं लखनऊ की दीवारों पर यह पोस्टर चिपके हुये देखता हूं कि "चालीस करोड़ के दिलों पर शासन करने वाली सुरैया", या "४० करोड़ हृदयों पर राज्य करने वाली नरगिस"। इसका मतलब यह है कि सारा देश जिनाकारों और दुश्चरित्रों का देश है। जिस बापू के साये में हम आज अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, उस बापू का कितना ऊंचा चरित्र था इसका हमें ध्यान रखना चाहिये। जिस विश्वबन्धु मूर्ति का नाम लेकर आज हम सरकार चला रहे हैं उसका आदर्श हमें अपने सामने रखना चाहिये।

एक बार बापू कलकत्ते गये थे। कलकत्ता के नागरिकों ने गलती से माता कस्तूरबा को महात्मा गांधी की माता समझा और उन्होंने अपने ऐड्रेस में यह बात लिख दी कि "आज कलकत्ता के निवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी अपनी माता जी के साथ हमारे नगर

[श्री यशपालसिंह]

में पधारे हैं" बाद में जब उन लोगों को पता चला कि यह मां कस्तूरबा उनकी जीवन संगिनी हैं तो उन्होंने उसके लिये माफी मांगी। लेकिन बापू ने उत्तर में यह कहा कि आप लोगों ने गलती से जरूर लिख दिया है लेकिन पिछले २५ सालों से मैं अपनी धर्मपत्नी को माता की दृष्टि से ही देखता हूं। जिस देश का इतना ऊंचा आदर्श रहा हो, जिसमें दयानन्द और विवेकानन्द जैसे महापुरुष हुये हों उस देश में ऐसे अश्लील गानों का प्रचार किया जाय यह सारे देश के लिये एक शर्मनाक चीज है। मेरी अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से, कांग्रेस सरकार के कर्णधारों से, प्रार्थना है कि आप अश्लील चित्रों पर, अश्लील हास्य पर, अश्लील गानों पर प्रतिबन्ध लगाइये। उनको एकदम बन्द कीजिये और युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिये। क्योंकि देश पर इस समय महान् संकट आया हुआ है। हम अपने दुश्मनों से मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हमारे देश का प्रत्येक १८ साल का बालक फौजी तालीम हासिल करता होगा। तभी हम देश की सुरक्षा को कायम रख सकते हैं। यह अश्लील गाने हमको गिराते जा रहे हैं। इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता को यह अहसास तक न हुआ कि कुछ ही मील की दूरी पर हमारे दुश्मनों का झंडा फहरा रहा है और यहां पर एक मिनट के लिये भी अश्लील हास्य बन्द नहीं हुआ, कभी एक घंटे के लिये भी सिनेमा बन्द नहीं हुये। इसके लिये आज जरूरत है बच्चों को सही तालीम देने की। यह राज्य है, राज्य का काम गानों से नहीं चल सकता। राज्य का कार्य चलता है, बिस्मार्क ने कहा है—"not by parliamentary speeches or majority votes, are the mighty questions of age solved, but it is through a policy of blood and iron"। जिस प्रदेश की कुछ ही मील की सीमा पर दुश्मनों का झंडा फहराता हो और वहां पर एक घंटे के लिये भी अश्लील संगीत बन्द न हो, वैश्याओं के गाये हुये गाने बन्द न हों, यह कोई अच्छी चीज नहीं। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये आप युवकों को तैयार कीजिये उनको उसी तरह की शिक्षा दीजिये। राज्य का कार्य गीत गाने से नहीं चलता---

कसीदे से न चलता है, न यह दोहे से चलता है,
समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है ॥

देश की मान मर्यादा के लिये फौजी तालीम की जरूरत है। देश की रक्षा वही लोग कर सकेंगे जो फौजी तालीम याफ्ता होंगे। आज हमारे देश के बच्चों के लिये फौजी तालीम की जरूरत है। अश्लील गानों और सिनेमाओं पर कानूनी पाबन्दी लगाने की जरूरत है। जो प्रदेश शराब में सड़ चुका हो, जिसके फेफड़े डालडा खा-खा कर खराब हो चुके हों, उसकी रक्षा इस तरह से नहीं हो सकती। उस के लिये हमें अपने पूज्य बापू के चरित्र को, लोकमान्य तिलक आदि के चरित्रों को सामने रखना होगा और जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होगा और तभी हमारे बच्चे यह समझेंगे कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सामने डाक नं० १८ और १४, जिसमें इलेक्शन खर्चे और वार्डर रोड के कांसट्रक्शन आदि का जिक्र किया गया है, के ही संबंध में कुछ कहूंगा। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन के कार्य में ८ लाख रुपये का एक्सेस खर्च हो गया। श्रीमन्, जनतंत्र प्रणाली में एक आदर्श होना चाहिये कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाये। यह हम इसलिये नहीं कहते कि हमारी पराजय हो गयी है। यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि यह कहा गया था कि वोटरों को नहीं ढोया जायेगा और सौ-सौ ट्रकों पर वोटरों को ढोया गया। उसके लिये विरोधी पार्टियों ने अर्जियां तक दीं कुछ नहीं हुआ। जब से हमारे यहां सी० बी० गुप्ता जी गये हैं तब से वहां इतना डीमारे-लाइजेशन हुआ है कि वहां पर सौ-सौ रुपये में एक-एक वोट खरीदा गया है....

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह की बात न कहिये....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रतापसिंह—इसमें यह भी श्रीमन् लिखा हुआ है कि नयी-नयी पोस्ट्स हमने क्रीएट कीं और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र है।

इसके अलावा श्रीमन्, जो स्कूल ३ साल के अन्दर खोले जाने चाहिये थे वे इलेक्शन के कारण एक ही साल में खोल दिये गये। इसमें लिखा है कि ८ लाख का एक्सेस हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि सौ-सौ रुपये में जो वोटरों को खरीदा गया वह किस जनतंत्र की पद्धति में है और इसीलिए लोगों को हार खानी पड़ी। लोगों के पास साधन नहीं, अधिक काम करने पर भी पेट नहीं भरता तो "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्'। जब गुप्ता जी मैदान से भाग कर पहाड़ पर गये तो जनता को यकीन दिलाया गया कि अगर हम जीत कर आयेंगे तो सब को रुपये दिये जायंगे। मुझे एक साहब ट्रेन में मिले, वह कह रहे थे कि अब चुनाव जीत कर आ गये, अब जरा गुप्ता जी के पास चलें इस तरह से लोगों को डिमारेलाइज किया गया। कोई पब्लिक स्टैंडर्ड नहीं है। आज हाउस में वह ऐसे ही आदमियों को नुमाइंदे बनायेंगे। इस प्रकार से आज जनतंत्र की जड़ों को ही काटा जा रहा है। सन् १९६२ के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बैलट बक्सों को किस प्रकार से क्या-क्या किया गया और एक-एक बक्से में क्या-क्या गड़बड़ियां हुईं। इसी वजह से हमारे विरोधी दल के उपनेता हारे और ऐसे ही विश्राम राय जी के साथ किया गया। सभी लोग जानते हैं कि यह इलेक्शन कैसा हुआ। अगर जनतंत्र को बचाना है तो मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि हमें नेकनीयती से चुनाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिये जो सच्चे माने में देश सेवा करते हैं। आज गरीब कार्यकर्ता को इस विधान सभा में और पार्लियामेंट में जाने का कोई हक इस राज्य में नहीं मिल सकता है।

(इस समय १२ बज कर ३४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

मैं अदब से कह रहा हूं कि आज कार्यकर्ताओं में बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है और यह अन्दाज आज यह लग गया है कि इलेक्शन जो जनतंत्र का आदर्श समझा जाता था उसकी जड़ को काटना अगर शुरू किया है किसी ने तो वह चन्द्रभान जी गुप्त ने और उनकी मिनिस्ट्री ने . . .

श्री अधिष्ठाता—आप नाम लेकर किसी के विरुद्ध न कहें। वह यहां मौजूद नहीं हैं, आप नाम लेकर आक्षेप न करें।

श्री प्रतापसिंह—ठीक है। अब मैं ग्रांट नं० १४, बार्डर रोड्स के ऊपर आता हूं। डेवलपमेंट बोर्ड १९६० में बनाया गया बार्डर रोड्स को बनाने के लिए १९६० में डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और संविधान के अनुसार १९६१ में बार्डर की सत्ता, स्टेट सत्ता मानी गयी और इस उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया कि तुम सड़कों को बनाओ और उसके लिए १२५ लाख रुपया दिया गया। अब इस सप्लीमेंटरी बजट में वह १०२ रुपये की मांग और कर रहे हैं जब कि पहले रुपये में से भी २२ लाख खर्च नहीं किया गया। इस प्रकार से देखा जाय तो वह चीज अनफोरसीन नहीं थी। यह तो फोरसीन थी। अब यह भी कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम चीन को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक ओर तो चीन से मुकाबला करना चाहते हो और दूसरी ओर जो रुपया दिया गया सड़क बनाने के लिए उसमें बचत दिखलायी गयी और फिर १०२ लाख रुपये की और मांग की जा रही है जब कि इसमें तजकिरा नहीं है कि कौन-सी सड़कें बनीं या बनने वाली हैं। तो इसका ब्योरा क्यों नहीं दिया जाता? वहां की हालत बहुत खराब है, सामान भी नहीं जा पा रहा है और जो कारोबार में इलाके आगे बढ़ रहे थे उनकी हालत दिनोंदिन गिर रहे हैं। वहां की हालत ऐसी है कि लोग महसूस करते हैं कि इस राज्य में सुख नहीं मिल सकता, एम्पलायमेंट नहीं मिल सकता। बार्डर एरिया इसलिए बनाया गया था कि एक साल के अन्दर सारे लोगों को वहां रोजगार मिल जायगा, सड़कों की हालत सुधरेगी, जो लोग बेजमीन हैं उनको बसाया जायगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि पौने दो लाख लोग बेकार हैं और बेकारी दुगुनी और तिगुनी हो रही है। इलेक्शन जीतने के पहले रानीखेत साउथ की तरफ जो ध्यान है, खैर अच्छा है अगर किसी इलाके का डेवलपमेंट होता है, लेकिन अपनी

[श्री प्रतापसिंह]

स्वार्थ सिद्धि के लिये करना उचित नहीं है। आज पर्वतीय क्षेत्र में १४ हजार भोटिया लोग बेघरबार हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जिनको जमीन की भूख है। उनको क्यों नहीं बसाया जाता ?

दूसरी तरफ बार्डर एरिया के लड़कों की पढ़ाई के बारे में प्रमुखता देने की बात थी, वह भी नहीं की गयी और मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के नौजवानों में बहुत असंतोष है। मैं समझता हूं कि जिस मकसद से बोर्डर एरिया बनाया गया था वह इस तरह से पूरा नहीं हो सकता। सड़कों की मद में तो बचत दिखाई गई, लेकिन बड़े-बड़े अफसरों के रहन-सहन में कितना रुपया खर्च हो रहा है ? कोई इंजीनियर तब तक प्लान नहीं बना सकता जब तक कि उसके लिये बंगला न बन जाय और बैठने के लिये मेज न लग जाय। इन बातों से सरकार ने साबित कर दिया है कि चीन को भगाने में वह सिंसियर नहीं है। नार्थ बाम्बे में आचार्य कृपालानी के विरुद्ध जो सज्जन खड़े थे उनके सम्बन्ध में.....

श्री अधिष्ठाता—उसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—वही श्री कृष्णा मेनन जिनको कि चीन की सपोर्ट थी....

श्री अधिष्ठाता—आप अपने विषय पर ही बोलिये।

श्री प्रतापसिंह—आज कांग्रेस के १४ साल के कार्यकाल में इस प्रदेश के बैकवर्ड लोगों की कोई तरक्की नहीं हुई है। शेडयूल्ड ट्राइब्स, थारू और बोक्सा लोगों की कोई तरक्की नहीं हुई। जिस समय अंग्रेजों से शासन हस्तांतरित हुआ था तब इस प्रदेश में १२ लाख बेकार थे, लेकिन आज इस प्रदेश की बेकारी १९ लाख लोगों की हो गई है। इस से मालूम होता है कि हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है। आज एक किसान की आमदनी २५ नये पैसे आती है। अगर देहात में रहने वालों की २५ नये पैसे आमदनी हो तो फिर यह देश कहां जायगा ?

केवल इतना ही कह कर मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनाव में उसने जो हथकंडे और तौर तरीके बरते हैं उससे जनता का जनतन्त्र से विश्वास उठ जायगा और यदि जनता का विश्वास उठ गया तो उसकी बहुत बड़ी क़ीमत अदा करनी पड़ेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी इस मौजूदा सरकार पर ही होगी। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बार्डर एरिया की ओर ध्यान देना चाहिये और चुनाव में इस प्रकार के हथकंडे समाप्त किये जाने चाहिये ताकि सही मानों में जनतंत्र जिन्दा रह सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिठाता महोदय, आज इस सदन में जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत है वह करीब ११ करोड़ ४६ लाख का है। उसके जो मुख्य मुख्य आइटम्स हैं उनको मैंने गौर से देखा और मेरी समझ में यह आया कि उन सेवाओं की, जिनको कि सिविल सेवा कहते हैं या पुलिस सेवा कहते हैं, बढ़ोतरी करने की ही सरकार को चिन्ता है। उनके सम्बन्ध में ही सरकार यह अनुपूरक बजट लायी है। इस सिविल सेवा को अंग्रेजी राज्य में लायड जार्ज ने स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी और आज पं० जवाहरलाल जी के शब्दों में, यदि स्टील फ्रेम से भी कोई सख्त शब्द हो, उससे उसकी संज्ञा दी जा सकती है। आज सरकार अपनी उन सेवाओं को सेलेक्शन ग्रेड को तीन फीसदी, दस फीसदी बढ़ाकर तथा उनके वेतन बढ़ा कर या अन्य रूप से प्रोत्साहन देना चाहती है। आज इन बातों को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि जब देश और प्रदेश में निरन्तर गरीबी बढ़ती जा रही है, यहां का किसान निरन्तर गरीब होता जा रहा है, जनता की औसत आमदनी घटती जा रही है तब इन सर्विसेज की श्रेणियों को जोकि पहले से ही हर प्रकार से शक्तिशाली हैं उनको और प्रोत्साहन देना कहां तक उचित है और क्या इस अवसर पर हम उस कहानी को भूल जाते हैं कि जब लखनऊ में ही आई० ए० एस० अधिकारियों ने अपने कीमती बंगले बनाये जिनके सम्बन्ध में सदन में भी बहस हुई और जांच-पड़ताल करने तक की नौबत आई लेकिन उनकी सुरक्षा

की गई। उन्होंने आखिर इतनी रकमें कहां से पैदा की? उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर, हर प्रकार की शक्ति लगाकर, अपने धन को बढ़ाया और अपने वारिसों को अपनी जगह मुक़र्रर करने का प्रयत्न किया। यह खुली हुई बात है कि ये उच्चाधिकारी अपने स्थानों को अपने खानदानी उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए येनकेन प्रकारेण हर प्रकार के काम करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार चिन्तित है। इन १५ सालों में जो प्रजातंत्र के हैं यह नौकरशाही और मजबूत हुई है पुलिस के सेलेक्शन ग्रेड में वृद्धि की गई। नये १२ पद बनाए गये जिनका ग्रेड ७०० से १,१०० तक होगा। पुलिस के सिलसिले में जितना म कहूं उतना थोड़ा है। पुलिस कमीशन ने शायद यह भी सिफ़ारिश की है कि चौकीदार का स्थान खत्म कर दिया जाय। इन ५ रुपये पाने वाले छोटे कर्मचारियों के द्वारा पुलिस का बहुत काम होता है। यह सरकार छोटे कर्मचारियों के और चपरासियों के स्थान कम करती है और बड़े अफसरों के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के वेतन बढ़ाते हैं। यह नीति क्या नौकरशाही को बढ़ावा देने वाली नहीं है? यशपालसिंह जी ने जो कहा उससे सिद्ध होता है कि सरकार ललित कला के नाम पर अपव्यय करती है। ललित कला एकेडेमी को पौने तीन लाख रुपया देने की क्यों जरूरत हुई? ललित कलायें तभी शोभा देती हैं जब कि देश सब तरह से सम्पन्न हो। हमारे देश में जहां बाढ़, ओला और पाला फसल को बरबाद कर देते हैं वहां यह आश्चर्य की बात होगी कि हम इस प्रकार रुपया बरबाद करें।

मान्यवर, मैं एक अध्यापक रहा हूं और हूं। मुझे यह कहने का सौभाग्य है कि मेरे जैसे कितने ही शिक्षक यहां आते रहेंगे और वे हमारी बातों का समर्थन करेंगे। आज सरकार की पार्टी की शक्ति घटी है और इतनी भारी घटी है कि वह डांवाडोल हो गई है। चुनाव में परिवर्तन होते ही हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के, नये विचार और नये जोश के लोग आवेंगे। हमने अपनी बुद्धि के आधार पर जो कुछ भी कार्य किया उससे भी अधिक अच्छा कार्य वे करेंगे। यह हो सकता है कि वे अपनी आत्मा की बात को ज्यादा तीव्रता से कहने वाले होंगे। हमारे सामने सरकार की ओर से ढिंढोरा पीटा गया कि वह अध्यापकों के लिये कुछ न कुछ करेगी। मैंने तो इस बजट में ढूंढ़ा और एक जगह यह दिखाई दिया कि अध्यापकों के उन बच्चों को जो कुशल और प्रवीण होंगे केवल ६५ छात्र-वृत्तियां दी जावेंगी। विचार तो बड़ा सुन्दर है लेकिन उनकी और अध्यापकों की संख्या का, जो कि २२ हजार है जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। सरकार ने अप्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का निश्चय किया किन्तु यह छात्रवृत्तियां पोस्ट मैट्रिक को ३०७ व पोस्ट इन्टर को ८९ ही केवल हैं। जहां २ लाख और ३ लाख छात्र हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में बैठते हों वहां इतनी कम सहायता से क्या हो सकता है? लोग यह कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ किया तो। लेकिन यह सरकार जो मुर्दे से भी ज्यादा मुर्दा है कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती है। हमारे सामने यह बजट इस बात की याद दिलाने के लिये आते हैं कि सरकार किस प्रकार रुपये का दुरुपयोग कर रही है। ऐसी सरकार तो यदि न होती तो अच्छा था। इस प्रदेश में बाढ़ के बाद पाला पड़ा जिसने खरीफ, मटर और आलू की फसल खत्म कर दी। अब रबी की फसल आ रही है और सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये। इन २१७ और ८९ छात्रवृत्तियों से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को अध्यापकों और किसानों के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न पर सरकार का ध्यान कानपुर के बारे में जो हड़ताल वहां के मेहतरों की चल रही है आकृष्ट करने का प्रयास किया। उन लोगों की सेवा सब से ऊंची है। कानपुर की ८ लाख की आबादी है, उसकी सफ़ाई के लिये हज़ारों मेहतर हैं। वे कई वर्ष से अपनी आर्थिक अवस्था के सुधार के लिये कोशिश कर रहे हैं। उनकी कई मांगें हैं। उनका कहना है कि उन्हें सप्ताह में १ दिन की छुट्टी मिले जिससे कि वह भी अपने को मनुष्य समझ सकें। नेगी जी ने और दुबे जी ने अनशन किया लेकिन वहां की नगरपालिका ने कुछ नहीं किया। वहां का नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया। वहां के नगराधिकारी व

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नगराध्यक्ष कहां चले गये ? वह पहले से क्यों नहीं सोच पाये ? हमारे मंत्री लोग दावतें खाने और चुनाव के लिये पैसा लेने के लिये वहां जाते हैं और गरीबों की हालत देखने के लिये स्वायत्त शासन मन्त्री तक नहीं जाते। क्या ये गरीब लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और उन्हें इस सरकार के जमाने में मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है ?

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ावें, क्योंकि केन्द्र से भी इसके लिये धन मिल रहा है। गरीब लोगों की ओर सरकार का ध्यान जाना है। उनकी हालत में जल्दी सुधार होना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, ११ करोड़ रुपये के लगभग यह बजट है। कैसे पैसे का यह सरकार दुरुपयोग करती है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अनुदान संख्या २० --शिक्षा में क़रीब ३ लाख रुपया, आगरा बी० आर० कालेज और मेरठ कालेजों के लिये अतिरिक्त अनुदान के रूप में रखा है। इन कालेजों के ऊपर घाटे की बड़ी-बड़ी रकमें बताई जाती हैं जिनका विवरण नीचे दिया है। तीनों कालेजों को मिलाकर ३ लाख से ऊपर रुपया है, इसके संबंध में सरकार की तरफ से जो जांच कमेटी नियुक्त हुई थी उसने घाटे का कारण प्रबंधकों की ओर से अनियमित तरीके से कार्य करना या अन्य तरीकों से पैसों को खा जाना बताया था। उसके बाद प्रबन्धकों ने सरकार को लिखा कि इतना घाटा हमको दे दीजिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग लोगों को क्यों करने दिया जाता है और उनकी सहायता करने के लिये फिर इस तरह से इस सदन से मांग की जाती है। ऐसे लोगों के लिये ही सरकार के ऊपर यह लांछन लगाया जाता है कि उन लोगों ने चुनाव में सरकार की सहायता की।

दूसरी बात शिक्षा के सम्बन्ध में है। सरकार ने यह नीति निर्धारित की कि बच्चों को तीसरे दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाई जायगी। इस नीति के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। योजना आयोग के एक सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने एक प्रेस स्टेटमेंट देकर उसकी बड़ी भारी आलोचना की है। मैं समझता हूं कि उतना ही काफी है। यह छोटे-छोटे बच्चों के साथ ज्यादती है। इस विषय में सरकार को फिर से सोचना चाहिये।

इसी प्रकार से एक और सरकार की नीति का सवाल है। उर्दू को सरकार ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है। हमारे क्षेत्र में दो-तीन गांव ऐसे हैं जहां हजारों की तादाद में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं। चार साल पहले नेवादा गांव में उर्दू का एक स्कूल था, लेकिन वह भी बंद कर दिया गया। एक बार जब सरकार से मैंने कहा तो आश्वासन मिला कि वह चल जायगा। लेकिन जब कल मैंने सवाल किया तो राम स्वरूप जी यादव ने कहा कि अन्तरिम जिला परिषद् से उसके बारे में कहा जाय। जब नीति का सवाल है तो सरकार को स्वयं अंतरिम जिला परिषद् से कहना चाहिए कि जहां १० से अधिक बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हों वहां हिन्दी स्कूलों में उसके पढ़ने का प्रबन्ध होना चाहिये और जहां ५० से ऊपर बच्चे हों वहां अलहदा से स्कूल खोलने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

शिक्षा के ऊपर इतना अधिक रुपया खर्च करने के बाद भी हालत यह है कि देहात में स्कूलों की कोई इमारत नहीं है। बच्चों के बैठने के लिये टाटपट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, मास्टरों के लिये कुर्सी मेज का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। दूसरी ओर अध्यापिकाओं के रहने के लिये मकान बनाये जा रहे हैं। उनके रहने का प्रबन्ध तो गांवों में भी हो सकता है। हम लोग उसका प्रबन्ध कर सकते हैं लेकिन स्कूलों की इमारत और बैठने के लिये टाटपट्टी का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। जो काम आवश्यक है उसको पहले होना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इस मसले पर विचार करे।

इसके अलावा इसमें पुलिस के लिये भी मांग की गई है रुपए की। आज पुलिस की हालत यह है कि सभी फरवरी के आरम्भ में केन्द्रीय पुलिस संचालक ने सभी प्रदेशों के आई० जी०

को पत्र लिखा है कि पुलिस के आदमी निकम्मे होते जा रहे हैं। अगर आप पुलिस और जरायम के प्रादेशिक आंकड़ों को देखें तो सन् १९६० में डकैतियां ६८६ थीं और १९६१ में १,३५३ हो गईं, राहजनी सन् १९६० में ४६२ थीं और सन् १९६१ में १,०२४ हो गई, कत्ल सन् १९६० में १,४६२ थे और १९६१ में वह १८४५ हो गये, बलवे १९६० में २४७५ हुए और सन् १९६१ में वह ४,२७८ हो गये और चोरियां सन् १९६० में ११,३२२ थीं और वह सन् १९६१ में २२,३६५ हो गईं। तो यह हमारी पुलिस की सफलता है, आज पुलिस का ढांचा जहां इतना बिगड़ता जाता हो, जहां कत्ल, बलवे, चोरी, डकैती बढ़ती हों, जहां केन्द्रीय पुलिस संचालक को तमाम आई० जी० को पत्र भेजना पड़े कि हालत सुधारी जाय। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि इस तरह के पत्र आये हैं या नहीं, इसका वह पता लगावें।

इसी तरह से हम से स्वास्थ्य के लिये रुपया मांगा गया है। आज कानपुर की हालत यह है कि वहां की नगरपालिका की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार क्षय रोग से सन् १९५२ में जहां ७३० आदमी मरे, वहां सन् १९६१ में ८४२ आदमी मरे। सारे विश्व में कानपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां सब से अधिक टी० बी० के रोगी हैं। मजदूरों में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बीमारियां बढ़ी हैं। जहां अरबों रुपया खर्च होता है वहां हालत इतनी खराब है। इन्फ्लुएंजा भी बढ़ा है, यक्ष्मा भी बढ़ा है। इसी तरह से शहरों व देहाती क्षेत्रों में सब जगह स्वास्थ्य की हालत बिगड़ी है और चिन्ताजनक है।

यही हालत पशुपालन की है। जनवरी सन् १९५१ में हमारे प्रदेश में १ करोड़ १० लाख ५६ हजार दूध देने वाले पशु थे, लेकिन सन् १९६१ में वह घटकर केवल १ करोड़ ९ लाख १७ हजार ३३८ ही रह गये, बल्कि उससे भी कम हो गये। सब जगह आप के पशुधन अधिकारी बैठे हैं।

उद्योग की हालत यह है कि रोजगार दफ्तर के आंकड़ों के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों, इंजीनियर्स, ओवरसियर्स व डाक्टरों की बहुत कमी है। आज वहां पर हर प्रकार के काम सीखे हुये लोगों की मांग है। लेकिन वह कमी पूरी नहीं होती। सरकार रुपया व्यय करती है लेकिन वह कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन तमाम मसलों पर विचार करे और पैसे का सदुपयोग करे, रुपये का दुरुपयोग न करे। यह जनता का पैसा है। उसके दुरुपयोग के लिये सरकार को क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसा जमाना आने वाला है। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। सरकार द्वारा जो यह सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो बजट से साल भर के लिये एक अन्दाजा लगता है कि कितनी हमारी आय है और कितना व्यय होगा और उसी आधार पर हम अपने बजट को बनाते हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनका करना आवश्यक होता है। जो चीजें सालाना बजट में रखने से वंचित रह जाती है उनकी पूर्ति के लिये बीच में बजट आता है। जिन कार्यों के लिये यह बजट रखा गया है, वे आवश्यक हैं और उनका होना जरूरी है।

मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने शिक्षा के लिये जो कुछ अनुदान इसमें रखा है वह बहुत मुनासिब है और वह आज तक नहीं रखा गया था। मसलन अध्यापिकायें जो ग्रामों में काम करती थीं उनके रहने का कोई प्रबध नहीं था। उनके क्वार्टर्स का प्रबन्ध किया गया है।

शिक्षकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध किया गया है। यहां तक कि केन्द्रीय कोष से जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जायगी उसके लिये भी टीचर्स के बच्चों के लिये प्रबन्ध किया गया है। यह एक पहला कदम है जो इस प्रकार का सरकार ने उठाया है। जो देश के गुरू माने जाते हैं उनकी आय बहुत कम थी और अब भी है, वे अपना खर्च पूरा नहीं कर पाते थे, अपने बच्चों की दवा

[श्री रामदास आर्य]

दारू का इन्तजाम नहीं कर पाते और अपने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दे पाते थे इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनके बच्चों के लिये दवादारू का भी इन्तजाम किया जाय ताकि निश्चित हो कर वे शिक्षा दें और ऐसे बच्चे हमारे स्कूलों से निकलें जो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश का निर्माण कर सकें ।

जहां तक बच्चों का सवाल है उनको बनाने की । अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है कि शिक्षा की पद्धति में कुछ सुधार हो और हमारा देश आगे बढ़े । जहां उसने टीचर्स का वेतन बढ़ाने के लिये कदम उठाया है वहां वह शिक्षा के सुधार में भी कोशिश करे; विशेषकर इस बात की तरफ कि हमारे स्कूलों से निकले हुये विद्यार्थी सदाचारी और देश के निर्माता बनें ।

सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना आवश्यक था कि हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं और उस बेरोजगारी का असर हमारे देश वालों पर कितना पड़ रहा है । उनको रोजगार दिलाने के लिये कोई प्लान इस बजट में नहीं है । हम बेरोजगारी को किस तरह से दूर कर सके हैं और कितना आगे हम बढ़ सकें हैं और कितने बेरोजगारों को रोजगार दे सके हैं, चाहे शिक्षित लोग हों या अशिक्षित लोग हों, यह चीज इसमें आनी चाहिये थी । मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह अगले बजट में इस आइटम को अवश्य स्थान दें ।

जहां तक उद्योगों का संबंध है बड़े और छोटे दोनों ही उद्योगों की देश को बड़ी जरूरत है । मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि बड़े उद्योगों में ऐसी चीजें बनानी चाहिये जिनसे छोटे उद्योगों पर उनका प्रभाव न पड़े । जहां तक कुटीर उद्योगों का सवाल है उनको प्राथमिकता देनी चाहिये, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये और हाथ के जरिये से या छोटे उद्योगों के जरिये से जो चीजें बनें उनकी बिक्री का भी सरकार की ओर से प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उन लोगों को प्रोत्साहन मिल सके जो हाथ से माल बनाते हैं ।

सदन में मैंने पहले भी कहा था जैसे चमड़े का काम करने वाले लोग बरसात में काम करते हैं, वह उनका जूते तथा चमड़े का काम बरसात में चल नहीं पाता है और उनकी हाथ से बनी हुई चीजें जो दस रुपये मूल्य की होती हैं वह ६ रुपये में बिकती हैं । इस तरह से कारीगर का काम करने में हौसला कम होता है । जिस तरह से सरकार की किसान द्वारा बनायी हुई चीजों के लिये मंडी कानून स्थापित करने की योजना थी कि ७५ फी सदी कीमत उनको पहले मिल जाय और बाकी २५ फीसदी चीजें बिकने पर मिले, उसी तरह से छोटे उद्योग धन्धों की चीजों के लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके ।

दूसरी बात मैं गरीब लोगों के रहने के बारे में कहना चाहता हूं । गरीब लोग शहरों में भी रहते हैं और गांवों में भी रहते हैं । हरिजनों और दूसरे लोगों की ऐसी बहुत-सी बस्तियां हैं जहां वे एक-एक कोठरी में दस-दस और बारह-बारह आदमी रहते हैं । सरकार ने उनके लिये जमीन एक्वायर करके देने की योजना बनायी है लेकिन अभी वह कार्यरूप में नहीं आयी है । सरकार को इस योजना को कार्यरूप में लाना चाहिये ताकि इन गरीबों को रहने के लिये स्थान मिल सके ।

जहां तक गरीब विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का सवाल है, सरकार ने दसवीं क्लास के ऊपर सभी हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया है, लेकिन पिछड़ी हुई जातियों के लिये भी उसे कदम उठाना चाहिये, क्योंकि उनमें भी बहुत से गरीब विद्यार्थी हैं । इसलिये उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है । इसके अलावा हरिजनों को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसकी धनराशि कम है । पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेनिंग क्लासेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इतनी कम छात्रवृत्ति मिलती है कि उसमें वे गुजर नहीं कर पाते । नतीजा यह होता है कि बीच में ही उन्हें अपनी शिक्षा बन्द करनी पड़ती है । महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । अव्वल तो महिला शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान कम है जो ज्यादा होना चाहिये । उनको

अधिक सुविधा देनी चाहिये । ट्रेनिंग कालेज में जो अध्यापिकायें पढ़ती हैं उनकी छात्रवृत्ति अधिक होनी चाहिये क्योंकि उनका खर्च भी अधिक होता है बमुकाबिले लड़कों के । सरकार इस ओर कोशिश कर रही है लेकिन अधिक प्रयत्नशील होने की जरूरत है ।

इलेक्शन का जिक्र इस सदन में चलाया गया । सरकार ने जो रुपया इलेक्शन के लिये रखा है उसका सदुपयोग होना अत्यावश्यक है ताकि किसी को असंतोष न हो और अबकी संतोषजनक प्रबन्ध रहा भी है । इसमें अभी तक किसी की शिकायत नहीं आयी है । यों तो इतने बड़े काम में थोड़ा बहुत हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है ।

प्लानिंग में काफी काम हो रहा है । लेकिन हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के सहयोग से ही यह काम हो सकता है । यह नहीं कि एक ही की जिम्मेदारी है बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है । जो हमारे विपक्षी लोग हैं उनकी भी सहानुभूति हमें प्राप्त करनी है और उनकी भी जो भावनायें सदन में या बाहर प्रकट की जाती हैं उनकी कद्र करनी है । तभी यह देश उन्नति कर सकेगा ।

चूंकि लाल बत्ती हो गयी है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि हमें सब के विचार हासिल कर के उनकी कद्र करनी चाहिये और जो सही बात हो उस पर अमल करना चाहिये । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता जी, अभी जो बजट के संबंध में वाद-विवाद चल रहा है उस संबंध में अगर मैं इस बजट को स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं, इसके कोई माने नहीं है क्योंकि यह तो आप पास ही कर देंगे । हां, पार्टी आपके साथ में है और खर्चा आप कर ही चुके हैं । मैं इस बजट को तो तब स्वीकार करता जब इसमें कहीं किसानों के सम्बन्ध कोई बात होती, लेकिन यह तो कुछ है नहीं । यदि गंदी झीलें जिनमें पानी भरा है और हजारों एकड़ जमीन जिनके नीचे है उसमें से गंदे नाले निकाल कर खेती योग्य जमीन बनाने का सुझाव होता और उसके लिये कोई अनुदान मांगा गया होता तो मैं उसको स्वीकार करता । परती जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिये रुपया मांगा गया होता तो मैं उसको स्वीकार करता । कहीं वन विभाग में जो परती जमीन जंगल वाले छीनकर किसानों को उजाड़ रहे हैं उस विभाग को ही खत्म कर दिया गया होता या उस सम्बन्ध में और कोई बात होती तो उसको स्वीकार करता, लेकिन जो बातें इसमें हैं उसको आप भले ही स्वीकार कर लें, आपकी सरकार है, 'हां पार्टी' है आप जो चाहें करें, मेरा जैसा किसान तो उसको स्वीकार करने वाला नहीं है । हां, इस चलते फिरते समय में दो चार बातें एलेक्शन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं, आलोचना नहीं है लेकिन कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं ।

यह जो चुनाव का तरीका है, अव्वल तो सरकार की समझ में ही नहीं आया है कि चुनाव कैसे कराये जायं । यह बिलकुल सही है कि चुनाव आयुक्त बिलकुल अयोग्य है, उसको तमीज नहीं है और अगर ऐसी बात नहीं है तो यह क्या बात है कि चुनाव का जो चिन्ह है उसको उम्मीदवार रटाता है, क्यों उससे कराया जाता है ? सरकार जो चुनाव कराती है उसका यह कर्त्तव्य है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं नामिनेशन वापस लेने के बाद की तिथि के बाद उनके चिन्हों को, उनके नाम को एक हफ्ता पहले पहुंचावे और उनकी जानकारी करावे ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय शुक्ल जी, आप अपने यह सुझाव एलेक्शन कमिश्नर के पास भेज दें, यहां इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, चुनाव के सम्बन्ध में बजट में चर्चा है इसलिये मैं कह रहा हूं, वैसे मैंने एलेक्शन कमिश्नर को भी लिख कर भेज दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है । इसलिये मैं चाहता हूं कि चलते चलाते यहां अपनी बात को जरूर कह दूं ।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

शिनाख्त कार्ड पार्टी की ओर से बटवाये जाते हैं। यह उचित नहीं है। क्योंकि कोई अधिकारी किसी पार्टी से दिलचस्पी रखता है तो उसी कार्ड वाले को आगे जाने देता है, बाकी को तो रोक रखता है। सरकार को चाहिये कि वह शिनाख्त कार्डों को अपने आप बटवा दें। इससे सरकार को क्या कोई परेशानी होगी, यह मैं जानना चाहता हूं? इससे मेरे विचार में किसी पार्टी के उम्मीदवार को कोई एतराज नहीं हो सकता है।

मैं तो यह भी कहूंगा कि यह जो चुनाव का ढंग है बैलों की जोड़ी या झोपड़ी का कि लंका से लेकर काश्मीर तक सब बैलों की जोड़ी को वोट देते हैं या झोपड़ी को देते हैं किसी आदमी को नहीं, है मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह से उचित है। सरकार को चाहिये कि सरकार खुद उम्मीदवार का नाम, उसका संकेत आदि हटाकर, किस दिन कितने बजे कहां उसको पहुंचना है, कैसे निशान लगाना है यह सब खुद बताकर वोट डलवावे। आपके पास इतने नौकर हैं, एक एक गांव में इतने आदमी बेकार घूमते फिरते हैं वह वोटर को बतावें कि फलां तुम्हारा वोटर नम्बर है, फलां जगह पर फलां बूथ नम्बर है, फलां वक्त से फलां वक्त तक तुम जाकर वोट डालो। यह नहीं करके जनता को गुमराह किया गया है। उम्मीदवार वोटर को जो चाहे रटा देते हैं। एक उम्मीदवार अपना चिह्न रटा देता है। दूसरा पहुंचता है वह कहता है कि वह पहला उम्मीदवार तो बैठ गया है। वह पहुंचा नहीं है तब तक दूसरी धारा बन जाती है। यह क्या पागलपन है? फिर मैंने यह भी देखा कि एक आदमी वोट देने जाता है, उसको बताया गया है कि जाओ मेज पर निशान लगा लाओ और वह मेज पर निशान लगा देता है। इस प्रकार की बातें हुई हैं। बजट तो आप पास करेंगे, लेकिन मेरे जैसे आदमी के किसी सुझाव को स्वीकार करें या न करें पर मेरी बात सुनने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। मेरा सुझाव है कि जितने उम्मीदवार हैं उतने रंग के बक्से बाहर रखवा दीजिये और उस पर नाम लिख दीजिये। वोटर को सरकार यह भी रटवा दे कि फलां-फलां रंग का बक्स फलां आदमी का है। उसी रंग के बक्ससे अन्दर रखवा दिये जायं। साढ़े ४ बजे तक वोट डलवाये जायं और शाम को आम घंटे में सबके सामने गिन लिये जांय। इसमें किसी का क्या जाता है जिसको एतराज हो सकता है। इस प्रकार चुनाव का जो हौवा है व्यर्थ का खर्च है वह समाप्त हो जायगा। गिनती करके मुहर लगा दी जाय।

अंग्रेजी जमाने में आपने ही कहा था कि रंगीन बक्सा होना चाहिये और आप ही इसको तोड़ रहे हैं। आज भी वही सदा का बक्सा है। ऐसी सरकार जो जनता को गुमराह करके चलना चाहती है, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। उसको नष्ट करने के लिये कोई न कोई पार्टी मैदान में आती है। यदि जनता की पार्टी नहीं बनती है तो सीधे-सीधे एक बिरादरी की पार्टी बनेगी। श्रीमान् जी, आप लोग जवाहरलाल जी के दत्तक पुत्र हैं और गांधी जी के शिष्य हैं। मैं तो निकाला हुआ आदमी हूं, गुनहगार हूं, लेकिन आप लोग तो उनके दत्तक पुत्र हैं, इसलिये आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिये कि जनता को गुमराह रखें। मेरी पार्टी के एक लीडर हैं। उन्होंने मेरे साथ बुराई करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन मैं तो ऐसा आदमी हूं कि बुराइयों को ठोकर लगाकर पार्टी के ऊपर चलता हूं। दो बनाकर तोड़ चुका हूं और तीसरी बनाने जा रहा हूं। मेरा यही काम है। मेरा जो नेता था उसने मेरा माल लिया और पैसा लूटा और बाद को कुछ नहीं वही भारत माता की जै। इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको चुनाव की एक स्थाई रीति बनानी होगी और वह रीति ऐसी होगी जिसको अपढ़ जनता भी अपना सके। आप बेकार के महकमे खोल रहे हैं, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि आप कालेज की पढ़ाई को कतई बन्द कर दीजिये, क्योंकि आज देश को ग्रेजुयेटों की जरूरत नहीं है। देश को आज किसान मजदूर और मेहनत करने वालों की जरूरत है जो आपने आप पैदा करें और दूसरों को रोटी दें।

आज चौराहे पर देखिये कि लोग भीख मांगते हैं। आपकी १५ साल से देश में सरकार चल रही है लेकिन आपने उनके लिये कुछ भी नहीं किया है। जब चुनाव का समय आता है तो आप उनसे वोट मांगने पहुंच जाते जाते हैं और कहते हैं कि मैंने फलां काम किया, फलां काम

किया, यह भलाई की वह भलाई की । आपने क्या भलाई की ? आप अभी तक भुखमरी और बेकारी को देश में बन्द नहीं कर सके । फिर भी आप कहते हैं कि हमारी सरकार है । मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार को दुनिया से हटाओ । मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं—

सड़ी सरकार को दुनिया से मिटावो यारो, देश में शुद्ध प्रजातंत्र बनावो यारो ।
जिस घड़ी देश में गोरों की हुक्मरानी थी, न ये कंट्रोल न हर चीज की गरानी थी ।
न ये अंधेर न ये टैक्स न ये तेजी थी, न ये चोरी न ये डाके न ये खूरेजी थी ।

ऐसे शासन का तराना न सुनावो यारो ।।
जलियांबाग के खूं से यही पौदा निकला, जान दे दे के खरीदा तो यह सौदा निकला ।
जेल जा जा के जो बोया तो ये बीज निकला, भगतसिंह की यही फांसी का नतीजा निकला ।
ऐसे स्वराज्य को भट्टी में जलावो यारो ।।

लड़ाई हमने लड़ी थी स्वतंत्रता के लिये, लड़ाई हमने लड़ी थी न संस्था के लिये ।
हमने कुर्बानी न की है किसी कुर्सी के लिये, हमने जो आग लगाई है तो रोटी के लिये ।
रोटियां छीनकर पत्थर न चलावो यारो ।।

ये देखो बल्ब में जलता ये अंग किसका है, ये देखो कोठी व बंगलों में रंग किसका है ।
ये देखो भूखी तड़पती ये शक्ल किसकी है, जवाने साफ बता दे ये नस्ल किसकी है ।
उसी मजदूर को कुर्सी पै बिठावो यारो ।।

आज के ग्रेजुयेटों से देश का काम नहीं चल सकता है, इस तरह से देश की तरक्की नहीं हो सकती है । हम लोग सत्याग्रह के जमाने में पढ़ते थे और यही रटा करते थे कि—

"तू दाना है खिरजा बन जा, इस आग में जल कुन्दन बन जा ।
कांटों में उलझ गुलशन बन जा, गांधी बन जा या लेनिन बन जा ।"

आज देश के लिये दूसरा रास्ता नहीं है । आज झोंपड़ी और बरगद दुनिया से समाप्त हो रही है । देश के कांग्रेस के नेता इन पार्टियां के नेताओं से कहीं अच्छे हैं । भगवान इनसे बचाये । मैं तो ब्राह्मण आदमी हूं सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं दे सकता हूं । यही कहूंगा कि जैसा कि तुम दूसरे के साथ करते हो खुदा तुम्हारे साथ वही करता है । पिछले चुनाव में मेरे जिले में झोपड़ी ही झोपड़ी थी । इस वर्ष झोपड़ी जल गयी । इस घर में आग लग गयी घर के चिराग से । बजट में चुनाव का भी एक अंश है । बजट में अगर किसान और मजदूरों की भलाई के लिये बातें नहीं लाते हैं, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता । कारखाने नहीं बढ़ाओगे, व्यापार नहीं बढ़ाओगे, खेती का काम नहीं बढ़ाओगे तो बजट के मानी क्या हैं ? नौकरों को बढ़ाकर, सरकारों का ज्वार, लीडरों, की तानाशाही चलने वाली नहीं है । अगर कोई पार्टी किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये मैदान में नहीं आती है तो स्वंय ऐसी ऐसी पार्टियां बन जायेंगी जिनका हटाना असंभव होगा । और वह इस देश का संहार करेगी । उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । मैं चलते फिरते समय, हारे हुये समस्त बंधुओं को मुबारकबाद देता हूं और कहता हूं कि घबड़ाइये नहीं । वह हार है जो विजय के लिये आगे रास्ता बनाती है ।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक अनुदान मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

बजट का हम आमतौर पर यह मतलब समझा करते हैं, शायद उसके टेक्निकल मानी कुछ और हों, कि वह आमदनी और खर्च का एस्टीमेट है । यह सही है कि कई-कई बार बजट सामने लाना योग्यता की बात नही मानी जाती है । फिर भी इस प्लानिंग के युग में कुछ दिक्कतें जरूर हैं, जिसको अपोजीशन के लीडर्स ने भी स्वीकार किया है । जो भी सरकार बनेगी उसको बजट लाना ही पड़ेगा ।

जो प्रस्तुत बजट है उस पर कई माननीय सदस्यों की व्याख्यायें हुई हैं । दो तीन तो पुलिस की मद पर ही है। पुलिस की तारीफ करने के लिये नहीं, पर जो नयी व्यवस्था पुलिस की हुई

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

है कई शहरों में उससे मुझे लगता है कि कुछ क्राइम्स में कमी हुई है, चाहे वह उसकी सतर्कता के कारण हो या उस व्यवस्था से, कई शहरों में उससे नागरिकों में यह भावना पैदा हुई है कि उनको कोई कठिनाई पड़े तो फौरन उनको राहत मिल सकती है।

दूसरी बात, दूसरी मद शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में है। यह सभी मानेंगे कि शिक्षा का विस्तार हुआ है। लगातार प्रयत्न यह है कि शिक्षा का स्तर भी ऊंचा किया जाय और उसका विस्तार भी किया जाय।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कानपुर नगर में कारपोरेशन बना। मजदूरों का यह खयाल था कि कारपोरेशन बनने के बाद उनको सहूलियतें मिलेंगी। वहां के कारपोरेशन ने इस बात को महसूस किया कि कर्मचारी बहुत कम वेतन पाते हैं। कानपुर कारपोरेशन ने यहां के स्वायत्त शासन विभाग को लिखा कि वह अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में तरक्की करना चाहते हैं। पर स्वायत्त शासन विभाग ने यह कह कर इनकार कर दिया कि विकास काल में वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मांग को ले कर कानपुर में कर्मचारियों के नेताओं ने भूख हड़ताल की कि कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होनी चाहिये। कई विभाग के कर्मचारियों ने यह तय किया कि वह हड़ताल पर जायेंगे; खुशकिस्मती से हड़ताल नहीं हुई। अगर होती तो नागरिकों का जीवन अस्तव्यस्त हो जाता। पानी नहीं मिलता, सफाई नहीं होती। आश्चर्य है कि वहां का कारपोरेशन इतनी क्षमता रखता है कि वह वेतन वृद्धि कर सकता है और सरकार से सिर्फ मंजूरी मांगता है। सरकार मंजूरी क्यों नहीं देती यह मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक प्रदेश के मजदूरों का सवाल है, मजदूरों के मकान बनाये गये, लेकिन उनका भाड़ा इतना ज्यादा है कि मजदूर रह नहीं सकता। जो मजदूर ५० रुपये मासिक वेतन पाता है वह साढ़े १२ बारह रुपये मकान का भाड़ा कहां से दे सकता है? इसलिये मजदूरों के लिये जो मकान बनाये जा रहे हैं उनका भाड़ा कम करना होगा नहीं तो वह मजदूरों के लिये बेकार है। आप मजदूरों के लिये हवेली बनवा दें लेकिन वह उस हवेली में रह नहीं सकता, जब तक भाड़ा न घटाएं।

मुझे यह भी जानकारी है कि प्रदेश में कुछ जब प्राइवेट फर्में थीं तो उनमें कम मुनाफा था, गवर्नमेंट के हाथ में आने के बाद उनका मुनाफा लम्बा चौड़ा हो गया है। नमूने के लिये कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई को लें, उसके कर्मचारियों को वही वेतन मिलता है जबकि मुनाफा लम्बा चौड़ा हो गया। टेक्सटाइल मिल का मजदूर जो वेतन पाता था सरकार के हाथ में आने के बाद वेतन घटा दिया गया। सरकार बोनस नहीं देना चाहती है। जब मजदूर कमा कर देता है, तो उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिये। दूसरे मिल मालिकों को कहा जाता है कि वह बोनस दें। अगर मजदूर कमाकर धन बढ़ाये तो उसमें उसको हिस्सा दिया जाय। सरकार को अपने आप आदर्श उपस्थित करना चाहिये। कानपुर की जूट मिल को ले लीजिये। जूट उद्योग में यह मानी हुई बात है कि सिवा मुनाफे के घाटा नहीं हो सकता। पर रैशनलाइजेशन हो रहा है। मिल मालिक कहते हैं कि एक पैसा वेतन नहीं बढ़ेगा। टेक्सटाइल मिल में साढ़े १२ हजार एवजीदार मालिक मजदूर लगे हैं। उनको महीने-महीने भर तक काम नहीं मिलता है। जिस तरह से चाहते हैं वह मजदूरों से काम लेते हैं। जो कानून चाहते हैं तोड़ देते हैं। इतना बड़ा श्रम विभाग है। हर साल १ करोड़ ७० लाख रुपया मंजूर करते हैं। लेकिन होता क्या है? सरकार की श्रम नीति बेहद लचर और कमजोर है। और उस कमजोरी का परिणाम यह है कि मजदूर से मालिक जिस तरह चाहता है काम लेता है। बीसवीं सदी के इस युग में जिसमें यह कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था का राज है, लेकिन कानून और व्यवस्था के इसी राज में मजदूरों की क्या दुर्दशा है यह किसी से छिपा नहीं है। जिसे शक हो वह दो चार दिन के लिये जाकर के कानपुर में मजदूरों की हालत का मुआयना कर ले, कानून और व्यवस्था के राज का पूरा पता चला जायगा।

मैं और बातों में अब जाना नहीं चाहता। इस बजट में जो भी बातें आयी हैं वह तो निश्चय ही आवश्यक हैं पर मैं यह सरकार से जरूर कहूंगा कि वह अपनी श्रम नीति को फिर से ठीक करे और अगर श्रम नीति सरकार की दुरुस्त नहीं होती है तो निश्चय ही जिसकी कल्पना हम करते थे कि जब देश आजाद होगा तो हम एक ऐसे राज की स्थापना करेंगे जो कि गरीब किसान मजदूरों और डाउनट्राडेन लोगों का राज होगा, और उसमें उनको राहत मिलेगी, वह हमारी कल्पना कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमें इस ओर जाना है और उस लक्ष्य को पाना है जिसे कि हम लगातार कहते रहते थे तो इन लोगों की तरफ तवज्जह करनी ही होगी। आज युग बदल रहा है, उसमें हमें चाहिये यह जो पिछड़े हुये लोग हैं उनकी तरफ हम खयाल करें। कानपुर में तथा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मिल मालिक मजदूरों पर अत्याचार कर रहे हैं उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इतना वक्त नहीं है कि मैं हर विभाग की समालोचना इस समय कर सकूं। इसलिये मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के मामले में कुछ तवज्जह दे। उसकी मशीनरी को ठीक करने की जरूरत है। जो लेबर डिपार्टमेंट बना है उसके द्वारा जो कानून और व्यवस्था यहां से बनायी जाती है वह भी लागू नहीं होती है। उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिये। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मजदूरों को जो मकान दिये गये हैं उनका भाड़ा मुकर्रर कर दिया गया है। मजदूर अगर कभी भाड़ा नहीं देता है तो सरकार ने एक कानून बना दिया है कि फौरन उसके वेतन से भाड़ा काट लिया जाय और उसके वेतन से भाड़ा काट लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी मिल का मालिक हजारों रुपये सरकार के दबाये बैठा रहता है और सरकार उसके साथ रियायत करती है। हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया कानपुर के मिलमालिक सरकार का दबाए बैठे हुये हैं एलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम तरह के एक्साइज, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स बिलों के रूप में। उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। नोटिस दिया जायगा, वह कुछ जवाब उसका दे देंगे और फिर उसके बाद दस-दस साल तक उनसे वह रुपया वसूल नहीं किया जायगा, लेकिन मजदूर का अगर एक महीने का भाड़ा रह गया तो सरकार उसके वेतन से फौरन काट लेगी। हम यह चाहते हैं कि सरकार इस तरफ तवज्जह करे और देखे कि मिल मालिक और मजदूर दोनों इस सरकार के कानून के राज में बराबर समझे जांय। मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर इस ओर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि थोड़ी देर के लिये आपने हमें समय प्रदान किया है। बजट को प्रदेश का दर्पण कह सकते हैं जिसमें यह दिखाई देना चाहिये कि प्रदेश की जनता की खुशहाली स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई आदि में पिछले सालों के मुकाबले में कितना फर्क पड़ा है और उसी कसौटी पर बजट को देखना चाहिये। यदि बजट इस अधूरे काम को पूरा करने में कुछ आगे बढ़ता है तब तो समझना चाहिये कि कुछ काम हुआ है, उस बजट की तारीफ होनी चाहिये और सदन को उसे मंजूर करना चाहिये। लेकिन जब इस कसौटी पर इस बजट को कसते हैं और देखते हैं प्रदेश की ओर तो पढ़ाई लिखाई में, आमदनी में, बेकारी में, दवादारू में, जहां देखिये जनता में असन्तोष है। इसलिये इस बजट को मंजूर करना इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करना होगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि एक तरफ जहां हजारों स्कूल खोलने की व्यवस्था है वहां दूसरी तरफ जो स्कूल खुले हुये हैं उनकी व्यवस्था क्या है। वहां की हालत देख कर दुख होता है कि ३०० लड़कों पर दो मास्टर हैं। न उनके बैठने के लिये टाट हैं न कुर्सी, न उनके पास भवन हैं और न किताबें आदि अन्य साधन। जैसे भेड़हारा अपनी भेड़ों को लकड़ी के सहारे इकट्ठा करता रहता है वैसी ही उनकी हालत है। इसी प्रकार जूनियर और हायर सेकेंडरी स्कूलों की हालत है। जब अध्यापक वेतन वृद्धि और मंहगाई की मांग करते हैं तो उनको वित्त मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

का जवाब मिलता है कि सरकार के पास साधन नहीं है, लेकिन उसी समय पुलिस विभाग पर हजारों रुपया खर्च किया जाता है। इसी से नापा जा सकता है कि जिन कामों से आम जनता का लाभ होने वाला है उनमें सरकार को कितनी दिलचस्पी है। दुर्भिक्ष रोकने के कुछ पुराने नियम अंग्रेजी राज्य के बने हुये हैं और इस बजट में भी दो लाइनों में दुर्भिक्ष का चर्चा है। मैं समझता हूं कि इस कानून में काफी रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। यह बहुत पुराना कानून है। छोटे-छोटे लोग ४, ६ और ८ आना पाकर दिन भर मजदूरी करते हैं और यह सोच कर तकलीफ होती है कि उस से उनके परिवार का कैसे भरण-पोषण हो पाता होगा। मैं जब से इस असेम्बली का सदस्य हूं। हर साल देखता हूं कि सरकार कहीं न कहीं टेस्ट वर्क चलाती रहती है लेकिन जहां बम्बई आदि अन्य प्रदेशों में दुगनी, तिगुनी मजदूरी है वहां मजदूर को ४, ६ और ८ आना रोज ही दिया जाता है और तकलीफ की बात तो यह है कि वह भी उसे १५, २० दिन बाद मिलता है। कलेक्टर से कहिये या तहसीलदार से या सरकार से, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी निर्दयी सरकार हो सकती है कि चार आना रोज की मजदूरी करने वाले को १५ दिन बाद तो मजदूरी दी जाय और उससे यह आशा की जाय कि वह ठीक से खाये पिये। यह क्या है ?

इसी प्रकार सिंचाई के नियम भी बहुत पुराने हैं अंग्रेजी समय के। चाहे नहर का पानी एक मर्तबा लिया जाय अथवा १० बार, किसान को कर उतना ही देना पड़ेगा। दोहरी घाट कैनाल की आपको जानकारी होगी। इस वर्ष आप आजमगढ़ और बलिया में जा कर देखें। वहां किसानों को ईख की सिंचाई के लिये एक बार पानी मिला, लेकिन ठीक उसके बाद ही वह नहर टूट गयी और आज किसानों से उतना ही कर उसके लिये लिया जा रहा है जितना कि उनको दस बार पानी लेने पर देना पड़ता। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। मैं पुरजोर शब्दों में आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपकी दुर्व्यवस्था के कारण किसान को एक बार ही पानी मिलता है तो उससे एक बार का ही पैसा लिया जाना चाहिये। इसके अलावा चुनाव के संबंध में मैंने प्रशासन कमेटी में मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और फिर आपके द्वारा दोहराना चाहता हूं कि प्रदेश में मंत्री लोग एक दो की तादाद में नहीं हैं, बल्कि पच्चीसों की तादाद में हैं और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मंत्री लोग हफ्ते में एक दो बार तक जाते हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर महीनों दौरा नहीं होता। अगर आप दौरे के खर्चे को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक ही जिले में एक ही मंत्री के हफ्ते में दो-दो बार तक दौरे हुये हैं। मंत्री जी के दौरे का प्रोग्राम बनता है और उनके कारण सारी अदालतें बन्द हो जाती हैं, मुवक्किलों को इत्तिला तक नहीं भेजी जाती, उनके मुकदमों की जो तारीख निश्चित होती है उसी दिन वे आते हैं और पेशकार द्वारा उनको मालूम होता है कि आज साहब मंत्री जी के साथ दौरे पर गये हैं और तारीख दूसरी बदल दी जाती है। इस तरह से पब्लिक का लाखों रुपया खर्च होता है। मजिस्ट्रेट मिनिस्टरों के पीछे दौड़ते हैं, मगर अगर कहीं कोई गवाह को लेकर न पहुंचे तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

मैं चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं कि चुनाव आयुक्त का आदेश है कि चुनाव में सरकारी साधनों का इस्तेमाल न किया जाय। मैंने देखा है कि मंत्री लोगों ने चुनाव में सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया है, एस० पी० उनके पीछे-पीछे घूमते हैं, और फिर भी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि चुनाव निष्पक्ष हुये हैं। उधर के लोग जिनका एक ही काम है मिलना, वे यह कहते हैं कि चुनाव बहुत अच्छे और निष्पक्ष हुये हैं। चुनाव आयुक्त तो उसके बारे में तो राजा जौनपुर अच्छी तरह से जानते हैं....

श्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—आप उनकी वकालत कब से करने लगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—नदियों के कटाव के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन हिस्सों में जहां हर साल लाखों एकड़ भूमि कटाव में चली जाती है, हजारों परिवार बेघर-बार हो जाते हैं, जोतने के लिये जमीन नहीं रहती है, रोजी कमाने के लिये रोजगार का कोई साधन नहीं रहता है, उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। कहा गया कि पुराने बजट में लोगों को बसाने के लिये जमीन दी जा रही है, उनकी रोजी का इन्तजाम किया जा रहा है, किन्तु मैं पूछना चाहूंगा कि आजमगढ़ जिले में कितने लोगों को बसने के लिये जमीन दी गयी, कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया? आजमगढ़ जिले में काफी जमीन कटी है और लोग दूसरों की जमीन को जोत रहे हैं। पुलिस की सहायता अगर मांगी जाती है तो वह भी नहीं मिलती और कोई सुनने के लिये तैयार नहीं होता। आज उन लाखों की तादाद में जो बेघर-बार लोग हैं उनको बसाने के लिये आवश्यक है कि सरकार उनके लिये करोड़ों रुपयों की स्वीकृत प्रदान करे ताकि उन लोगों को खानाबदोशों की जिन्दगी से बचाया जा सके।

गृह उप-मंत्री (श्री नवल किशोर)—अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक अनुदानों के संबंध में जो अब तक वाद-विवाद हुआ उसको मैंने काफी ध्यान से सुना। माननीय तिवारी जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने सप्लीमेंटरी बजट के संबंध में कुछ उसूली बातें हाउस के सामने पेश कीं। उसके साथ ही साथ कुछ उन्होंने टेक्निकल बातों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। जहां तक कि माननीय तिवारी जी का संबंध है, उनका एक कन्ट्री-ब्यूशन है चेयरमैन पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की हैसियत से, और उनकी बातें मैं बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूं। मैं उन टेक्निकल बातों के संबंध में एक ही बात कह सकता हूं कि सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि उनकी बातों की उचित जांच की जाय और आइन्दा के लिये यथासम्भव समुचित सुधार बजट में किया जाय।

उनको पुलिस और वन विभाग के ऊपर कुछ आपत्ति थी कि सप्लीमेंटरी ग्रांट में इन पर खर्चा ज्यादा हो गया है। मैं मानता हूं कि एस्टीमेट्स जहां तक संभव हो सही बनने चाहिये, लेकिन प्लांड इकानामी में जहां इतने बड़े स्केल के ऊपर नियोजन देश और प्रदेश में चल रहा है, उसमें सेंट परसेंट अक्युरेसी आना संभव नहीं है और हाउस को डिपार्टमेंटों को इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत लैटीट्यूड देना पड़ेगा। मैं गृह विभाग के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि पुलिस में जो खर्चा बढ़ा और जो प्रावीजन किया गया और कमी हुई उसमें तीन बातें मुख्य थीं, आम चुनाव, कुम्भ मेला और तीसरे यह कि रिटायरमेंट की एज को ५५ किया गया, उसकी वजह से बहुतों को छुट्टी की तनख्वाहें काफी देनी पड़ीं। तो मैं तिवारी जी को विश्वास दिला सकता हूं कि यह कमी वाकई में अनफोरसीन थी, विभाग की तरफ से कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जिस पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति करने का मौका हो।

मेरे मित्र माननीय विष्ट जी और प्रताप सिंह जी ने बहुत समय चुनाव के संबंध में लिया। मौजूदा असेम्बली का यह आखिरी सेशन है और हम आप सब चुनाव के बीच से निकल कर आये हैं, सबके अपने-अपने अनुभव हैं। जनतंत्र को जैसा मैं महसूस करता हूं धक्का अवश्य लगा है, लेकिन जो मेम्बर साहबान जीतकर या दुर्भाग्य से हार कर आये हैं मैं उनसे ज्यादा जिम्मे-दारी की बात सुनना चाहता था। मुझे हंसी आयी जब गोविन्द सिंह जी ने जनतंत्र की दुहाई दी। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि जनसंघ का जनतंत्र से कोई बहुत बड़ा सम्बन्ध नहीं है, वह एक फासिस्ट पार्टी है और चुनाव ने भी यही साबित किया। माननीय प्रतापसिंह ने तमाम जिम्मेदारी कांग्रेस पर रख दी कि बड़ी अनियमितताएं की गयीं और वेहिकिल्स इस्तेमाल हुईं। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंन्ट का मेम्बर होने के नाते मुझे कहां तक कहने का अधिकार है लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि इस चुनाव में अगर कोई चीज शिकायत की ज्यादा हो सकती है तो उसके लिये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को मौका है, औरों को मौका नहीं है। जो पार्टी १८० सीटें हार चुकी हों उसके लिये यह शिकायत की जाय कि चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई तो मैं समझता हूं बड़ी बेइन्साफी होगी।

[श्री नवलकिशोर]

अन्यवर, कुछ बातों की और चर्चा की गई, शायद आपके सम्मुख ही या आपके पहले। गोंडा की सीट के सम्बन्ध में कहा गया कि कांग्रेस बन्द हो गई या क्या हुआ, तो मैं इस सम्बन्ध में एक ही बात कह सकता हूं कि उसका कोई सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से नहीं है। जो कुछ भी होता है वह केन्द्रीय कमेटी के आदेश से होता है। मैं इतना लैटीट्यूड देने के लिये तैयार हूं कि जो साथी दूर जाते हैं उनका असर थोड़ा सा मेन्टल इम्बैलेन्स हो जाय और कोई ऊट-पटांग बात कह दें तो कोई ज्यादा अनुचित बात नहीं है। अभी एक मित्र बोल रहे थे जिन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहबान के पीछे सिटी मैजिस्ट्रेट घूमते हैं और यह भी फरमा दिया कि एक लाख रुपये का रोजाना खर्च होता है, पता नहीं कहां से यह आंकड़े ले आये। साथ ही साथ यह भी कहा कि बहुत सी चीजों का बड़ा मिसयूज होता है, इनका क्या जवाब दिया जाय। सरासर यह बातें कही गईं और आखिरी समय में भी यह बातें पेश की जा रही हैं। एक ही बात इसके लिये कही जा सकती है और माननीय गेंदासिंह जी को इधर बोलने का मौका मिला तो वह शायद इसकी ताईद करेंगे कि पूरी कोशिश इस बात की की गई और बाकायदा इस सम्बन्ध में आदेश दिये गये और सख्ती के साथ उनका पालन किया गया कि चुनाव के दौरान में चीजों का दुरुपयोग करना तो दूर रहा, कतई किसी किस्म की शिकायत करने का भी मौका न दिया। इस बात की पूरी-पूरी चेष्टा की गई।

बार्डर के सम्बन्ध में एक बात का और जिक्र आ गया बाम्बे की सीट का, आचार्य कृपलानी और मिस्टर मेनन का, और कहा गया कि अजीब पालिसी है। बार्डर से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन खींच-खांच कर कह दिया गया कि कांग्रेस की अजीब पालिसी है कि चीन को तो हटाना चाहती है और कृष्णमेनन, जिनको कि चीन की सपोर्ट है उनको, जिताना चाहती है। बहरहाल मेरी जानकारी कहिये या मेरा इल्म नहीं है कतई, पर मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि आचार्य की सपोर्ट कृपलानी को थी या चीन की सपोर्ट कृष्णमेनन को थी। यह हमारे देश का चुनाव था, इसका कोई संबंध बाहर की ताकतों से नहीं था और न होना चाहिये था। बहरहाल, एकबाइड इवैजिनेशन की बात है। उनको हक है कहने का, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि इन बातों का सप्लीमेन्टरी बजट से कोई वास्ता नहीं था।

कुछ बातें लेबर और मजदूरी के बारे में कही गईं। मेरा अपना खयाल है कि बेसिक पालिसी का संबंध सप्लीमेन्टरी बजट से नहीं होता, यह बातें जनरल बजट में डिस्कस की जा सकती हैं। वर्क्स मेन्टरी में तो इसी बात पर डिस्कशन हो सकता है कि कौन सी मद फोर-सीन थी और कौन सी अनफोरसीन। पालिसी मैटर्स की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे और कोई ख्याल जरूर कहने को नहीं है। चूंकि तिवारी जी को कुछ भ्रम पैदा हुआ इसलिये मैंने उनको स्पष्ट करने की कोशिश की।

हां, एक साथी ने जैलट और गुलेट की बात कही थी। मैं नहीं जानता कि इसका कोई नोटिस है या नहीं, लेकिन एक बात जरूर है.....

श्री त्रिभुवन नारायण—उनको तो आप लैटीट्यूड दे चुके हैं।

श्री नवलकिशोर—जी हां, दे चुका हूं। मैं माननीय गेंदासिंह जी से एक बात कहना चाहता हूं। वह हमारे बुजुर्ग हैं और बरकौर व्यक्तियों में से हैं। चुनाव में कोई पार्टी हारी हो या जीती हो लेकिन एक बात सब के सामने प्रस्तुत हुई कि इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता और जातिवाद काफी तेजी के साथ अपना सर उठा रहा है। इसकी शक्ति जो बढ़ी है या आगे बढ़ने का अन्देशा है वह इस देश और प्रदेश के जनतन्त्र के लिये सबसे बड़ा खतरा है। इसका समाधान आपस में गालियां देने से या एक दूसरे पर लांछन लगाने से या अपनी जिम्मेदारियों को टालने से नहीं होने वाला है। हर पार्टी को जिसकी सही आस्था जनतंत्र में है गंभीरतापूर्वक सोचना है कि साम्प्रदायिकता और जातिवाद का पुश्तबला किस

प्रकार से करना है। आपस में इतनी विभिन्नताओं और मतभेदों के होते हुये भी, हिन्दोस्तान की उन सभी पार्टियों को जिनकी आस्था जनतंत्र और प्रजातंत्र में है, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिये संगठित होना पड़ेगा। बहरहाल यह तो पार्टियों के आगे की सोचने की बात रही, इस चुनाव में जो होना था वह तो हो ही गया। इस बात की भी चेष्टा सब पार्टियों को करनी चाहिये कि जाति विशेष के आधार पर अगर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो जातिवाद किसी प्रकार से भी खत्म होने वाला नहीं है।

जैसा कि विचार किया जाता था उतनी खास लुंझलाहट का प्रदर्शन भी नहीं किया गया। इन शब्दों के साथ, इन अनुपूरक अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन उनको एक मत से स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस मौके पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं।

यह अनुपूरक अनुदान तीसरी बार पेश किया गया है। बाढ़ की बरबादी और हाल में जो अभी शीत लहर चली है उसको देख कर यह आशा थी कि बाढ़ पीड़ित और बरबाद किसानों के लिये कुछ सहायता होगी, लेकिन बजट की किताब देखने के बाद हमें बड़ी निराशा हुई कि गरीब किसानों के साथ जिनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से यह सरकार मौज और गुलछर्रे उड़ाती है और उनके लिये इसके पास कुछ नहीं है। अक्तूबर में स्थायी कमेटी की मीटिंग के मौके पर मैंने इस विषय में माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि इन किसानों के मसले पर विभाग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और दो अंगलों के बीच में मझार के इलाके के किसान, जो हर साल बाढ़ से बरबाद होते हैं और नारायणी की धारा बदलने के कारण वहां की जमीन इतनी खराब हो गई है कि वहां के किसान अब वहां रहना नहीं चाहते और अपनी जमीन की ५० प्रतिशत अच्छी जमीन कहीं और लेकर जो जरा ऊंची हो वहां जाना चाहते हैं। जमींदारी अबालिशन के समय बहुत-सी जमीन वन विभाग में आई है, उन से वह जमीन ले कर कहीं भी वन विभाग उनको आधी जमीन देकर सन्तुष्ट कर सकता है ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें निराशा हुई और ४ मास के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय वन मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर हम जल्द कार्यवाही करेंगे। उस वक्त यह भी कहा गया था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के बच्चों की फीस माफी के लिये रुपया दिया जा रहा है और खबर मिली थी कि कुछ रुपया दिया गया है, लेकिन हमें यह जान कर आश्चर्य हुआ कि एक पैसा भी नहीं दिया गया और उसके कारण बहुत से बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। जिनको हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षा फीस जमा करनी थी उनके मां-बाप ही जानते हैं कि उन्होंने किस-किस मुसीबत से अपने लड़कों की फीस जमा की है। यह सरकार उन्हीं के वोट से बनती है और मैं यह भी जानता हूं कि इस एलेक्शन में भी सरकार को जनता के द्वारा बहुमत मिला है, लेकिन मैं इस सरकार के कर्णधारों को बताना चाहता हूं कि अगर वह महज वोट के सहारे लगी रही और जनता को अपने साथ समझती रही तो उसे धोखा होगा और बहुत ज्यादा उसे प्रायश्चित करना होगा।

आज वोट का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किस तरह से वोट लिये गये और क्या-क्या व्यवहार वोट के सम्बन्ध में हुआ है यह चीज अलग है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जनता में बहुत गलत भावना ऐसी भरती जा रही है। अभी-अभी माननीय नवलकिशोर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रऊफ अन्सारी]

जी ने सम्प्रदायिकता की बात कही थी और कहा था कि इसकी जिम्मेदारी सभी समाजवादी पार्टियों पर है। लेकिन मैं कहूंगा कि यह जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं है इसकी सारी जिम्मेदारी सत्ता सरकार और उसके कर्णधारों पर ही है कि जो ऐसी चीजों को वोट के मौके पर भूल जाते हैं। आप आंख खोल कर देखें कि चुनावों में क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस बजट में वन विभाग के लिये भी कुछ ग्रान्ट मांगी गई है। वह इस पर कृपा कर के ध्यान दें कि मानार में टेहरी खाम्पकगढ़ का इलाका जो करीब ८-१० हजार एकड़ का है और जो दो नदियों के बीच में है, बंजर एकदम उपयोगी भूमि है और किसान अपनी १०० एकड़ जमीन देकर ५० एकड़ लेने को तैयार हैं। मंत्री जी को यह सौदा करना चाहिये और जमींदारी अबोलिशन में जो उन्हें बंजर व जंगल की भूमि मिली है वह देकर उन्हें एक तरफ करना चाहिये। अगर इस बरसात के पहले ऐसा नहीं किया जाता तो वहां पर एक ऐसा बड़ा आन्दोलन आन्दोलित होगा कि जो इस सरकार को तबाह करने के लिये काफी होगा क्योंकि कोई भी काश्तकार अपनी जान और अपने बाल-बच्चों की जान वहां रह कर गंवाने के लिये तैयार नहीं है।

आज तक सरकार ने पथरावा से त्रिवेणी तक कोई बांध नहीं बांधा। इस अनुपूरक बजट में भी उसका कोई जिक्र नहीं है। उस पर भी वह तैयार नहीं है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि न वह उसे बांधने जा रही है और न काश्तकारों को हटा कर ऊंची भूमि पर बसाने जा रही है। वह गरीब काश्तकार आन्दोलन करके इस सरकार से लड़ेगा और या तो जेल में बन्द कर दिया जायगा या फिर ऊंची भूमि पर घर बना लेगा।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में जिन बच्चों के लिये उन्होंने कुछ रुपया मुआफ किया था उनके लिये और रुपये की मांग आई थी। उसका भी जिक्र बजट में नहीं है। उन्हें कुछ और रुपया दे कर इन बच्चों की फीस का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये था ताकि कम से कम वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनकी पढ़ाई बाद न हो जाय उसके लिये उनके मां-बाप ने जिस मुसीबत से कर्जा लेकर अपने खेतों को बंधक रख कर उनकी पढ़ाई जारी रखने का प्रयत्न किया है, वह इस रुपये को पाकर उसे वापस कर सकेंगे।

यह सरकार की १५ वर्ष से प्रजातंत्र के नाम पर हमारे ऊपर राज्य कर रही है, बार-बार जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया इस बजट के द्वारा हम से पास करा कर उसका इस्तेमाल करती है। आपके द्वारा, बार-बार हम लोगों ने सुझाव दिया है और अनुरोध किया है कि कम से कम इन पैसों का उपयोग प्राथमिकता के साथ होना चाहिये। आज एक तरफ किसान दाने-दाने को मोहताज है। कम आने में टेस्ट वर्क्स पर बहू-बेटियां और जवान मर्द काम करते हैं और उन पर १६, २० रुपया तक उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है और खाने-पीने के दर्द से वह तबाह हैं, लेकिन दूसरी तरफ ७०, ७५ हजार रुपया ललित कलाओं, खेल-तमाशों, नाच-घरों में खर्च किया जाता है। यह न्यायिक की बात नहीं है। किसी भी सरकार के लिये यह शर्म की बात है। कितना ढिंढोरा पीटा जाता है कि पढ़ाई के लिये तमाम स्कूल खोले जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि नौलखा एन० ई० एस० ब्लाक में कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। सच बात यह है कि स्कूल खोले वहां जाते हैं जहां एलेक्शन जीतने की जरूरत होती है, जहां वोट हासिल करने के लिये ढोंग रचने की जरूरत होती है।

शीत लहर आने पर कम्बल भी बांटे गये हैं। तरह-तरह के नाजायज तरीके से प्रोटेक्शन इन गरीब किसानों को देकर उनके बहुमूल्य वोट का दुरुपयोग किया गया है जो किसी भी सरकार के लिये निन्दनीय है और प्रतिष्ठा की चीज नहीं है। मैं माननीय मंत्रियों से तथा इस कांग्रेसी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इन पैसों का सदैव सदुपयोग होना चाहिये और

प्राथमिकता मिलनी चाहिये वहां जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। यह नहीं कि शहरों में ज्यादा रकम खर्च हो और गरीब किसान दाने-दाने को मोहताज रहे।

पानी पीने की मुसीबत है और हरिजनों की हरिजन बस्तियों में इस तरफ जरा भी निगाह न ले जाकर शहरों में जो तरक्की हुई है उसे और ऊंचे पैमाने पर पहुंचाने के लिये यह रकम खर्च की जाती है, यह किसी भी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है, बल्कि निन्दा की बात है। इन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करके मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गरीब किसानों की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिये।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्रीमन्, इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद यहां हुआ उसमें मेरे लायक दोस्त लारी साहब तथा विष्ट साहब ने कुछ शिकायतें कीं। उनके पास एक पुराना किस्सा है। उसी में से एक-एक पन्ना वे पढ़ते रहते हैं। वह है सहारनपुर की स्टार पेपर मिल के बारे में कि वह बन्द कर दी जाय, तब उन्हें संतोष होगा या क्या होगा यह मैं नहीं जानता। कोई न कोई बात उनके सामने आ जाती है जिसे देख कर वह चीख उठते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा था स्टार पेपर मिल को दो आने क्यूबिक फीट में स्लैश और बची-खुची लकड़ी दी जाती है। यह सही है कि टुइस्टेड चीड़ के पेड़ भी उनको दिये जाने लगे हैं मगर कीमत में कितना फर्क हुआ है यह शायद मेरे दोस्त को मालूम नहीं और किसी प्राइवेट चिट्ठी और चेक का जिक्र उन्होंने किया जो मेरी नजर से गुजरे नहीं हैं और न हमारे विभाग को इस तरह की कोई चिट्ठी या चेक भेजी गयी है। एलेक्शन के जमाने में पार्टियां चन्दा करती हैं। मुमकिन है कोई चन्दा उस मिल ने भी पार्टी को दिया हो लेकिन उससे कोई ताल्लुक इस लकड़ी का नहीं है। वन विभाग से कोई ताल्लुक ही इस चीज का नहीं है। उनके जिक्र करने के बाद ही मैंने उसकी थोड़ी जांच पड़ताल भी की। मैं बड़ा हैरान हुआ। हुआ क्या अब यह आप देखिये कि जहां दो आने क्यूबिक फीट में स्लैश और बची-खुची लकड़ी उन्हें दी जाती थी, जो नया मुआहिदा उस मिल के साथ हुआ उसके मुताबिक ४० नये पैसे क्यूबिक फीट की कीमत कर दी गयी है। स्टार पेपर मिल वाले चीखे कि मिल बन्द हो जायगी। इस उम्मीद में हमने मिल लगायी थी कि सही दाम में लकड़ी मिलेगी। अगर कच्चा माल हमको नहीं मिलेगा तो यह मिल हमें बेचनी पड़ जायगी। यहां पर उनके प्रतिनिधि आये। मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं अपने वित्त विभाग के सचिव और अपने विभाग के सचिवों की कि उनके ऊपर इस किस्म के दबाव का कोई असर नहीं पड़ा।

जहां तक जनता के कोष का प्रश्न है वह पूरा भरना चाहिये। चाहे दान के रूप में कुछ भी गवर्नमेंट कर दे, लेकिन वन उपज की जो वास्तविक कीमत है वह ली जायगी, उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं की जायगी। इस ईमानदारी से और राज्य कोष की इस तत्परता से रक्षा करने की दृष्टि से जिन लोगों ने काम किया है उनके ऊपर यह लांछन लगा देना कि दरख्त कट रहे हैं बिलकुल सही नहीं है और मैं इस चार्ज को बिलकुल रेफ्यूट करता हूं। हां, दरख्त कट रहे हैं ट्विस्टेड चीड़ के जिनका टिम्बर कंटेन्ट १० परसेंट से कम है और उनकी कीमत ४० नये पैसे क्यूबिक फीट तक की गयी है और यह कीमत पब्लिक आक्शन के आधार पर तय हुई है और मैं किसी कदर गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि यह विभाग अपने उत्तरदायित्व को निभाने में जनहित की दृष्टि से प्रेरित होता है न कि किसी साहूकार के साथ कोई रियायत दिखला कर उनकी खुशनूदी लेने के लिये और न किसी के ऊपर बिला वजह जुल्म करने के लिये। इंडस्ट्री को पनपाना हमारा काम है, और उद्योग-धंधों के लिये मैं यहां कह चुका हूं कि अगर हम लकड़ी से कागज बना सकते हैं तो चूल्हे में जलायेंगे नहीं। उद्योग-धन्धों के लिये कच्चे माल की जरूरत है। प्लांट्स लगे हुये हैं। कितना बड़ा विश्वासघात होगा कि वह प्लांट्स यों ही पड़े रहें और जो कच्चा माल दिया जा सकता है वह न दिया जाय। ट्विस्टेड चीड़ के ४० नये पैसे क्यूबिक फीट दाम तय करने में जिनका टिम्बर कंटेन्ट १० परसेंट से कम है जितना विचार विनिमय हो सकता था वह सब हुआ है। केन्द्र के लोगों को भी इसमें विश्वास में लिया गया और सबकी राय से न किसी के साथ जुल्म करके और न कोई रियायत करके अपने कर्त्तव्य का जो उचित पालन है वह

[श्री अलगू राय शास्त्री]

हमारे जरिये से हो रहा है। जिस चिट्ठी और चेक के बारे में कहा गया है उसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है, मैं उसको बिलकुल रेप्यूडियेट करता हूं। मेरे भाई लारी साहब ने आर्पीन के बारे में कहा कि बाढ़ आ जाती है, लोग परेशान होते हैं उनके रिहैबिलिटेट करने का इंतजाम होना चाहिये। इस समस्या में वन विभाग के साथ-साथ श्रीमन्, रेवेन्यू विभाग भी मिला हुआ है। श्रीमन्, अगर कोई ऐसी जमीन आ जाती है तो रेवेन्यू विभाग को उसका इंतजाम करना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग की भूमि के ऊपर सब की निगाह रहती है कि वनों के अन्दर एक भी पत्ता या शाखा क्यों है। आज हर तरफ से यह मांग होती है कि वन काटे जायें और उनमें खेती की जाय। वनों के बीच में आबादी को रखने के माने यह होते हैं कि वनों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। जो लोग वहां रहेंगे वे लोग लुक-छिप कर लकड़ी अपने इस्तेमाल के लिये काटेंगे। कोई बीज जो स्वाभाविक रूप से उपज के लिये हितकारी होती है वह खुरों से दबकर मर जाती है। हाथ के मलने से बाल नहीं पैदा होते हैं यह तो कहावत है। लेकिन यह बात बिलकुल ठीक है कि हैवी ग्रेजिंग से दरख्त नहीं जम सकते हैं, प्राकृतिक वन नहीं हो सकते हैं।

श्रीमन्, व्यय के संबंध में यह कहना ठीक नहीं है कि पहले से ही ठीक तखमीना क्यों नहीं किया गया। तीन महीने पहले जो मजदूर मजदूरी मांगता था आज वह उससे दुगनी मांगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा करके एक आध बार सप्लीमेंटरी बजट लाना कोई अवैधानिक नहीं है। यह फैक्टर ऐसा है जो सामने नहीं रहता है। अगर वनों के बीच आदमियों को बसा दिया जायगा तो इंसान अपने बाल-बच्चों के साथ रहेगा और फिर वह जलाने के लिये लकड़ी अवश्य काटेगा। वन में काम करने वाले आदमी हमेशा खतरे में रहते हैं, लोगों से झगड़ा रहता है। इतने बिखरे वनों की रक्षा करना, उनकी चौकीदारी करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे वन के कर्मचारियों को सदैव ही अजगर, सांप, बिच्छू और गोजर तथा अन्य वन पशुओं का भय बना रहता है और अवांछित लोगों का भी उनको मुकाबला करना होता है। ऐसी कठिन समस्या के होते हुये उनकी सेवा करने का काम आसान नहीं है। सब से बड़ी बात तो यह है कि अगर जंगलों के बीच में आबादी बसा दी जायगी तो जंगल की लकड़ी और उसके पेड़ कभी बच नहीं सकते हैं। गोंडा जिले में ६१ पेड़ काट लिये गये। जो लोग जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं वे ही ऐसा कह सकते हैं कि "राम जी की चिड़िया, राम जी का ही खेत-खाओ री चिड़िया भर-भर पेट"।

जंगलों की बात छोड़िये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो पेड़ सड़कों के किनारे होते हैं उनकी प्रति दिन निर्मम हत्या हो रही है। इसको देखा जाय। सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। शहरों और कस्बों में सड़क के ऊपर चबूतरा बनाने वाले को अगर कोई छेड़ता है तो वह जीत नहीं सकता है। जो नहीं छेड़ता है उसी को वोट मिलता है। यह करने वाले वह लोग हैं जो हकदार नहीं हैं किन्तु हकदार बनने की चेष्टा करते हैं। नागरिकता का सत्यानाश हो रहा है। हम निर्मम हत्यायें दरख्तों की होने दे रहे हैं। हम इसी किस्म की मांग रखते हैं जो नेशनल पालिसी के हित में बिलकुल नहीं है। नेशनल पालिसी है जंगलों की संख्या बढ़ाना। किन्तु हमारे यहां १४ फीसदी जंगल हैं प्लेन्स पर, और ४८ फीसदी जंगल हैं पहाड़ों पर जबकि वह ६२ से भी ज्यादा होने चाहिये। इतना न्यून स्तर हमारे वनों का है। यह पैस्टोरल स्टेट है, उद्योग धंधों के लिये सहायक हो सकते हैं वन, और इस पूंजी को हम बढ़ने नहीं देते। जंगलों को काट-काट कर जमीन पर लोगों को बसा दिया यह भवना है।

एक दिक्कत जमींदारी विनाश के बाद हुई। जो जमीन जंगलों के नीचे थी उसको लोगों ने पट्टा कर लिया। लोगों ने उसके दरख्तों को काट डाला और गांव के गांव वैसे ही ठूंठ खड़े हैं और वह उसको अब कृषि योग्य भूमि मानते हैं।

जहां तक शीघ्रता करने की बात है, बन्दोबस्त जल्दी हो जाय और इनके मुकदमे फैसला हो जायं तो उसके लिये कुछ स्टाफ रखा जाय इसी के लिए ज्यादा पैसा मांगा गया है। झगड़े थोड़े-

बहुत चल रहे हैं लेकिन उससे भी धीरे-धीरे राहत मिल गयी है। साथ ही लोगों को इस प्रदेश में ट्री-माइनडेड बनाना है कि लोगों के मस्तिष्क में वनों का महत्व आना चाहिये। लेकिन वृक्षों की कसम खाया करते थे कि अशुद्ध नहीं बोलेंगे लेकिन आज उसका वह महत्व चला गया है। दरख्तों को खूब काटते हैं, उसके पेट का गूदा तक निकाल कर लोग आज जला रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सड़कों पर काम करने वाले गैंग के लोग नहीं करते वह भी करते होंगे, लेकिन जो आशा करते हैं कि ऐसे लोगों का चालान किया जाय और जो चालान करने वाला अफसर है उसके ऊपर दरख्वास्त पड़ जायगी अगर वह कहीं चालान करेगा ऐसे लोगों का, तो जो शासन चलाते हैं वह समाज को भी चलाते हैं। अगर इस तरह से लोग करेंगे तो समाज का काम कैसे चलेगा, मैं तो हैरान हो जाता हूं देख कर इस तरह की बातों को। श्रीमन्, वनों की जो नीति है वह तो यही है कि वह पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति है, पूरे समाज की सम्पत्ति है और इसलिये उसको महत्व देना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य उस ओर ध्यान देकर लोगों को जंगल की भूमि पर कृषि करने की प्रेरणा न देकर लोगों को अन्यत्र बसाने और जंगलों की रक्षा करने की प्रेरणा देंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को आश्वासित करता हूं कि हमारी नीति में कोई दोष नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने चालू वर्ष का खर्च पूरा करने के लिये साढे ११ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग सदन के सामने रखी है। यह सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार कहती है और समाजवाद की स्थापना करने की दुहाई देती है। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार के समाजवादी, पूंजीवादी अथवा कोई और भी दूसरे प्रकार की वादी होने की कसौटी होती है। हम अगर इस बजट का अध्ययन करें और इस दृष्टि से अध्ययन करें कि आया यह सरकार समाजवाद की स्थापना के लिये बढ़ रही है या नहीं तो हमें यह देखना होगा कि सरकार की आमदनी समाज के किस वर्ग से है और सरकार खर्च किस वर्ग के हित में कर रही है। समाजवादी सरकार की आमदनी का स्रोत पूंजीवादी वर्ग होना चाहिये जो समाज में औसत स्तर से ऊंचे स्तर पर अपनी गुजर करता है। और फिर यह देखना होगा कि सरकार उस समाज के अंग पर अपनी आमदनी खर्च करने जा रही है या नहीं जो औसत स्तर से नीचे स्तर पर अपने जीवन को गुजार रहा है। जो सरकार कर्ज के बल पर, नये टैक्सों के बल पर, टैक्सेशन के बल पर अथवा रिजर्व फंड से रुपया ले कर अपने काम को चलाना चाहती है वह कभी लोकप्रिय समाजवादी सरकार नहीं कहला सकती। जो सरकार कर्जा लेकर गुजर करे, टैक्सेशन पर गुजर करे वह ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती। (व्यवधान) इस समय इस सरकार पर प्रायः तीन अरब रुपया कर्जा है। उस कर्ज की रकम को यह सरकार रिजर्व फंड में से आये दिन बड़ी-बड़ी रकमें निकाल-निकाल कर और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। मैं यह कह रहा था लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी की समझ में नहीं आया। शायद इसलिये कि अब आगे वे जानते हैं कि उन्हें इस सदन में नहीं रहना है।

श्री हरगोविन्दसिंह---आपको भी, मैं तो इस सदन का मेम्बर नहीं था।

श्री देवनारायण भारतीय---इस अनुपूरक बजट द्वारा साढ़े ११ करोड़ रुपये सरकार हम से चाहती है। मैं उस समय भी इस सदन का सदस्य रहा हूं जब पूरे वर्ष का कुल साढ़े १२ करोड़ रुपये का बजट था। इस साढ़े ११ करोड़ की धनराशि को शामिल करने से प्रायः १७० करोड़ वार्षिक व्यय हो जायगा। सरकार का कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। और वह इसलिये नहीं कि जनता में समाजवाद की स्थापना हो रही है, इसलिये नहीं कि गरीबों की हालत सुधर रही है, देश से भुखमरी और गरीबी दूर हो रही है, बल्कि इसलिये कि जो गरीब हैं वह और ज्यादा गरीब बनाये जा रहे हैं और जो अमीर हैं वह और ज्यादा अमीर बन रहे हैं।

[श्री देवनारायण भारतीय]

सरकार ने इस पूरक बजट द्वारा पुलिस के लिये मांग की है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष में इस सरकार ने अपने शासन काल में जनता को पुलिस द्वारा कौन-सी राहत पहुंचायी है? क्या प्रदेश में गुंडागरदी कम हुई है? क्या डकैती, चोरी, राहजनी, कत्ल जो भयंकर जुर्म हैं वे १९४७ के बाद प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ते नहीं चले जा रहे हैं? जब बढ़ते जा रहे हैं तो पुलिस पर खर्च बढ़ाने का सरकार को अधिकार नहीं है? पुलिस के खर्च को कम करके जनता को राहत पहुंचाने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। तभी यह सरकार लोकप्रिय सरकार बन सकती है अन्यथा नहीं।

इसी प्रकार सरकार शिक्षा पर व्यय करने के लिये कुछ अधिक धन चाहती है। शिक्षा की जो आज बुरी स्थिति है प्रदेश भर में वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे जो प्राइमरी विद्यालय जिला परिषदों के मातहत चल रहे हैं उनके अध्यापकों का वेतन आज सरकार के चपरासियों से भी कम है। जब शिक्षक का यह हाल है तो शिक्षितों की दशा कैसे आदर्श हो सकती है? न उनके पढ़ने के लिये विद्यालय हैं, न उनके बैठने के लिये फट्टे हैं, न उनके पास पुस्तकें हैं। तो जब विद्यालयों की ऐसी दशा हो तो क्या वह सरकार प्रशंसा की पात्र है या इस बात की पात्र है कि उसको और खर्चा बढ़ाने के लिये पैसा दिया जाय?

सरकार जनतंत्र की दुहाई देती है। मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की पहली शर्त यह है कि उस सरकार की हुकूमत में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिये कि उसकी बात सुनी जायगी, उसका दुख दूर किया जायगा। अगर प्रत्येक गरीब और कमजोर को ऐसा विश्वास नहीं है तो ऐसी सरकार को जनतांत्रिक कहना जनतंत्र का मखौल उड़ाना है। आज पुलिस का जुल्म होता है, सिंचाई अधिकारियों का जुल्म होता है, जिनके साथ जुल्म होता है वे शिकायत करते हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वह उनकी शिकायतों का समर्थन करते हैं लेकिन इस जनप्रिय सरकार के होते हुये भी वह शिकायत उनकी सुनी नहीं जाती। जनता की शिकायतें दूर नहीं की जातीं और उसका परिणाम यह है कि जनता आये दिन इस सरकार पर से विश्वास खोती चली जा रही है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात को सुन करके हंसना चाहें तो हंस भले ही लें लेकिन वह इस बात को ध्यान में रखें कि सन् ५२ के चुनाव में यहां विरोधी दल की संख्या केवल ४४ थी, सन् ५७ के चुनाव में विरोधी दल की संख्या १४४ पहुंची, १०० बढ़ गई और अब वही संख्या १८० के करीब जाकर के पहुंचती है। क्या यह आपके लिये शर्म की बात नहीं है? क्या यह ऐसी बात नहीं है कि जिसको बजाय हंसने के आप इस पर गम्भीरता से विचार करें कि इस प्रकार विरोधी दल की संख्या बढ़ने का कारण क्या है। लेकिन आप उसे हंस कर के टाल देना चाहते हैं और यह हंसी आपके लिये किसी दिन विष का काम देगी।

मैं चुनाव के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव में यह तो निश्चित है कि कांग्रेस का बहुमत हमारे प्रदेश में आया है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ही उस पर गर्व कर सकती है। इस बात की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता कि तीस पैंतीस और चालीस प्रतिशत से अधिक जनता ने वोट देने तक का विचार नहीं किया। क्या यही आपका जनतंत्र है? पिछले पंद्रह वर्षों में यह भावना आप जाग्रत नहीं कर पाये कि जिस वोट देने के अधिकार को अंग्रेज सरकार से भयंकर लड़ाई लड़ कर के हमारे देश ने प्राप्त किया था आज ६० फीसदी व्यक्ति उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या यह इस जनप्रिय सरकार के लिये लज्जा की बात नहीं है? मान्यवर, मैं थोड़ा समय और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—दो मिनट अभी हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—दो मिनट और चाहूंगा। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह आज यह भले ही कह ले कि वह जनता की प्रतिनिधि है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत से कम जब वोटिंग ही हुई है तो कोई भी व्यक्ति यह कहने का

अधिकारी नहीं है कि वह जनता का प्रतिनिधि है और फिर वह सरकार तो किसी भी दशा में जनता की प्रतिनिधि नहीं कहला सकती। एक मेरे मित्र ने सुझाव दिया था कि जो वोट डालने की परचियों के नम्बर हैं वह सरकार की ओर से प्रत्येक वोटर के लिये बांटे जायं जिन पर किसी भी पार्टी का कोई चिन्ह न हो और प्रत्येक वोटर से इस बात का अनुरोध किया जाय कि वह वोट डालने जाय। वोट अपना न देना भी सरकार एक प्रकार का जुर्म चाहे बना दे या किसी प्रकार से मतदाता को प्रोत्साहन दे जिसमें कि वह अपना वोट डालने आयें। जब नब्बे, पिन्चानवे और सौ फीसदी मतदाता केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करें और उनके बहुमत से सरकार बनाई जाय तब तो मेरे विचार में वह सरकार जनतांत्रिक और लोकप्रिय कहला सकती है अन्यथा नहीं।

जब प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवसर हो कि वह अपने वोट का महत्व समझ कर उसका सदुपयोग करना अपना कर्त्तव्य समझने लगे तभी जनतंत्र पनप और फलफूल सकता है।

मैं समझता हूं कि इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी कि सरकार अपनी ओर से परचियां प्रत्येक वोटर के पास पहुंचाये लेखपालों, पंचायत मंत्रियों और ग्राम प्रधानों द्वारा और उन पर यह प्रभाव डाले कि वे अपने वोटों का उपयोग करना सीखें। केवल ३० प्रतिशत लोगों के वोट देने पर सरकार बनने की प्रथा में सुधार होना चाहिये। जो मांग सरकार की ओर से पेश हुई हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस धन का सदुपयोग नहीं होगा। सरकार बहुमत द्वारा धन प्राप्त करके उसका सदुपयोग नहीं करती और इसके लिये मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे शाहजहांपुर नगर में एक कथित कवि हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हमारी सरकार की ओर से प्रदेशीय स्तर पर एक हिन्दी समिति बनी हुई है जो लेखकों और कवियों को उनकी रचनाओं पर पुरस्कार आदि देती है। उन कवि महोदय ने १९६० में दूसरों की कवितायें चोरी कर के 'अचला' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित करा दी और हिन्दी समिति की ओर से उन कवि महोदय को ३०० रुपये का पुरस्कार भी दे दिया गया। जब समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया कि उनकी कवितायें चोरी की थीं, अमुक-अमुक कवियों की पूर्व प्रकाशित कवितायें थीं और उनके लिये उस चोर कवि को पारितोषिक नहीं देना चाहिये था तो भी कोई एक्शन उस हिन्दी समिति अथवा सरकार की ओर से नहीं लिया गया न तो पारितोषिक अब तक वापस किया गया है और न उस ४२० करने वाले कवि को कोई दंड दिया गया या उस पर मुकदमा चलाया गया है। इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग होता है। मैं आपके द्वारा माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मांग का समर्थन न करे।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं सुबह से अनुदानों के संबंध में विपक्षी दल के सदस्यों के भाषण सुन रहा था। मैं समझता था कि बजट के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कही जायंगी जिन से कि भविष्य में सरकार को बजट तैयार करने में, अनुदानों को प्रस्तुत करने में कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन उस संबंध में सिवाय नारायणदत्त जी को छोड़ कर और किसी ने भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि जो त्रुटियां अनुदानों में हैं उनको सदन के सामने प्रस्तुत करें। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि इन अनुदानों के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें माननीय सदस्यों के सम्मुख रखूं।

११ करोड़ ४६ लाख का अनुदान मांगा गया है। उसमें कुछ आइटम्स प्लान के हैं और कुछ प्लान के बाहर के। प्लान के ३ करोड़ ५८ लाख के आइटम्स हैं और प्लान के बाहर के ७ करोड़ ८८ लाख के आइटम्स हैं। यह ३ करोड़ ५८ लाख रुपया जो प्लान के भीतर का है उसमें कोई नये धन की आवश्यकता जो इस बजट में है उसके उपरान्त नहीं होगी। वह तो सिर्फ इस कारण से हो गया कि प्लान के बहुत से अंग ऐसे हैं जो अनेक कठिनाइयों के कारण जैसे सामान न मिलने कोयला न मिलने अथवा अन्य कारणों से पूरे नहीं हो सकेंगे और ऐसा अनुमान है कि उनमें बचत होगी। यह तो सदन जानता ही है कि प्लान के लिये केंद्रीय सरकार से भी खर्चे के अनुपात में सहायता मिलती है। तो एक रास्ता तो यह था कि उन

[श्री हरगोविन्दसिंह]

कठिनाइयों के कारण जहां बचत होती है उसको उसी तरह से रहने दें और जो आइटम्स हैं जिनकी पूर्ति के लिये यह रुपया रखा गया था वह आइटम्स अपूर्ण रूप में पड़े रहें और उनके फलस्वरूप जो केंद्रीय सरकार से हमको अनुपात से प्लान की पूर्ति के लिये रुपया मिलता वह न मिले। एक रास्ता तो सरकार के सामने यह था। दूसरा रास्ता यह था कि जो बचत थी इंडीविजुअल आइटम्स में उनको दूसरी तरफ़ लगाकर उसको पूरा कर दें। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो मेरी समझ में नारायणदत्त जी का जो आक्षेप था वह मेरे लिये अवश्य चिन्ता का विषय था, क्योंकि उनकी तरफ से जो चीज आती है उसको मैं काफी गम्भीरता से सोचता हूं और मैं जानता हूं कि वह चीज उस तरफ से भी गम्भीरता से ही आती है। तो जैसा कि मैंने कहा एक रास्ता तो वह था और दूसरा यह था जो सरकार ने अपनाया कि हम उस रुपये को अन्य आइटम्स में लगा दें जिससे सेविंग न हो और जितना पैसा हमें केंद्रीय सरकार से मिलना था वह मिल जाय। तो उसके लिये जो ३ करोड़ ५० लाख की मांग है प्लान आइटम्स में उसके लिये कोई अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। वह तो प्लान के भीतर ही है। केवल आप इतना कह सकते हैं कि एक आइटम से हटा कर, सेविंग न दिखलाकर, दूसरे आइटम में खर्च किया गया है।

दूसरे, यह जो ७ करोड़ ८८ लाख रुपये की आइटम्स हैं, हम यह खयाल करते थे कि उन पर कुल खर्च ३९ लाख रुपये तक सेविंग्स से हो जायेगी और इस तरह से ७८८ लाख रुपया बच जायेगा। उसमें ७७५ रेवेन्यू का है और १३ लाख लोन का है। जो आपके सामने इस्टीमेट प्रस्तुत हुआ था उसमें आपने यह देखा था कि १४५.६३ करोड़ की हमारी रेवेन्यू रिसीट समझी जाती थी और १५४.१३ करोड़ एक्सपेंडीचर था। ८ करोड़ ५० लाख का हम उसमें घाटा समझते थे और उस साल ८ करोड़ ५० लाख में हम समझते थे कि ५ करोड़ २१ लाख हम स्वयं अपने रिसोर्सेज से निकालेंगे और ३ करोड़ २९ लाख जो है वह ऐसा था जिसको आप अनकवर्ड कह सकते हैं। रिवाइज्ड इस्टीमेट में, जो आपके सामने है, उसमें हम समझते थे कि १५२.१८ करोड़ की रिसीट होगी, लेकिन खर्चा भी हमारा १५४.१३ से १५६.६७ करोड़ हो गया। तो ८ करोड़ ५० लाख का घाटा कम हो कर ४ करोड़ ४९ लाख हो गया जो हम अपने रेवेन्यू रिजर्व फंड से मीट करेंगे। यह एक बैकग्राउन्ड है, बर्ड्स आई-व्यू जिसे कहते हैं वह बजट का है, जो आपके सामने मैंने रखा।

नारायणदत्त जी ने कहा था कि यह प्रथम बार शायद इस सदन के इतिहास में हुआ है कि तीसरी दफा सप्लीमेंटरी डिमांड पेश करनी पड़ी है। यह बात सही है, लेकिन इसमें आक्षेप की बात क्या है, यह समझ में नहीं आया। कई बार कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में १२ करोड़ का बजट था, तो क्या हम इतने पीछे चले जायं कि हमारा बजट १२ करोड़ का ही रहा करे? उस जमाने में तो हम समझते हैं कि शायद पूरक अनुदानों की आवश्यकता इतनी नहीं होती थी; लेकिन जब आपकी डेवलप्ड इकानामी है, जब अपने प्लांस को आपको इम्प्लीमेंट करना है उस समय यह कहना कि हर एक बात पहले ही क्यों नहीं समझ ली, तो इतनी बाढ़ आ जायगी यह कौन समझता था और इतनी ठंडक आ जायगी यह कौन समझता था और यह किसे पता था कि कोयले की इतनी मुश्किल हो जायगी। इन सब चीजों को पहले ही जान लेना और ऐसी व्यवस्था करना कि फिर पूरक अनुदानों की आवश्यकता ही न हो, यह तभी संभव हो सकता है जब तमाम विकास कार्यों को अपने स्थान पर ज्यों का त्यों छोड़ दें या उनसे अपना मुंह मोड़ लें। इसलिये हमें लेजिस्लेचर के सामने पूरक अनुदानों को लाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि किसी काम को बन्द कर देना कोई बुद्धिमत्ता न होगी।

बहुत-सी बातें कही गयीं। मैं तो चाहता था कि यह स्थान उसके लिये चुना जाता और यह अवसर भी न चुना जाता तो एक मर्यादा की ही बात होती, लेकिन बात यही क्यों और ऐसे लोगों के द्वारा कहा गया जो मुझे अफसोस है कि अपनी जगह पर नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे प्रार्थना करता कि जरा अपनी नजर को अपने भीतर ले जाकर देखिये कि आपने

जनतंत्र की कितनी सहायता की है। मुझे अन्य जगहों पर तो जाने का मौका नहीं मिला लेकिन जौनपुर सड़क पर जो भी घूमा होगा उसने सुना होगा कि १०-२० बैलगाड़ियों पर गाना हो रहा था कि मैंने गोमती का बांध खोल दिया और जौनपुर बह गया यह जनतंत्र के रक्षक की तरफ से कहा जाता था। मैंने हिमालय का मुंह खोल दिया, ठंडक आ गयी और इतने आदमी वहां मर गये। मेरी समझ में नहीं आता। यह ठीक है कि आंकड़ों से वह एलेक्शन जीत गये हैं, लेकिन वह अपने हृदय में समझ लें कि ऐसे ही दो इलेक्शन लड़ने के बाद जो राजा की पदवी उनके नाम के साथ लगी है उसी से उन्हें नफरत हो जायगी। वह हमारे स्तर पर आ जायंगे, यह मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन वह यहां आ करके सदन के सामने एक उत्तर दायित्व रखते हुये....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---"हमारे स्तर पर" क्या इसका मतलब सरकार से है कि हम लोग सरकार में पहुंच जांयगे...

श्री हरगोविन्द सिंह---आप बैठे रहिये और सुनते जाइये। मेरी समझ में नहीं आता कि जौनपुर की बातों के लिये एक दूसरे माननीय सदस्य क्यों चुने गये। उन बातों को कहने के लिये क्या स्वयं उनको लज्जा आती है.....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, यह तो पर्सनल रिमार्क कर रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह---आप को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह बातें दूसरों के जरिये से कही गई जिन्होंने जीवन भर जौनपुर नहीं देखा होगा। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। जैसा मैंने कहा, इन बातों के लिये यह अवसर भी नहीं और यह स्थान भी नहीं होना चाहिये। आज जनतन्त्र की दुहाई दी जा रही है, ठीक है। हम सभी जनतन्त्र के पोषक हैं, अपने को ऐसा ही कहते हैं। लेकिन इसकी सफलता के लिये मैं समझता हूं सब से परमावश्यक चीज यह है कि हर आदमी को सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार होना चाहिये और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिये तभी जनतंत्र की रक्षा हो सकती है। अगर यह समझ लिया जाय कि इधर वाले जो बैठे हैं उन्हीं के पास जनतन्त्र की सफलता की सारी ठेकेदारी है और उधर के बैठने वाले उससे मुक्त हैं और उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि जनतन्त्र की दुहाई देते रहें तब जनतन्त्र सफल नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज प्रान्त में जो वातावरण पैदा हो गया है, जातिवाद और गुन्डाशाही का, वह सब के लिये एक चिन्ता का विषय होना चाहिये।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---यह शुरू किसने किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---आपने।

श्री सुरथबहादुरशाह---आपने और आप के भाई ने।

श्री हरगोविन्दसिंह---तो मैं कह रहा था कि यह हमारे लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। एक हारा हुआ कैन्डीडेट मैं भी हूं, लेकिन मुझे यह चोट नहीं है। मेरे जिले में जो गुन्डाशाही की अवस्था रही, मैं समझता हूं अन्य जिलों में भी यह अवस्था रही होगी। मैंने अपने यहां कई क्षेत्रों में देखा कि किस तरह से एलेक्शन जीतने का प्रयत्न हो रहा था। हरिजन बस्तियों में रात-रात को बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस आदमी डंडा लेकर खड़े थे कि निकलने नहीं देंगे, तुम मत जाओ वोट देने नहीं तो समझ लेंगे कि तुम्हारा वोट कांग्रेस को मिल गया। तुम सब घर बैठे रहो, हमको वोट मिल गया। यह अवस्था थी। तो हम जो इधर या उधर बैठे हैं जब कि प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं---जो फासिस्ट दल हैं उनको छोड़ दीजिये जोकि प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते और चाहते हैं कि प्रजातन्त्र की दूकान जल्द से जल्द उठ जाय---लेकिन उनको छोड़ कर जो अन्य पार्टियों के लोग हैं, जो प्रजातंत्र और सार्वजनिक जीवन में विश्वास करते ह, उनके लिये, मैं समझता हूं, आज इस एलेक्शन ने बड़ी भारी चेतावनी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

दी है कि उन्हें प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। मैं एक कांग्रेसवाला होने की हैसियत से यह कह सकता हूं कि इसमें सब को कांग्रेस का पूरा सहयोग मिलेगा।

भारतीय जी से और जिन माननीय सदस्यों ने कहा उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं और अपील करता हूं कि वे गम्भीरता से सोचें कि एलेक्शन जीता और हारा जाता है और प्रजातंत्र में यदि एक ही दल इधर और एक ही दल उधर बैठे रहें तो यह प्रजातंत्र के शुभ लक्षण नहीं हैं। इसलिये यह चिन्ता का विषय नहीं है कि पहले से कांग्रेस की सदस्यों की संख्या घट रही है और शुभ लक्षण माना जाता यदि हम यह समझते कि जनता को सोच-विचार कर अपने वोट देने का मौका दिया जाता है जहां स्वतंत्रता से वोट होता है वहां जनतंत्र सदैव ही सफल रहता है। कौन जानता था कि लड़ाई के बाद चर्चिल की पार्टी हार जायगी? लेकिन वहां के लोग अपने वोट का महत्व जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिये जो भारतीय जी ने कहा वह चिन्ता की बात नहीं है। चिन्ता की बात यह है कि हम मजबूर करते हैं जनता को कि उसका दिमाग खुले नहीं। उसके दिमाग में चीजें सही ढंग से न घुसने पावें। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चों को, जिनके ऊपर राष्ट्र का भविष्य है, यह शिक्षा दी जाती है कि वे किसी का आदर करना ही न सीख पावें। यह बुनियादी खराबी सभी दलों के लिये चिन्ता का विषय होनी चाहिये जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूं कि ६ तारीख के बाद जो यहां रहेंगे वे भी और जो नहीं रहेंगे वे भी सार्वजनिक जीवन से नहीं हटेंगे। उनका कार्य-क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। जिसका कार्यक्षेत्र यहीं तक सीमित रह जायगा वह सार्वजनिक जीवन के लिये अनुपयुक्त होगा। यहां दोषारोपण से जनतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती।

मैं इन शब्दों के साथ सदन से अनुरोध करूंगा कि इन अनुदानों को स्वीकार करे।

(इस समय २ बज कर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए।)

१९६१--६२ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १--वृहत जोतकर

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ८०,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ८०,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत ८,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत ८,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५--वन

श्री अलगूराय शास्त्री--अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५--वन के अन्तर्गत ११,३९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत ११,३९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या कटौती के प्रस्ताव मूव हुये माने जावेंगे? अभी तो पूरे २ घंटे हैं। वोटिंग तो होनी ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—जो मूव करे वह खड़ा हो जाय। अभी एप्रोप्रियेशन बिल भी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं खड़ा हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—मैं देख लूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि कटौती के प्रस्ताव पेश नहीं होने चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उन्होंने यह नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि उस पर विवाद नहीं होगा। हमारी एक नियमावली है, उसके अनुसार चला जाता है।

श्री अधिष्ठाता—पेश करने में कोई विशेष लाभ तो नहीं है।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अगर हमारी मांग मंजूर कर ली जाय तो इसका मतलब है कि कट मोशन गिर गये।

अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (अधिष्ठान व्यय छोड़कर)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (अधिष्ठान व्यय छोड़कर) के अन्तर्गत ९६,३९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (अधिष्ठान-व्यय छोड़कर) के अन्तर्गत ९६,३९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६,४०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६,४०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आम तौर से यह प्रथा रही है कि जब कभी इस प्रकार का गुलोटिन होता है तो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये माने जाते हैं। उनको रखने का प्रश्न नहीं आता। अगर उनके लिये कटौती के रखने वाले को खड़ा होना पड़ेगा तो हरएक का नाम भी आपको पुकारना होगा जिसमें आपको दिक्कत होगी। इसलिये यह उचित होगा कि उनको मूव किया हुआ ही समझ लिया जाय। चाहे फिर आप मूल प्रस्तावों को ही ले लें।

श्री अधिष्ठाता---जनरल डिबेट में भी यह प्रथा रही है कि एक प्रस्ताव को लिया जाता था और शेष को छोड़ दिया जाता था, कदाचित् आप भूल गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, यह विरोधी दलों के टोकेन का प्रश्न है। इसलिये इन प्रस्तावों को मूव हुआ मान लिया जाय।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, वर्मा जी ने जो बात कही वह समझ में नहीं आयी। प्रस्ताव पेश भी हो जायगा और बिला वोट के गिर भी जायगा, यह कैसे होगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह तो साधारण सी बात है कि जब मूल प्रस्ताव पास हो गया तो संशोधन तो अपने आप गिर ही जायेंगे। अभी एप्रोप्रियेशन बिल भी पास करना है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह साधारण सी बात है। क्या नियमों की अवहेलना साधारण सी बात है? यह सब नियमों के एकदम प्रतिकूल हो रहा है। आजतक की मान्यताओं के खिलाफ हो रहा है। सेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं थी उसके बिना भी काम हो सकता था। उनके लिये तो साधारण सी बात थी।

श्री अधिष्ठाता---यहां कोई बात नियमों के विरुद्ध नहीं हो रही है। स्पीकर को मूल प्रस्ताव को लेने का अधिकार है और अमेंडमेंट्स को वह छोड़ सकता है।

अनुदान संख्या १२---अभियन्त्रण संस्थाएं

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२---अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग), संस्थायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२---अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं, के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४---आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,०९,२८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,०९,२८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,८२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,८२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—पुलिस

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—पुलिस के अन्तर्गत ५७,३१,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस के अन्तर्गत ५७,३१,-५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या १९—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य कलाप के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—शिक्षा

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा, के अन्तर्गत २,४६,७७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा, के अन्तर्गत २,४६,७७,-९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—चिकित्सा

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा के अन्तर्गत १६,५३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—चिकित्सा, के अन्तर्गत १६,५३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—जनस्वास्थ्य

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—(जनस्वास्थ्य, के अन्तर्गत १,२९,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—जनस्वास्थ्य, के अन्तर्गत १,२९,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—सहकारिता

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता, के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या २८—उद्योग

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—उद्योग, के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—उद्योग, के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवायोजन

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन, आप जरा देखें कि इस अनुदान के अन्तर्गत मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट, १९६० के उपबन्धों को लागू करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था के लिये रुपया मांगा गया है। मेमोरेण्डम के पृष्ठ ३३ पर आप जरा देखने की कृपा करें। उसमें लिखा है कि "भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट, १९६१ के उपबन्ध ३१ मार्च, १९६१ से लागू हो जायेंगे। श्रमायुक्त के अधीन वर्तमान कर्मचारियों के पास पहले ही से कार्य की अधिकता है, अतः उनके लिये उक्त ऐक्ट लागू होने के फलस्वरूप कार्य की देखभाल करना संभव नहीं है। इसलिये १ अप्रैल, १९६२ से इस कार्य की देखभाल करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसके लिये १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में १,६२,२०० रुपये की आवश्कता होगी। यद्यपि वास्तव में चालू वित्तीय वर्ष में इस संबंध में व्यय के लिये कोई धनराशि अपेक्षित न होगी तथापि इस व्यय

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का संबंध एक नयी मद से है और चूंकि १९६२–६३ के आय-व्ययक अनुमान तथा व्यय की नई मदों से संबंधित विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) १ अप्रैल, १९६२ से पहले पारित नहीं होगा, अतः विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में १०० रुपये का एक प्रतीक अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।"

इसके पढ़ने से ज्ञात होता है कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६१–६२ है इसमें एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है और नई सेवा जिसके लिये रुपया मांगा गया है वह इस वर्ष की नई सेवा नहीं है, वह अगले वर्ष की नई सेवा है। तो १०० रुपये का जो सप्लीमेंटरी रुपया मांगा जा रहा है इसमें से एक पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है। अब मैं कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद २०५ की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं—

यदि "(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पायी जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष से आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

तो संविधान का अनुच्छेद २०४ वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये नई सर्विस के लिये सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स की इजाजत देता है या कोई एक्सेस एक्सपेंडीचर है और एक ही स्कीम है जो पहले नहीं थी उसकी इजाजत दता है। लेकिन अगले साल की गई सर्विस के लिये सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स की मांग अगले साल ही की जा सकती है। अगले साल की नई सर्विस के लिये इस साल रुपया मांगना संविधान के अनुच्छेद २०५ के खिलाफ है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—इसमें यह है "सहायक श्रमायुक्त के पदों के उप-श्रमायुक्त के पदों में क्रमोन्नति"। एक ग्रान्ट है जिसमें सिर्फ एक प्रस्ताव है, लेकिन खर्चे के लिये जो पदोन्नति की गयी है इसके बारे में भी जिक्र है, उसके लिये भी रुपये की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो १०० रुपये प्रतीक अनुदान के संबंध में कह रहा हूं। उस पर वोट नहीं मांग सकते क्योंकि वह इस साल की नई सर्विस नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—यह ग्रान्ट एक यूनिट है। उसे आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो समझता हूं कि जो लिट्रेचर दिया गया है उससे कोई आपत्ति पैदा नहीं होती। जैसा कि बतलाया गया यह एक यूनिट है, उसको आप बेक करना चाहते हैं। पूरे यूनिट पर यह आबजेक्शन किसी तरह से लागू नहीं होगा। ऐसी तरह के जो आइटम्स हैं वह किसी तरह से काबिले एतराज नहीं हैं। सदन को अधिकार है उस पर वोट करने का।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस मामले को इतनी लाइटली न लें। कृपा करके अनुच्छेद २०५ पढ़ें और फिर उत्तर उसके तथ्यों के आधार पर दें। यह नयी सर्विस इस साल के लिये है ही नहीं। तो इसके लिये तो सप्लीमेंटरी ग्रांट मांगी ही नहीं जा सकती।

श्री सूरयबहादुरशाह (जिला खीरी)---(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा द्वारा वित्त सचिव,श्री व्ही० एम० भिडे से बात करने पर) श्रीमन्, हमारे वजीर अपने वजीरों से बाहर बात करने क्यों नहीं जाते हैं। यह तो इस आदरणीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा कर बैठें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी समझ में यह इबारत जो इसमें लिखी हुई है कि इधर कुछ खर्चा नहीं होगा, यह सही नहीं मालूम होती। यह गलत है क्योंकि पहले कुछ प्रिलिमिनरी खर्चा सर्विसेज के एडवर्टिजमेंट वगैरह करने में होगा ही। इसीलिये सौ रुपये रखा गया है यह एक मिस्टेक मालूम होती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ खर्चा होगा और इसमें लिखा हुआ है कि नहीं होगा, तो पहले वह बजट को दुरुस्त करके लायें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने प्वाइन्ट आउट किया है, उसी से अमेंडमेंट समझ लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो श्रीमन्, आपने हमारा कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट अप-होल्ड कर लिया। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जो पहले का उनका स्टैंड था उसको उन्होंने बदल लिया है।

(इस समय ३ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मैंने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इसमें आपकी आज्ञा से अगर मैं व्यवस्था न चाहता तो शायद मैं अपने प्रति भी और संविधान के प्रति भी अन्याय करने का भागी होता। आप देखें कि पृष्ठ ३३ में जिसके अन्तर्गत ५०० रुपये की धनराशि मांगी जा रही है उसमें १००रुपये की धनराशि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के उपबन्धों को लागू करने के लिये मांगी जा रही है। इसके श्रीमन् २ हिस्से हैं। एक तो यह है कि इस वर्ष तो कोई पैसा खर्च भी नहीं अगले वर्ष, १ अप्रैल सन् १९६२, से खर्च की जरूरत है और १०० रुपये की मांग जो इस वर्ष के लिये की गयी है वह इस साल की नयी सेवा के लिये नहीं है बल्कि अगले वर्ष के लिये है। मेरा मत है कि अनुच्छेद २०५ इस बात की इजाजत नहीं देता।

"२०५(१) यदि—

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पायी जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गयी किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गयी राशि से अधिक धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गयी राशि को दिखानेवाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।"

तो इस वर्ष की सेवा जो नहीं है उसके लिये रुपया इसमें नहीं मांगा जा सकता। अगर उसके लिये रुपया खर्च करना है तो कंटिंजेंसी फंड से ड्रा करें और बाद में सप्लीमेंन्टरी के जरिये से लावें, लेकिन इस तरह से १०० रुपये जो इस मद में ५०० रुपये के अन्दर मांगे गये हैं अगले वर्ष की नई सेवाओं के लिये, वह हमें संविधान पारित करने की आज्ञा नहीं देता। हमें संविधान की मर्यादाओं को यदि सुनिश्चित करना है तो यह धन पारित नहीं होना चाहिये क्योंकि यह हमें अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अभी इस बात को मान भी लिया है कि जो कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट मेरा है वह वैलिड है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने सिर्फ यह कहा है कि जो इसमें इस साल के लिये खर्च होने की बात लिखी है वह हमें गलत मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष--फाइनेंस मिनिस्टर इस बात के लिये क्या कहते हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह दोनों बातें मैं कह रहा हूं। एक तो इसके वर्ड्स को पढ़ा जाय तो वह गलत हैं उसमें वह खर्च नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--करेक्ट लैंग्वेज उसकी क्या होगी। मैं समझता हूं कि मैं सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित कर दूं अगर आपको टाइम चाहिये। आप अपने फाइनेंस सेक्रेटरी से कंसल्ट करके ठीक भाषा कर लीजिये क्योंकि काम ऐसा नहीं होना चाहिये जो गलतफहमी पर आधारित हो जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा होगा, यह मैं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--करेक्ट पिक्चर दीजिये, ऐसा होगा, इससे काम नहीं चलेगा। मैं १५ मिनट के लिये हाउस को एडर्जन करता हूं और ३ बजकर ५० मिनट पर हम फिर बैठेंगे तब तक आप कंसल्ट करके करेक्ट पोजीशन बतावें।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजकर ५० मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--(वित्त मंत्री से) अब आप कृपया करेक्ट भाषा बतायें।

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन् करेक्ट भाषा यह है कि इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में कुछ प्रारम्भिक खर्चा होगा। इसलिये खर्चा मांगा गया है, छपने में गलती हो गई है।

श्री प्रतापसिंह--इसकी डिटेल बता दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--एडवरटाइजमेंट में खर्चा होगा और अरेंजमेंट वगैरा भी करना होगा क्योंकि पहली तारीख से स्टाफ आ जायेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने हमारे कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट को तो स्वीकार कर लिया है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि संविधान की मर्यादा कायम रहे।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त जी ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया था वह सही था कि अगर यह खर्चा इस वित्तीय वर्ष में होने वाला नहीं था तो इसमें यह नहीं आना चाहिये था। वोट आन एकाउन्ट में आप रुपया मांग रहें हैं और पहली अप्रैल से रुपया खर्च करना है तो रुपया मिल जायगा। लेकिन आप कहते हैं कि भाषा में गलती हो गई तो मैं इजाजत देता हूं कि इसकी भाषा को दुरुस्त करके आप पढ़ दीजिये ताकि सदन को जानकारी हो जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, यह रहेगा कि "भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति.....आवश्यकता होगी।" यहां तक तो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद यह हो जायगा कि "चालू वित्तीय वर्ष में कुछ प्रारम्भिक खर्चा होगा इसलिये खर्चा मांगा गया है।"

श्री अध्यक्ष--अब यह आपत्ति नहीं रही क्योंकि इसमें प्रारम्भिक खर्चे के लिये १०० रुपये रख रहें हैं। आप इसको अंग्रेजी में भी दुरुस्त कर लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, यह रूलिंग तो प्रोसीडिंग्स में रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो रूलिंग रहेगी ही कि यह दुरुस्त किया गया।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९---श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत ९२,९७,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १२,२२,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१---प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत २५,१४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३---समाज कल्याण

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---समाज कल्याण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—योजना और एकीकरण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—योजना और एकीकरण के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं है)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं है) के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १,०४,०१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १,५५,९०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, को पुरःस्थापित करने के लिए अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक वितरित हो जाने के उपरान्त)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

***श्री प्रतापसिंह**—(जिला नैनीताल) माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने पहले भी कहा यह आज नयी परम्परा यहां कायम की गई कि यह तृतीय बार हमारे सामने पूरक अनुदानों का यह विधेयक आया। बजट में जो ग्रान्ट नम्बर १४ और १८ हैं, जिसमें चुनाव की बात खासतौर से रखी गई है, हम सरकार को एक बात की चुनौती देना चाहते हैं कि सरकार को गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिए। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, या किसकी कैबिनेट बने, आज भी आपने पढ़ा होगा कि बर्मा में कूप हो गया। तो इस तरह से चारों तरफ खतरा बढ़ रहा है और ऐसे समय में जिस प्रदेश से हमारे प्रधान मंत्री आते हैं उस प्रदेश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्यों तमाम प्रतिक्रियावादी शक्तियां बढ़ रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव में दूसरी पार्टियों को कुचलने का प्रयत्न किया है वह कोई अच्छी बात नहीं है। जब बार बार कहा गया था कि वोटरों को कोई ढोयेगा नहीं, रिक्शा तक नहीं प्रयोग में लाया जायगा, तो कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन उसकी सारी गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे ही झंडे लगे हुए थे। कहा गया था कि वह सरकारी मशीनरी को पहुंचाने के लिये इस्तेमाल होंगी, लेकिन उन से वोटर ढोये जा रहे थे और उस का नतीजा यह हुआ कि दूसरे लोगों को कुछ मिला ही नहीं। दूसरे, लोगों में सरकार की ओर से जनतंत्र के प्रति आस्था पैदा करानी चाहिये लेकिन वह नहीं हो रहा है। जनतंत्र से लोगों की आस्था उठ रही है। यदि कोई गरीब व्यक्ति देश सेवा करना चाहता है, विधान सभा या संसद में जाना चाहता है तो वह जा नहीं पाता। एक दो हजार रुपया खर्च करने वाला कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में जीत कर नहीं आ पाया। रूलिंग पार्टी के लोग भी नहीं आ पाये और जो ईमानदारी से लड़े हैं वह हारे हैं। जो सिद्धान्त के आधार पर लड़े हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर लड़े हैं वे हारे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। रूलिंग पार्टी तो समझती है कि गुप्ता जी न सही, सम्पूर्णानन्द जी की मिनिस्ट्री हो जायगी, लेकिन अगर जनतंत्र न रहेगा तो न हम रहेंगे और न आप। आप के आशीर्वाद से हमको तो फिर ५ साल बाद इस हाउस में बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जनता इस चुनाव से जरूर सबक लेगी और फिर हम जैसे लोगों को दुबारा चुन कर भेजेगी, लेकिन इस पांच साल के समय में सरकार को सोचना चाहिये। कैबिनेट में सोचने विचारने वाले लोग हैं, लेकिन जब कोई शक्ति पर आरूढ़ होता है तो अपने हित में तमाम तरह के हथकंडे उपयोग में लाता है। पहाड़ वालों को तो यह विश्वास दिला दिया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं जीतते तो वहां का निर्माण नहीं हो सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताज्जुब तो यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जहां से आते हैं वह बार्डर एरिया नहीं है, लेकिन उसका निर्माण हो रहा है। इस बजट में १२२ लाख की सड़कों के बारे में बचत दिखायी गई है और आज भी मांग की जा रही है कि हम वहां सड़कों पर और खर्च करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी रोज कहते हैं कि चीन को हम इसलिये नहीं भगा पा रहे हैं कि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं और इसी लिये यह काम प्रदेश के पी० डब्ल्यू० डी० को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक वहां कोई सड़क नहीं बन पायी है, और दूसरी ओर सड़कों का जाल बिछ गया है, हर तरफ सेना और संगीनें हैं। मान्यवर, पहले भेड़ चराने वाले भोटिये वहां थे, आज वह भी नहीं हैं। चारों ओर निराशा ही निराशा है। तो भूखा क्या नहीं करता। गुप्ता जी ने वहां लोगों को सिखा दिया है कि चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस कर दो तो हम मालामाल कर देंगे। अगर डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है तो यह उनको मुबारक हो, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर देश के लिये, प्रदेश के लिये कांग्रेस की आवश्यकता है तो उसके साथ ही एक मजबूत विरोधी दल की भी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—विधेयक में कांग्रेस आदि का जिक्र है क्या ?

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मिनिस्ट्री कांग्रेस की है और मैं उसी की बात कह रहा हूं। तो सरकार ने जो रुपया हमसे इस बजट के द्वारा मांगा है उसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जो अनफोरसीन हो। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बार्डर के लिये हमसे रुपया लिया है, लेकिन उसमें भी बचत दिखायी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय लेते हैं, वे राय देते हैं मगर उन की राय को यह मानते नहीं। देहरादून में सड़क जरूर बनेगी, माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी के यहां सड़क जरूर बनेगी, लेकिन बार्डर पर जहां जरूरत है वहां नहीं बनेगी। तो आज जो मुझे सबसे बड़ी निराशा है वह यही है कि कांग्रेस की यह हुकूमत जनतंत्र की जड़ों को खोखला करती जा रही है, उसको खत्म करती जा रही है। आप कितनी ही बढ़िया खेती कीजिये लेकिन उसके चारों ओर आप अगर मेंड़ नहीं बनाते तो वह नष्ट हो जायेगी। मैं कांग्रेस के आपसी झगड़े में तो नहीं जाता, लेकिन इस चुनाव में जनतंत्र की जिस तरह से हत्या की गयी है उससे जरूर एक खतरा पैदा हो गया है। इसलिये मैं रूलिंग पार्टी से कहना चाहता हूं कि वह गरीबों की गरीबी की ओर विशेष ध्यान दें। आपको पता है कि १० फीसदी गन्ना नहीं पेरा जायेगा ? कल को आप स्टेटमेंट देंगे—हम तो होंगे नहीं, गोविन्दसिंह विष्ट जी भी नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—वे तो तिगुने हो गये हैं।

श्री प्रतापसिंह—खैर, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को गरीबों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जन संघ तिगुना हो गया। मैं याद दिला दूं इसी सदन में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री श्री गुप्ता जी ने कहा था कि वे जनसंघ को कुचल कर रख देंगे। बाद में उन्होंने अपने कथन की कुछ लीपा पोती भी की, लेकिन उसके मानी यही थे और उस समय उनकी भाव-भंगिमा देखने लायक थी और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने शब्दों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।

श्री अध्यक्ष—पहाड़ पर तो कामयाब हो गये।

(हंसी)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी हां, लेकिन उसका कारण यह था कि वहां उनकी ईंट का जबाब पत्थर से नहीं दिया जा सका। वहां पर पहाड़ की गुरबत का नाजायज फायदा उठाया गया, बेतहाशा रुपया लुटाया गया और कुछ लोगों को तो इतना मिल गया कि वह कुछ दिन तक चलेगा। खैर, आखिर किसी बहाने रुपया आया तो। लेकिन, दुख यह है कि जो मंशा गुप्ता जी की थी वह पूरी न हो सकी। जनसंघ की जड़ें और मजबूत होती चलीं गयीं। जनता ने दिखा दिया कि वह किस ओर जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अफसरों ने क्या किया जरा सुन लें। अबकी साल इतनी ठंड पड़ी, तीन बार बर्फ पड़ी और हमने कहा कि कोयला नहीं है वहां हैं डी०एफ०ओ० ? तो वह तो गुप्ता जी के कार्य क्षेत्र में लगे हैं और जनता की कोई फिक्र नहीं। तो सारे अफसरों का दुरुपयोग करना यह प्रजातंत्र के लिये अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री जी अपने मुखारविन्द से कुछ कह रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर एक ही पार्टी हमेशा राज करती रहे तो यह देश के लिये दुर्भाग्य का दिन होता है। तो आज भी वही पार्टी रूल कर रही है, यह सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। हमने यह देखा कि आज ऐसे विचारों को जन्म दिया जा रहा है कि लोग यह कहते हैं कि चुनाव हमें क्या फायदा करेगा, इस ढंग से लोग वोट देते हैं। खुले आम चर्चा की गयी कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो तुम्हारी सड़क बन जायगी, अस्पताल और स्कूल बन जायगा, बेटे की नौकरी लग जायगी और अगर नहीं दोगे तो विरोधी दल वाले क्या कर सकते हैं, खजाने की चाभी तो हमारे पास है ? एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री कहें, आप जैसे बुजुर्ग कहें कि यह नियोजन का जो कार्य है इसे राजनीतिक दलदल में मत घसीटो बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये हर एक भारतीय नागरिक को सहयोग देना चाहिये और दूसरी तरफ हम कहें कि अगर विरोध होगा तो आप का इलाका उजाड़, रेगिस्तान हो जायगा और अगर कांग्रेस आयी तो लहलहाता हुआ नखलिस्तान हो जायगा, यह कहां तक उचित होगा। वर्तमान में जो कुछ हुआ सो हुआ भविष्य के लिये यह बड़ा खतरा हो रहा है।

प्रतापसिंह जी ने याद दिलाया कि बोर्डर की रक्षा का हमारा तरीका सफल नहीं है। आज आपने पढ़ा होगा कि रशियन टैंक तिब्बत में आ गये हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से कहें और स्वयं भी जागरूक रहें। जितनी वहां रक्षा की आवश्यकता है उतनी यहां नहीं है और चूंकि एक हमारे और एक केन्द्रीय वजीर ने कह दिया कि चीन वालों को हम दबा देंगे जब वह भारत के मैदानों में आयेंगे तो इससे पहाड़ वाले डर गये कि क्या पहाड़ वाले भारत में नहीं आते ? इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बम्बई के अखबारों में चली थी। अल्मोड़ा की छावनी है, लेकिन सारी बैरकें आज भी खाली पड़ी हुई हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि क्या करना चाहते हैं। मैं तो एक लेमैन हूं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि सड़कों के संबंध में ४४ सदन के माननीय सदस्यों ने एक अप्रैल, १९६० के करीब अपना प्रतिवेदन दिया था कि बोर्ड की बेरीनाग-बोड़ेछीना आदि सड़कों का बनाना जरूरी है। लेकिन अब भी उनपर काम शुरू नहीं होता। एक तरफ बजट के द्वारा रुपया मांगते हैं, दूसरी तरफ हमें दुःख होता है कि पुराना सरप्लस रुपया रह जाता है। हो यह रहा है कि कर्मचारियों की एफिशियेंसी बिलकुल खत्म हो गयी है। यद्यपि ३ बोर्डर डिस्ट्रिक्टस हैं, ३ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं लेकिन इन विभागों में मेल नहीं है। आप ही देखिये कि पिथौरागढ़ में एस०डी०ओ० ने ओवरसियर को बन्द करा दिया, वारन्ट ईश्यू करा दिया---यह कोआर्डिनेशन हो रहा है। एक विभाग का विरोध दूसरे से चल रहा है। उनके बीच में एक तारतम्य पैदा होना चाहिये। यह न हो कि पैसा ही पैसा आदरणीय सदन से सरकार मांगती रहे, मगर उसका सदुपयोग भी होना चाहिये। अगर हमारी पी० डब्ल्यू० डी० से काम नहीं होता है तो इससे तो अच्छा है कि वह सारा काम सैपर्स और माइनर्स को क्यों नहीं दे दिया जाता, वह जल्दी काम कर सकते हैं। हमारी सड़कें तो बनती ही रह गयीं, उधर लद्दाख और तिब्बत में सड़कों का जाल फैल गया है। जब कि तीन साल से ल्हासा रोड नहीं बन पायी। इन शब्दो के साथ में चाहूंगा कि सरकार उस तरफ ध्यान दे, उद्योग-धंधे खोले और यातायात के साधन बढ़ाये।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस अर्थात् संसदीय प्रणाली के हिसाब से एप्रोप्रियेशन के ऊपर, अनुदानों के पास हो जाने के बाद ज्यादा बोलना उचित नहीं है क्योंकि जब हमने अनुदान पास कर दिये तब उनपर खर्चा

होने की इजाजत न देना मुनासिब नहीं है। लेकिन आज आपकी बदौलत हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला है तो मैं भी दो शब्द बोलने की इजाजत चाहता हूं।

अनुदान तो पास हो गये और उन पर खर्च होने की इजाजत न मिले, यह उचित न होने पर भी मैं यह समझता हूं कि इजाजत नहीं देनी चाहिये और उसकी वजह यह है कि न तो इनके पास फोरसाइट है और न यह पहले से कुछ सोचते हैं बल्कि आखिर में यकायक जागते हैं। मसलन ऐजूकेशन की ग्रान्ट को आप देखें। प्राविजन अर्थात् प्राविधान तो इस बात का है कि एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर यानी स्वीकृत खर्चा जो है उसकी ५० फीसदी ग्रान्ट शिक्षा पर हो सकती है, लेकिन यह सरकार वह देती नहीं है। नतीजा यह होता है कि सैकड़ों स्कूलों में अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो सकती है और न मास्टरों की तनख्वाह ठीक वक्त पर मिल सकती है। जहां तक एफी-सियेंशी का सवाल है उसका हाल यह है कि हाई स्कूल की ग्रान्ट्स अभी तक तय नहीं हुई है। तो जब अभी तक यह फाइनेलाइज नहीं हो सका है तो मास्टरों की तनख्वाह कब निकलेगी? पुराने जमाने में, अंग्रेजी काल में ये ग्रान्ट्स जूलाई के महीने में फाइनेलाइज या तय हो जाती थीं। और इस सरकार का हाल यह है कि आज जब सदन बन्द हो रहा है तो मार्च के महीने में अनुपूरक अनुदान की शक्ल में उसको मंजूर करवाना चाहती है। एक करोड़ २६ लाख का जो आइटम है उसमें लिखा हुआ है--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हेतु। सरकार की एफीसियेन्सी का पता इससे लगता है कि अभीतक डिस्ट्रक्ट बोर्ड लिखा जा रहा है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल, दोनों की रकमें जो हैं उसके बारे में इस सरकार को पहले नहीं मालूम था? आखिर आज के इस प्लानिंग के युग में इतनी बड़ी रकम को इतनी देर से लाना कहां की बुद्धिमता है? यूनिवर्सिटीज को देर में पैसा देने का यह नतीजा होता है कि वहां विकास नहीं हो पाता, नये डिपार्टमेन्टस नहीं खुल पाते। यूनीवर्सिटी वह जगह है जहां से भावी इंजीनियर, डाक्टर, वकील और पालिटिशियन्स निकलते हैं, मगर उनका विकास नहीं हो पाता। वह डिपार्टमेन्ट्स नहीं खोल पाते। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियों पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, उस पर सूद बढ़ता चला जाता है तो यह क्या तमाशा है? आज मुझे खुशी हुई माननीय वित्त मंत्री जी के मुखारविंद से यह सुन कर कि उनको पिछले इलेक्शन्स से कुछ चेतावनी मिली है और वह जनतंत्र के लिये एक चुनौती है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन नम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के मेम्बरों ने पिछले चुनावों में कितने जनतांत्रिक तरीकों को अपनाया था। वित्त मंत्रीजी ने यह कहा कि वे हार गये हैं, दुर्भाग्यवश मैं भी हार गया हूं, लेकिन वह छोटे-छोटे बच्चे जो हमारे कर्णधार होने वाले हैं उनको अगर इस प्रकार गलत रास्ते पर लगाया गया तो अवश्य ही यह मुल्क चौपट हो जायगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने निरीक्षकों द्वारा इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उन लड़कों को शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं उनका उपयोग उनकी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से किया है। मैं अपने क्षेत्र की जानता हूं कि उन लड़कों से मास्टरों ने पर्चे बंटवाये। मास्टरों से कहा गया कि अगर तुम कांग्रेस की खिदमत करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा कोई कुछ नही बिगाड़ सकता। खास कर वे लोग जो उन बच्चों का, जिनका दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ है, उनका किस प्रकार से गलत उपयोग करते हैं, यह भी एक देखने की बात है। आस्ट्रेलिया के प्रोफेसर फेयरबर्न आफ सिडनी यूनिवर्सिटी, हमारे देश के निवासी नहीं है। वे एक विशेषज्ञ हैं, उनका संबंध हिन्दोस्तान की किसी पार्टी से नहीं है। उनकी यह राय है कि जनसंघ पार्टी के तौर तरीके नाजी पार्टी के तरीकों पर आधारित हैं। लेकिन यह भी उन्होंने इस सरकारी पार्टी के द्वारा ही सीखा है। आस्ट्रेलिया में एक हथियार होता है बूमरेंजग जो फेंकने वाले के पास लौट कर आ जाता है। उसी प्रकार से कांग्रेस का यह हथियार उन्हीं के पास लौट कर आ रहा है। फिर वे रोते क्यों हैं?

श्रीमन्, अगर हम जनतंत्र के तरीकों को कायम रखना चाहते हैं तो हर पार्टी को सोचना होगा कि हम लोग किस हद तक उसे तर्क कर सकते हैं और इसमें सरकारी पार्टी को आदर्श सामने रखना होगा। लेकिन अगर वह स्वयं ही उस का उल्लंघन करती है तो फिर दूसरों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकती है।

बार्डर एरिया के संबंध में भी बहुत सी बातें कही गयीं। मैं उस एरिया से आता हूं जो नेपाल की सीमा पर है। वहां १९५२ में एक १२ मील की सड़क बननी शुरू हुई किन्तु १९६२

[श्री सुरथबहादुर शाह]

में आज उसको १० साल बीत गये, लेकिन उसमें सड़क के जितने गुण होते हैं वो सब मौजूद हैं। कहीं उस पर मिट्टी पड़ी है, कहीं सोलिंग ही पड़ी है, कहीं पत्थर कुटे हैं और कहीं तारकोल भी हो गया है। किन्तु अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कोशिश करके पूछा तो मालूम हुआ कि यह तो स्पिलट ग्रोवर से बनी है यानी जो रकम बची उससे बनी है। यह सरकार इन पिछड़ी हुई तहसीलों के लिये कुछ नहीं करती, वह क्षेत्र जो ६६ मील लम्बा और ३३ मील चौड़ा हो वहां आजतक बीस या तीस मील भी सड़क नहीं बन सकी। क्या यह जरूरी है कि उसी जगह की सड़कें बनें कि जहां से कोई विशेष आदमी जीतकर मंत्री बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हरगोविन्दसिंह---मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६१-६२ के लिये ११,४६,१२,२०० रु० का दिया जाना विनियोग

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग ११,४६,१२,२०० ० होता है, अधिक न हो।

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक — विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोतकर ..	८०,७००	१,०००	८१,७००
३	राज्य आबकारी ..	८,१०,०००	१,१००	८,११,१००
५	वन	११,३९,४००	..	११,३९,४००
८	बिक्रीकर	..	११,४००	११,४००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	९६,३९,१००	..	९६,३९,१००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	०	रु०
११	सिंचाई अधिष्ठान ..	६,४०,०००	..	६,४०,०००
१२	अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) संस्थायें	१००	..	१००
१३	सामान्य प्रशासन ..	..	१,५१,३००	१,५१,३००
१४	आयुक्त (कमिश्नर्स) और जिला प्रशासन ..	१,०९,२८,८००	..	१,०९,२८,८००
१६	न्याय प्रशासन ..	३,८२,४००	५७,९००	४,४०,३००
१७	कारागार (जेल) ..	..	२००	२००
१८	पुलिस	५७,३१,५००	५,०००	५७,३६,५००
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप ..	२००	..	२००
२०	शिक्षा	२,४६,७७,९००	..	२,४६,७७,९००
२१	चिकित्सा	१६,५३,६००	४,५००	१६,५८,१००
२२	जन-स्वास्थ्य	१,२९,४५,०००	..	१,२९,४५,०००
२५	पशुपालन	..	२३,३००	२३,३००
२७	सहकारिता	१००	..	१००
२८	उद्योग	४००	६,०००	६,४००
२९	श्रम और सेवायोजन ..	५००	१४,२००	१४,७००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	९२,९७,३००	१४,७००	९३,१२,०००
३६	सार्वजनिक-निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१२,२२,६००	..	१२,२२,६००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	..	६५,००,०००	६५,००,०००
४१	प्रकीर्ण व्यय	४००	..	४००
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	२५,१४,०००	..	२५,१४,०००
४३	समाज कल्याण ..	२००	..	२००
४४	योजना और एकीकरण (Planning and Co-ordination)	१,००,०००	..	१,००,०००

विधान सभा

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
४५	बनों पर पूंजीगत लागत ..	८,०००	..	८,०००
४६	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	६००	..	६००
४९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Public works) पर पूंजीगत लागत ..	१,०४,०१,३००	..	१,०४,०१,३००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	२००		२००
५२	निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (Commuted Value of Pensions) ..	..	५७,२००	५७,२००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and advances bearing interest) ..	१,५५,९०,१००	..	१,५५,९०,१००
	योग ..	१०,७७,६४,४००	६८,४७,८००	११,४६,१२,२००

विधान सभा प्रदेश

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२

३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

१––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर २६ मिनट पर सोमवार, ५ मार्च, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ मार्च, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी०––ए० पी०––३०६ एल० ए०––१९६२–८४५ ।